

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक



11101



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11101 – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-582-2

प्रथम संस्करण

अप्रैल 2006 वैशाख 1928

पुनर्मुद्रण

जनवरी 2007, नवंबर 2007

मार्च 2009, जनवरी 2010

जनवरी 2011, अगस्त 2012

अप्रैल 2013, मई 2014

दिसंबर 2014, दिसंबर 2015

जनवरी 2017, नवंबर 2017

जनवरी 2019, जनवरी 2020

फरवरी 2021

संशोधित संस्करण

जनवरी 2023 पौष 1944

पुनर्मुद्रण

मार्च 2024 चैत्र 1946

जनवरी 2025 पौष 1946

फरवरी 2026 फाल्गुन 1047

PD 10T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2006, 2023

₹ 85.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम.
पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद
मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित
तथा क्राउन प्रिंटर्स, बी-20/1, ओखला
इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II नई दिल्ली-110020
द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पच्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेज

बनाशंकरा III इस्टेज

बैंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस

निकट: धनकुल बस स्टॉप पनहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: एम.वी. श्रीनिवासन
मुख्य संपादक	: बिज्ञान सुतार
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: अमिताभ कुमार
मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी)	: दीपक जैसवाल
संपादक	: मरियम बारा
सहायक उत्पादन अधिकारी	: सायराज ए.आर.

आवरण एवं चित्रांकन

सरिता वर्मा माथुर

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिये ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिये नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव उत्पन्न करने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिये पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निधारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिये उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और सार्थक बनाने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिये बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार का विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिये हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी. पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी, जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली।

20 दिसंबर 2005

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान

और प्रशिक्षण परिषद

पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधि क हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

© NCERT
not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, एमेरिटस प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

समिति

आर. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, अरिंगनर अन्ना राजकीय कला महाविद्यालय, विल्लुपुरम तमिलनाडु।

गोपीनाथ पेरुमुला, प्रवक्ता, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई।

जया सिंह, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

निशित रंजन, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), न्यू अलीपुर बहुदेशीय विद्यालय, बेहला, कोलकाता।

नीरजा रश्मि, प्रवाचक, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

नौशाद अली आजाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नयी दिल्ली।

प्रतिमा कुमारी, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

पूनम बक्षी, वरिष्ठ प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़।

बी.सी.ठाकुर, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली।

राम गोपाल, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु।

सविता पटनायक, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), डेमोस्ट्रेशन स्कूल, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर।

शर्मिष्ठा बनर्जी, प्रधानाध्यापिका, विद्या भारती बालिका उच्च विद्यालय, कोलकाता।

हिंदी अनुवाद

अनुवादक मंडल

एच. के. गुप्ता, दिल्ली।

ओ. पी. अग्रवाल, नयी दिल्ली।

कांता जोशी, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयी दिल्ली।

बी. सी. ठाकुर, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली।

भवानी शंकर बागला, प्रवाचक, अर्थशास्त्र विभाग, पी.जी.डी.ए.वी, नयी दिल्ली।

रश्मि शर्मा, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, जे.एन.यू. कैंपस, नयी दिल्ली।

लीना सिंह, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, ए.जी.सी.आर., दिल्ली।

श्री प्रेम दास, नयी दिल्ली।

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, नयी दिल्ली।

रमेश चन्द्र, नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

एम.वी. श्रीनिवासन, प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस., एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

आभार

इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई मित्रों तथा सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एम. करपगम, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, मीनाक्षी कॉलेज, चेन्नई; जे. जॉन, निदेशक, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, नयी दिल्ली; प्रत्यूष के. मंडल, प्रवाचक, डी. ई.एस.एस.एच., एन.सी.ई.आर.टी.; नंदन रेड्डी, निदेशक (विकास), कंसर्न फॉर वर्किंग चिल्ड्रन, बैंगलोर; वी सेलवम, रिसर्च स्कॉलर, क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली; प्रोफेसर, सतीश जैन, सेंटर फॉर इकनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली; पूजा कपूर, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली; प्रिया वैद्य, सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट, नयी दिल्ली; तथा नलिनी पद्मनाभन, डी.टी.ई.ए., सीनियर सेकेंड्री स्कूल, जनकपुरी, नयी दिल्ली को इस पुस्तक के निर्माण के लिए सहयोग और सामग्री प्रदान करने हेतु आभार प्रकट करती है।

परिषद् जॉन ब्रेमैन तथा पार्थिव शाह का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक 'वर्किंग इन द मिल नो मोर' से फोटोग्राफ का उपयोग करने हेतु आभार व्यक्त करती हैं। कुछ कहानियाँ पी. साईनाथ द्वारा लिखित एवम् पेंग्यूइन बुक्स, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'एवरीबॉडी लव्स ए गॉड ड्राउट' से ली गई है। किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या से संबंधित एक चित्र 'द हिंदू' से लिया गया है। पर्यावरण मुद्दों से जुड़े कुछ चित्र तथा पाठ्य-सामग्री 'स्टेट ऑफ इंडियन इनवायरमेंट-1, 2' से लिये गये हैं, जो सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट, नयी दिल्ली से प्रकाशित है। परिषद् उन लेखकों, कॉपी राइट धारकों तथा प्रकाशकों को उनके द्वारा प्रदत्त संदर्भ सामग्रियों के लिए आभार व्यक्त करती है। परिषद् प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली; नेशनल रेल म्यूजियम, नयी दिल्ली को भी उनके फोटो पुस्तकालय में उपलब्ध चित्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। कुछ चित्र जॉन सुरेश कुमार, सायनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस; सिंधु मेनन, लेवर फाइल, नयी दिल्ली; एस. थिरूमाल मुरुगन, आचार्य, अधियमान मैट्रिकुलेशन स्कूल, ऊत्तंगराई; आर. सी. दास, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी; रेणुका, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एंड फेमली वेलफेयर, नयी दिल्ली को उनके योगदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है।

सविता सिन्हा, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवम् मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. को भी उनके सहयोग के लिए आभार! पांडुलिपि को जाँचने-परखने तथा उनमें वांछित परिवर्तनों के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की सलाहकार संपादक वंदना सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद।

इस पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए परिषद् दिपेन्द्र कुमार, विजय कुमार, डी.टी.पी. ऑपरेटर; विभोर सिंह, प्रूफ रीडर; विनय शंकर पाण्डेय, कॉपी एडिटर; दिनेश कुमार, इंचार्ज कंप्यूटर कक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

इस पुस्तक के प्रयोग पर

‘भारतीय आर्थिक विकास’ पर इस पुस्तक की रचना का मुख्य ध्येय पाठक को भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्य समस्याओं और मुद्दों से परिचित कराना है। इसी प्रक्रिया में आप नव युवाओं को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ-साथ आपको विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका की समालोचना कर पाने में सक्षम बनाना भी है। यह पुस्तक देश के आर्थिक संसाधनों और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रयोग के विषय में भी जानकारी प्रदान कर रही है। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों से जुड़े आँकड़ों द्वारा परिमाणात्मक जानकारी के साथ-साथ देश की आर्थिक नीतियों की भी एक झलक इसमें समाहित है। इन सबके आधार पर आशा की जा रही है कि आप अपनी विश्लेषण क्षमताओं को विकसित कर आर्थिक घटनाक्रम को समझने और भारत के आर्थिक भविष्य के विषय में अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर पाने में सफल होंगे। फिर भी, हमारा प्रयास रहा है कि पाठक पर अवधारणाओं और आँकड़ों का अधिक बोझ न होने पाए।

जहाँ तक विभिन्न आर्थिक प्रश्नों और प्रवृत्तियों की बात है, पुस्तक में उनके विषय में वैकल्पिक मतों को स्पष्ट किया गया है, ताकि आप स्वयं ही उन पर ज्ञान आधारित चर्चाओं में भागीदार बन सकें। भारतीय आर्थिक विकास पर इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के पश्चात् हमें आशा है कि आप अपने इर्द-गिर्द चल रहे संबद्ध स्तरीय आर्थिक घटनाक्रम को समझ पाएँगे और संचार माध्यमों (मीडिया) द्वारा उपलब्ध कराई गई तत्संबंधी सूचना को समझ कर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएँगे।

इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक अध्याय में कुछ क्रियात्मक गतिविधियाँ भी सुझाई गई

हैं। यह कार्य आपको शिक्षकों के मार्गदर्शन में करना है। वास्तव में, इस पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के समझ पाने में शिक्षक की भूमिका को अधिक समृद्धिकारक और सार्थक बनाने का प्रयास किया गया है। इन क्रियात्मक गतिविधियों का कक्षा में परिचर्चा, आर्थिक सर्वेक्षण आदि सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों, समाचार-पत्रों, टेलीविजन, इंटरनेट व अन्य स्रोतों से जानकारी (आँकड़ें) एकत्र करना आदि सम्मिलित है। विभिन्न

विषयों पर विद्वानों के मूल लेख और पुस्तकें पढ़ने के लिए भी शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

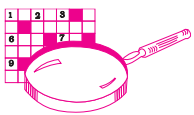
इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाने के लिए शिक्षकों को विषय आरंभ करने से पूर्व ही कुछ कार्य प्रारंभ करने होंगे। शैक्षिक वर्ष के आरंभ में ही आप पंचवर्षीय



योजनाओं और नियोजन में नीति आयोग की भूमिका; कृषि, उद्योग, सेवाओं तथा गरीबी निवारण, रोजगार सवर्धन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, आधारिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा एवं चीन व पाकिस्तान के आर्थिक घटनाक्रम आदि के विषय में समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं आदि से उपयुक्त जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जब शिक्षक कक्षा में कोई विषय पढ़ाना प्रारंभ करे, तो आपके पास उससे संबद्ध कतरने कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। आपके लिए वर्ष के आरंभ में ही इन कतरनों के संग्रह करने में जुट जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तभी आप उपयुक्त समय पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर पाएँगे। यह आदत भविष्य में आपकी शिक्षा के उत्तरोत्तर सोपानों में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी।

सभी स्कूलों को प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति खरीदनी होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम जानकारी का बहुत उपयोगी स्रोत होता है। इसमें संकलित रिपोर्टों से छात्रों का परिचय आवश्यक है। विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियों में उस जानकारी का उपयोग होगा। सर्वेक्षण के सांख्यिकीय परिशिष्टों के आँकड़ों विभिन्न मुद्दों को भली-भाँति समझने में नितांत उपयोगी होंगे।

अर्थव्यवस्था के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय उससे जुड़े आँकड़ों की व्याख्या अपरिहार्य हो जाती है। यदि हम संवृद्धि दरों की बात करते हैं, तो कुल संवृद्धि और क्षेत्रकवार संवृद्धि की चर्चा ही पर्याप्त नहीं होगी। आपको संवृद्धि दरों की प्रवृत्तियों, उन दरों को उपलब्ध करने की प्रक्रियाओं तथा उन्हें संभव बनाने वाले कारकों के बारे में भी बताना अनिवार्य हो जाएगा। यह सब तो केवल संवृद्धि दरों को किसी तालिका में

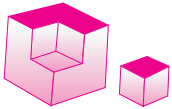


दर्ज करने से कहीं आगे तक जाने पर ही संभव होगा। सभी अध्यायों में कुछ क्रमांक अंकित बॉक्स भी हैं। इनमें मुख्य पाठ में की गई चर्चा से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी रखी गई है। ये बॉक्स अध्ययन को वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाने का प्रयास है। ये आँकड़ों के मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं, किंतु ये बॉक्स और क्रियात्मक गतिविधियों, परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए प्रयोग नहीं किए जाएँगे।

अध्यायों के अंत में परंपरागत अभ्यास प्रश्नों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त क्रियात्मक कार्य भी सुझाए गए हैं। इनमें से पाठ के बीच में दी गई अतिरिक्त गतिविधियों में से अधिक विस्तृत गतिविधियाँ शिक्षार्थियों को अध्ययन-परियोजना के रूप में दी जा सकती हैं। इन परियोजनाओं की रचना में शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री से कहीं आगे तक जाने को प्रोत्साहित करना शिक्षकों का दायित्व होगा।



सभी स्कूलों में सूचना संबंधी प्रौद्योगिकीय सुविधाएँ सुलभ होना तो आवश्यक नहीं है, फिर भी शिक्षार्थियों को यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में सभी जानकारीयें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट प्रयोग कर सरकारी विभागों की वेबसाइट से उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते ही हैं कि गरीबी-विषयक सारी जानकारी नीति आयोग, भूतपूर्व योजना आयोग प्रकाशित करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि भारत सरकार के नीति आयोग की वेबसाइट पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक आयामों से जुड़ी जानकारीयें विभिन्न रिपोर्टों के रूप में सुलभ हैं। इन रिपोर्टों की मुद्रित प्रतियाँ प्राप्त होना सदैव संभव नहीं होगा। किंतु, नेट से इनको कंप्यूटर पर उतार कर इनका कक्षाओं में प्रयोग तो हो सकता है।



अब तो पिछले दस वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण जैसे दस्तावेज [www://indiabudget.gov.in](http://indiabudget.gov.in) नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बहुत से संगठनों ने अपने वेबसाइट का पता बदला है। यदि किताब के अलग-अलग अध्यायों में दिए गए वेबसाइट नहीं खुल रहे हैं तो उन पतों को सर्च इंजन के द्वारा ढूँढ़ें, जैसे गुगल (GOOGLE) (www.google.co.in)।

प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं को सार संक्षेप के अंतर्गत दोहराने का कार्य भी किया गया है। मुख्य पाठ में प्रयुक्त तालिकाएँ अनेक शोध-पत्रों/रचनाओं से संकलित हुई हैं। उन रचनाओं को संदर्भ ग्रंथ की सूची में रखा गया है। किंतु प्रत्येक सारणी के नीचे संदर्भ स्रोत नहीं दिए हैं, क्योंकि ये विभिन्न शोध-सामग्रियों से लिए गए हैं जिनका उल्लेख 'संदर्भ' में किया गया है।

हम एक बार फिर यह बात दोहरा रहे हैं कि इस पुस्तक की रचना का ध्येय शिक्षार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था की समष्टि स्तरीय समस्याओं से परिचित करा उन्हें उनके विषय में ज्ञान आधारित परिचर्चाओं में भागीदारी में समर्थ बनाना है। हमारा यह भी आग्रह है कि इस पाठ्यक्रम को सही अर्थों में समझने की सबसे अच्छी विधि परस्पर सहयोग ही होगी। अतः छात्रों और शिक्षकों को मिलजुल कर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों/आयामों से जुड़ी जानकारी का संकलन कर पठन-पाठन के लिए उनका सही प्रयोग करना चाहिए। आप इस किताब के किसी भी हिस्से से संबंधित अपने प्रश्न और प्रतिक्रिया निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं। कार्यक्रम समन्वयक (अर्थशास्त्र), सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली - 110016. ईमेल: headaddress@gmail.com.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

विषय सूची

आमुख	iii
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	v
इकाई एक : विकास नीतियाँ और अनुभव (1947-90)	1-36
अध्याय 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था	3-15
-औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास	4
-कृषि क्षेत्रक	5
-औद्योगिक क्षेत्रक	7
-विदेशी व्यापार	8
-जनांकिकीय परिस्थिति	9
-व्यावसायिक संरचना	11
-आधारिक संरचना	11
अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-90)	16-36
-पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य	19
-कृषि	23
-उद्योग और व्यापार	28
-व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन	30
इकाई दो : आर्थिक सुधार 1991 से	37-58
अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण: एक समीक्षा	39
-पृष्ठभूमि	40
-उदारीकरण	42
-निजीकरण	46
-वैश्वीकरण	47
-सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा	50
इकाई तीन : भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ	59-136
अध्याय 4 भारत में मानव पूँजी का निर्माण	61-78
-मानव पूँजी क्या है?	63
-मानव पूँजी के स्रोत	63
-मानव पूँजी और मानव विकास	69

-भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति	70
-शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि	71
-भविष्य की संभावनाएँ	73
अध्याय 5 ग्रामीण विकास	79-95
-ग्रामीण विकास क्या है?	80
-ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन	81
-कृषि विपणन व्यवस्था	84
-उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण	86
-धारणीय विकास और जैविक कृषि	91
अध्याय 6 रोजगार संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे	96-118
-श्रमिक और रोजगार	98
-लोगों की रोजगार में भागीदारी	99
-स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक	101
-फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार	103
-संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना	105
-भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण	108
-बेरोजगारी	111
-सरकार और रोजगार सृजन	113
अध्याय 7 पर्यावरण और धारणीय विकास	119-136
-पर्यावरण : परिभाषा और कार्य	120
-भारत की पर्यावरण स्थिति	124
-धारणीय विकास	128
-धारणीय विकास की रणनीतियाँ	130
इकाई चार : भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव	137-155
अध्याय 8 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव	139
-विकास पथ: एक चित्रांकन	140
-जनांकिकीय संकेतक	143
-सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक	144
-मानव विकास के संकेतक	148
-विकास नीतियाँ: एक मूल्यांकन	148
पारिभाषिक शब्दावली	156-165

इकाई एक

विकास नीतियाँ और अनुभव
(1947-90)

इस इकाई के दो अध्यायों के द्वारा हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर नियोजित विकास के चार दशकों तक के भारत द्वारा चुने गये पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किये-जैसे-योजना आयोग का निर्माण तथा पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा आदि का अध्ययन। पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास की विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इस इकाई में किया गया है।



स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे;
- भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुँचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे।

भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जायेगा।

-विक्टर एलेक्जेंडर वूस, 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय

1.1 परिचय

‘भारत का आर्थिक विकास’ विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि, देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दौ सौ वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश

औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले सात दशकों में, भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं।

1.2 औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास

अंग्रेज़ी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि-रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग

बॉक्स 1.1 बंगाल का सूती उद्योग

मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आस-पास का क्षेत्र रहा है (यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है)। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे।

तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। (बॉक्स 1.1 देखें)

औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत, इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन कर रह गया।

स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की **राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय** का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद

भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, डॉ. वी.के.आर.वी.राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉ. राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी, सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम ही रही है तथा प्रतिव्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई।

1.3 कृषि क्षेत्रक

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या, जो गाँवों में

बॉक्स 1.2 पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि

सत्रहवीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नीयर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है- “अपने दो बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संगृहीत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिश्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती-रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे/मुर्गियाँ, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े-बड़े झुंड तथा भेड़-बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से (बहुत यत्न और श्रमपूर्वक) काट कर बनाई गई नहरों का जाल-सा बिछा हुआ है।”



चित्र 1.1: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता

सत्रहवीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए।

बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी-रोटी कमा रही थी (बॉक्स 1.2 देखें)। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्रक में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही – यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित हास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु **कृषि उत्पादकता** में कमी आती रही। कृषि क्षेत्रक की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई **भू-व्यवस्था** प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसीडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प

जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्रक की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर, उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण, कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। **राजस्व व्यवस्था** की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियाँ पूर्व निर्धारित थीं – उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और



इन्हें कीजिए

- स्वतंत्र भारत के मानचित्र की, अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन-सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? (इस संदर्भ में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक 'इंडिया डिवाइडेड' का अध्ययन उपयोगी होगा)।
- अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की? देश के किस क्षेत्र में कौन-सी राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की गईं और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे? आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं की आज के भारत में कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप रमेशचंद्र दत्त की दो खंडों में प्रकाशित पुस्तक 'इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' का सहारा ले सकते हैं। बी.एच. बेडेन पावेल की पुस्तक: 'द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया' भी उपयोगी रहेगी। इसके भी दो खंड हैं। इस विषय को अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत का एक कृषि-मानचित्र बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में लगे कंप्यूटर का भी आप इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए, किसी भी विषय को भली प्रकार समझने-समझाने में मानचित्र का अंकन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है।

उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में **कृषि के व्यावसायीकरण** के कारण नकदी-फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। किंतु, उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। क्योंकि, उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे न तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा।

1.4 औद्योगिक क्षेत्रक

कृषि की ही भाँति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस वि-औद्योगीकरण

के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार, उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश (ब्रिटेन) के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहाँ एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में माँग का भी प्रसार हो रहा था। इस माँग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों (आज के महाराष्ट्र और गुजरात) में ही अवस्थित थीं। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी,



इन्हें कीजिए

- एक तालिका बना कर दर्शाएँ कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुआ था। क्या आप यह जानते हैं कि किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? उदाहरण के लिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई? (यह अब झारखंड राज्य में है)।
- आज भारत में कितने लौह और इस्पात कारखाने हैं? क्या ये लौह और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पुनर्रचना और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं?
- भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थीं।

सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए।

किंतु, भारत में भावी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु **पूँजीगत उद्योगों** का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूँजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र-तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और **सकल घरेलू (देशीय) उत्पाद** या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्रक की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक का कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में, ये क्षेत्रक प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे।

1.5 विदेशी व्यापार

प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात-निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाएँ रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार



इन्हें कीजिए

- ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार करें, जिनका भारत से निर्यात और आयात होता था।
- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूचना एकत्रित करें। इन आयातों और निर्यातों की तुलना स्वतंत्रता-पूर्व अवधि से करें। उन सभी प्रमुख पत्तनों के नाम भी लिखें, जो अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं।

मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया (देखें बॉक्स 1.3)।

विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात-निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। किंतु, इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएँ मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थीं। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और

चाँदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में, इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मर्दों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ।

1.6 जनांकिकीय परिस्थिति

ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत



चित्र 1.2 स्वेज नहर: भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त स्वेज नहर

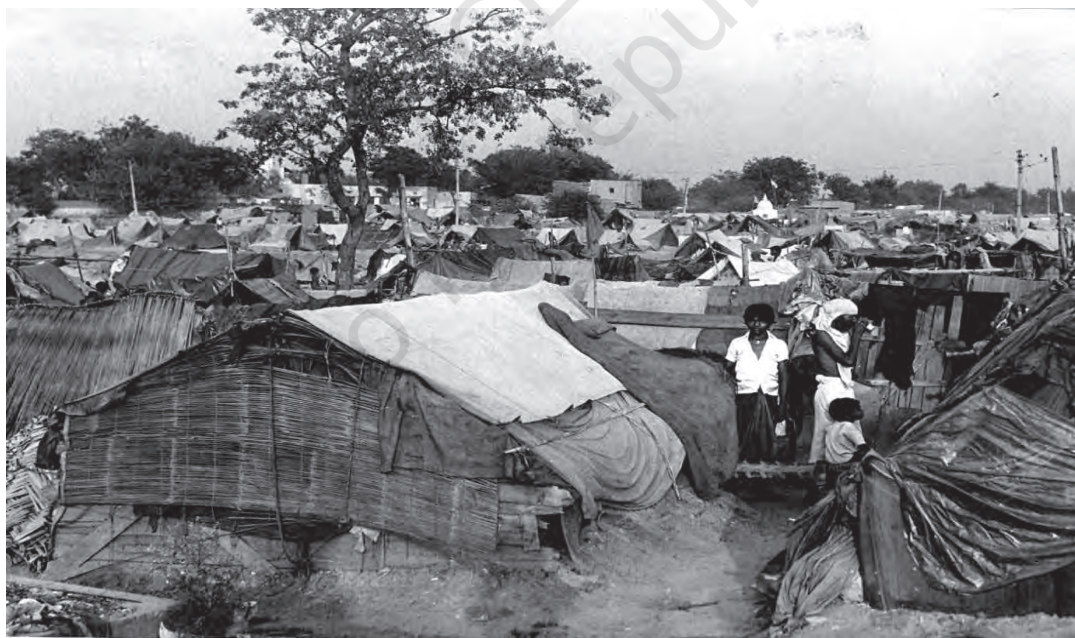
बॉक्स 1.3 स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार

स्वेज नहर उत्तर-पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल-संधि के आर-पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गईं और भारतीय बाजार तक पहुँचना सुगम हो गया।

एकत्रित किए गए। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएँ थीं, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या संवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में, प्रत्येक दस वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। किंतु, उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी संवृद्धि दर बहुत अधिक थी।

सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16 प्रतिशत से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य, केवल 7 प्रतिशत आँकी गई थी। जन-स्वास्थ्य सेवाएँ तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थीं। जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध थीं भी, वहाँ नितांत ही अपर्याप्त

थीं। परिणामस्वरूप, जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जन-हानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय **सकल मृत्यु दर** बहुत ऊँची थी। विशेष रूप से **शिशु मृत्यु दर** अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। **जीवन प्रत्याशा** स्तर भी आज के 70 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। विश्वस्त आँकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी, परिणामस्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई।



चित्र 1.3 भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे कि घर से वंचित था।



इन्हें कीजिए

- क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? इस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक 'गरीबी और अकाल' बहुत उपयोगी होगी।
- स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन का पाई चार्ट बनाइए।

1.7 व्यावसायिक संरचना

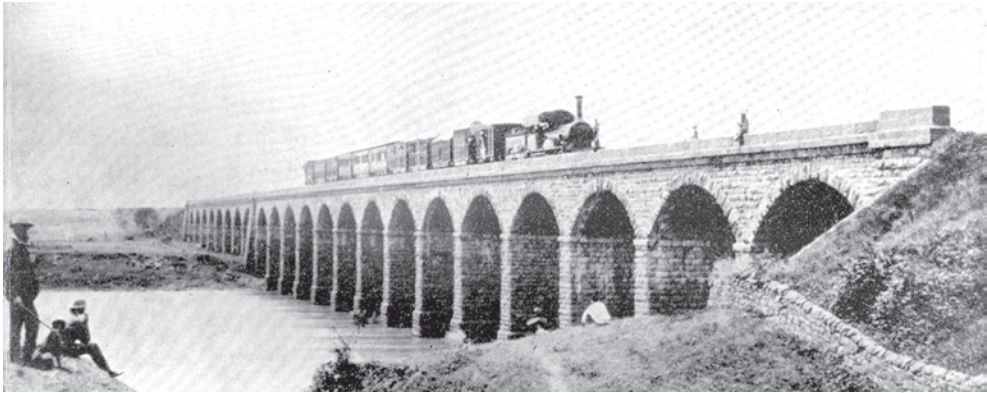
औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70-75 प्रतिशत जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 15-20 प्रतिशत जन-समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसीडेंसी (आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों), मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आँकी गई।

1.8 आधारिक संरचना

औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक-तार आदि का

विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएँ प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थीं। जो सड़कें उन्होंने बनाई, उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुँचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार, माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुँचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षाकाल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था।

अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भूक्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएँ करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु, इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव



चित्र 1.4 मुंबई तथा थाणे को जोड़ने वाला पहला रेल पुल, 1854

पड़ा। भारत के निर्यात में निःसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ, व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए।

सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ-साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया। किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी

कोष से किया गया था, तथापि यह रेलमार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेलमार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई मँहगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएँ अवश्य जनसामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थीं, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय-8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

1.9 निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति तक, 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्रक पहले से ही अत्यधिक श्रम-अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्रक भी आधुनिकीकरण वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की माँग कर रहा



चित्र 1.5 टाटा एयरलाइंस: टाटा संस के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई



क्रियात्मक गतिविधियाँ

अभी भी कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्याप्त है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी ही था। इस धारणा के बारे में जानकारीयों पर आधारित चर्चा की आवश्यकता है। आपका इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा आयोजित करें: क्या अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा था?

था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जनकल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थीं। संक्षेप में, देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थीं।



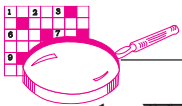
पुनरावर्तन

- स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप में समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता है।
- औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थीं, उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था।
- भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्रक गतिहीन ही रहा - इसमें ह्रास के ही प्रमाण मिले हैं।
- भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई।
- पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जनसामान्य को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसके कारण उच्च मृत्युदर का सामना करना पड़ा।
- यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया।



अभ्यास

1. भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए?
2. औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए।
3. औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे?
4. स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए।
5. स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित वि-औद्योगीकरण के दोहरे ध्येय क्या थे?
6. अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए।
7. भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे?
8. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना करें।
9. औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं?
10. जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन-सा माना जाता है?
11. औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकिकीय स्थिति का एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें।
12. स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएँ समझाइए।
13. स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें।
14. भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी?
15. स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी दें।
16. क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था? विवेचना करें।



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाइए। उस सूची की आज के उपभोग स्वरूप से तुलना करें। इस प्रकार जन-सामान्य के जीवन स्तर में आए परिवर्तनों का आकलन करें।
2. अपने आस-पास के गाँवों और शहरों के स्वतंत्रता पूर्व के चित्र संग्रहित करें। उन्हें आज के परिदृश्यों से मिला कर देखें। आप उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या इनमें आए परिवर्तन सुखद हैं या दुखद? चर्चा करें।
3. अपने शिक्षक के सहयोग से इस विषय पर परिचर्चा करें : क्या भारत में जमींदारी प्रथा का सचमुच उन्मूलन हो गया है? यदि आपका सामान्य मत नकारात्मक है, तो आपके विचार से इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्यों?
4. स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनता अपनी आजीविका के लिए क्या-क्या कार्य करती थी? आज जनता के मुख्य व्यवसाय क्या हैं? देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर वर्ष 2035 में आप किस प्रकार के व्यावसायिक परिदृश्य की कल्पना करेंगे?



संदर्भ

- बेड़न-पॉवल बी.एच 1892. *द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खंड एक, दो और तीन* ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड।
- बचनन डेनियल एच 1966. *डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, फैक कास एंड कं, लंदन*।
- चंद्र बिपिन 1993. *द कालोनियल लीगेसी*, संकलित बिमल जालान (संपादक)।
- द इंडियन इकॉनोमी: *प्रॉबलम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स*, पेंग्विन बुक्स, नयी दिल्ली।
- दत्त रमेश चंद्र 1963. *इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, खंड 1,2* सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली।
- कुमार धर्म एंड मेघनाद देसाई (संपादक) 1983. *कैंब्रिज इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज*।
- मिल जेम्स 1972. *हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसोसिएटिड प्रेस, नयी दिल्ली*।
- प्रसाद राजेंद्र 1946. *इंडिया डिवाइडेड*, हिंद किताब, मुंबई।
- सेन अमर्त्य 1999. *पॉवर्टी एंड फैमीन्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली।
- आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्षों के), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

इकाई
दो

आर्थिक सुधार
1991 से

नियोजित विकास के चालीस वर्षों के बाद, भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार तथा खाद्यन्नों के उत्पादन में स्व-निर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इसके बावजूद, जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 1991 में, भुगतान संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया तथा भारत के संदर्भ में उनके प्रयोग का मूल्यांकन किया गया है।



उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे;
- सुधार नीतियों को आरंभ किये जाने की प्रक्रिया को समझेंगे;
- वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे;
- विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे।

आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है।

—के.आर. नारायणन (भारत के पूर्व-राष्ट्रपति)

3.1 परिचय

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे को अपनाया। इसमें पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एक साथ थीं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम-कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक संवृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत जिसने अपनी विकास-यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वही आरंभ की थी, जो बचत में संवृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। साथ ही, कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है।

वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया **विदेशी मुद्रा रिजर्व** पंद्रह दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रण-नीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय

में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे।

3.2 पृष्ठभूमि

इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों** से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं।

इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच-विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई **विदेशी मुद्रा** को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया।

इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया।

1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की संवृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की दो सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था।

उस स्थिति में भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)** जिसे सामान्यतः 'विश्व बैंक' के नाम से भी जाना जाता है और **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को 7 बिलियन डॉलर का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। किंतु, उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाईं; जैसे, सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जायेंगे।

भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान लीं और **नई आर्थिक नीति** की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी संवृद्धि में आनेवाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। **स्थायित्वकारी उपाय** अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य **भुगतान संतुलन** में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और **मुद्रास्फीति** का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में, इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर, **संरचनात्मक सुधार**

वे दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियाँ प्रारंभ कीं। इनके तीन उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

3.3 उदारीकरण

हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम-कानून ही संवृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को 'मुक्त' करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, **आयात-निर्यात नीति**, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। किंतु, 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थीं। आइए, हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र हैं—औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर-सुधार, **विदेशी विनिमय बाजार**, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिनपर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया था।

औद्योगिक क्षेत्रक का विनियमीकरण : भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था **(क)** सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन

की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी; **(ख)** अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था; **(ग)** कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था।

1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि-भेषज; इन छः उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियाँ ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ भी अब **अनारक्षित** श्रेणी में आ गई हैं। अधिकांश उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है।

वित्तीय क्षेत्रक सुधार : वित्त के क्षेत्रक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, **स्टॉक एक्सचेंज** तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएँ सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्रक का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्रक के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्रक के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा।

सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रक में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूँजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74 प्रतिशत कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करनेवाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएँ खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश-विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है—पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही हैं। **विदेशी निवेश संस्थाओं** (एफ.आई.आई) तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है।

कर व्यवस्था में सुधार : इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से **राजकोषीय नीतियाँ** भी कहा जाता है। करों के दो प्रकार होते हैं: प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। **प्रत्यक्ष कर** व्यक्तियों की आय और

व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है। इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर-वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊँची नहीं हों, तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। **निगम कर** की दर, जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है। **अप्रत्यक्ष करों** में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये कर ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। 2016 में भारतीय संविधान में संसोधन के द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार को वस्तु एवं सेवा कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस कदम से भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर-वंचन कम होने की तथा 'एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार' का निर्माण होने की आशा है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही, कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है।

विदेशी विनिमय सुधार: विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का **अवमूल्यन** किया

गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाज़ार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाज़ार ही विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है।

व्यापार और निवेश नीति सुधार:
अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा

की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था।

भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए **आयात के परिमाण को सीमित** रखने की नीतियाँ अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च **प्रशुल्कों** का



इन्हें कीजिए

- राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, निजी विदेशी बैंक, विदेशी निवेश संस्थान और म्यूचुअल फंड का एक-एक उदाहरण दें।
- अपने अभिभावकों के साथ पास के किसी बैंक में जाएँ। देखें और पता करें कि वे किन कार्यों को करते हैं। अपने सहपाठियों से इस विषय में चर्चा करें और इनका एक चार्ट तैयार करें।
- अपने अभिभावकों से ज्ञात करें कि क्या वे कर चुकाते हैं? यदि हाँ, तो वे ऐसा क्यों और कैसे करते हैं?
- क्या आप जानते हैं कि काफी समय तक दुनिया के सभी देश, विदेशी भुगतानों के लिए सोने और चाँदी के भंडार जमा रखते थे? ज्ञात करें कि आज हम अपने विदेशी विनिमय रिज़र्व को किस रूप में रखते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास करें कि भारत के पास पिछले साल विदेशी विनिमय रिज़र्व कितने थे? निम्न देशों की मुद्राओं के नाम तथा नवीनतम रुपयों में उनकी विनिमय दरों की जानकारी भी प्राप्त करें।

देश	मुद्रा	भारतीय रुपयों में विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य
संयुक्त राज्य अमेरिका		
इंग्लैंड		
जापान		
चीन		
कोरिया		
सिंगापुर		
जर्मनी		

प्रयोग होता था। ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थीं, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की संवृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे : (क) आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति, (ख) प्रशुल्क दरों में कटौती और (ग) आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी

उद्योगों के उत्पादों को छोड़, अन्य सभी वस्तुओं पर से **आयात लाइसेंस** व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल, 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें **निर्यात शुल्क** से मुक्त कर दिया गया है।

बॉक्स 3.1 'नवरत्न' और सार्वजनिक उद्यम नीतियाँ

आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज-दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा जो कला, साहित्य और विद्वता के क्षेत्रों के गणमान्य विशिष्टजन थे। नवउदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें 'महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न' घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए वित्तीय संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किये गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार हैं: (i) महारत्न- (अ) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और (ब) स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ii) नवरत्न (अ) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, (ब) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (iii) लघुरत्न- (अ) भारत संचार निगम लिमिटेड, (ब) एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया और (स) इंडियन रेलवे क्रेटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड।

लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशकों में उस समय की गई, जब सभी सार्वजनिक नीतियाँ आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थीं। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था, ताकि जनसामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुँचाया जा सके। इस प्रकार, इन कंपनियों को सभी पणधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था।

इस नाम के अलंकरण के बाद से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय ही सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व-स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है।



इन्हें कीजिए

- कुछ विद्वान विनिवेश को सार्वजनिक उद्यमों की कुशलता बढ़ाने के लिए निजीकरण की विश्वव्यापी लहर का नाम दे रहे हैं, तो कुछ का विचार यह है कि ये तो सार्वजनिक संपत्ति का निहित स्वार्थों को बिक्री मात्र हैं। आपका क्या विचार है?
- समाचार पत्रों से नवरत्नों, महारत्नों एवं लघुरत्नों से संबंधित ऐसी 10-15 कतरने एकत्र करें जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं तथा एक पोस्टर बनायें। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन और शब्द चिह्न (Logos) एकत्र करें। उन्हें अपनी कक्षा के सूचना-पट पर लगाकर उनके विषय में चर्चा करें।
- क्या आपके विचार से केवल घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम का निजीकरण होना चाहिए? क्यों?
- 'सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के घाटे की भरपाई सरकारी बजट से होनी चाहिए।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा करें।

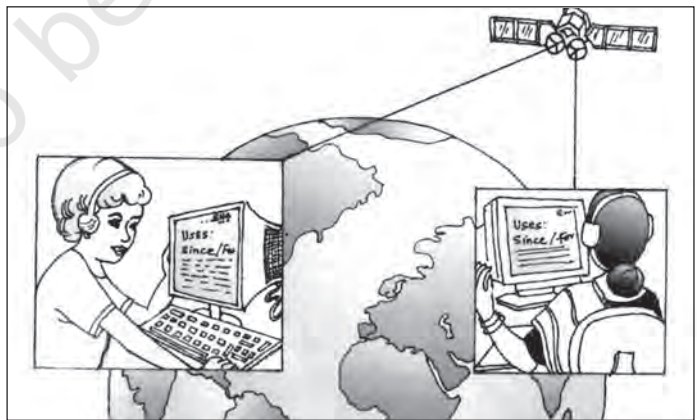
3.4 निजीकरण

इसका तात्पर्य है, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। सरकारी कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं: (क) सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना।

किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को **विनिवेश** कहा जाता है। सरकार के अनुसार, इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभावोत्पादक सिद्ध

होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को 'महारत्न', 'नवरत्न' और 'लघुरत्न' का विशेष दर्जा दिया गया है (देखें बॉक्स 3.1)।



चित्र 3.1 बाह्य प्रापण : बड़े शहरों में रोजगार का एक नया अवसर

बॉक्स 3.2 विश्वस्तरीय पद-छाप

वैश्वीकरण के कारण, अब अनेक भारतीय कंपनियाँ भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं। उदाहरण के लिए, ओएनजीसी विदेश, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएँ हैं। टाटा स्टील, 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है, जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष दस वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारत में शीर्ष पांच आईटी कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी-सी कंपनी थी, आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केन्द्र हैं

स्रोत : www.rediff.com दिनांक 14.10.2014

3.5 वैश्वीकरण

यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। **वैश्वीकरण** ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है, जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमामुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है।

बाह्य प्रापण : वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियाँ किसी बाहरी स्रोत (संस्था) से नियमित सेवाएँ प्राप्त करती हैं, जिन्हें पहले देश के भीतर ही

प्रदान किया जाता था जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण, विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने (बाह्य प्रापण) की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएँ, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियाँ भारत की छोटी-छोटी संस्थाओं से ये सेवाएँ प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे, इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत शून्य से नौ तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही



इन्हें कीजिए

- अनेक विद्वानों का तर्क है कि वैश्वीकरण एक चेतावनी है- इससे अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सरकार का महत्व ही समाप्त हो जाता है। दूसरे, इसके विरोध में यह तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण एक सुअवसर है क्योंकि यह बाजारों को आपस में प्रतिस्पर्धा का और किसी एक देश को अपना वर्चस्व बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस विषय में अपनी कक्षा में वाद-विवाद करें।
- भारत में व्यापारिक सेवाएँ प्रदान करने वाली पाँच कंपनियों की सूची और उनके मुनाफे का चार्ट तैयार करें।
- क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया था या अपने शिक्षकों की या किसी अन्य शिक्षक की टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो देखे थे? सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) से संबंधित अपने अनुभव साझा करें।
- क्या 'कॉल सेंटर्स' में रोजगार स्थायी रूप धारण कर सकता है? नियमित आय कमाने के लिए इन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले को किस प्रकार के कौशल सीखने होंगे?
- यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत जैसे देशों से इसी प्रकार सेवा प्राप्त करती हैं तो उन देशों के वासियों का क्या होगा, जहाँ ये कंपनियाँ स्थित हैं? चर्चा करें।

नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियाँ भारत से ये सेवाएँ प्राप्त करने लगी हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने **सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय 'बाह्य प्रापण' का एक गंतव्य बना दिया है।**

विश्व व्यापार संगठन: व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना

था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएँ खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही, इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार** को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और **अप्रशुल्क अवरोधकों** को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोलकर किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के

सारणी 3.1
सकल घरेलू उत्पाद और प्रमुख क्षेत्रों की संवृद्धि दरें (प्रतिशत में)

क्षेत्रक	1980-91	1992-01	2002-07	2007-12	2012-13	2013-14	2021-22
कृषि	3.6	3.3	2.3	3.2	1.5	4.2	4.8*
उद्योग	7.1	6.5	9.4	7.4	3.6	5.0	12.7*
सेवाएँ	6.7	8.2	7.8	10.0	8.1	7.8	9.2*
कुल योग	5.6	6.4	7.8	8.2	5.6	6.6	9.4

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

नोट : *सकल वर्धित मूल्य का आकलन सकल घरेलू उत्पादन पर सहायिकी को जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर किया जा सकता है।

हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्वस्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने **आयात पर से** अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है।

कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई

औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है कि विकसित देश अपने देशों में जहाँ कृषि सहायिकी दिये जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते



चित्र 3.2 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान

हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है?

3.6 सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा

अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए तीन दशक हो चुके हैं। आइए, इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं।

सारणी 3.1 को देखें। 1991 के बाद से भारत में दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 1980-91 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-2022 में 9.4 प्रतिशत हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि की वृद्धि में कमी आयी। जहाँ औद्योगिक क्षेत्रक में उतार-चढ़ाव हुए, वहीं सेवा क्षेत्रक में वृद्धि बढ़ गई। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा-क्षेत्रक में वृद्धि के कारण हुई है। 2012-15 की



इन्हें कीजिए

- पिछले अध्याय में आपने कृषि सहित अनेक क्षेत्रकों में आर्थिक सहायता दिये जाने के विषय में पढ़ा होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाशील बनाने के लिए इस क्षेत्रक को मिल रही सहायिकी को बंद किया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो यह कार्य कैसे किया जाना चाहिए? कक्षा में चर्चा करें।
- इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और कक्षा में इस पर चर्चा करें:
मूँगफली आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख तेलहन फसल है। आंध्र के अनंतपुर जिले का एक किसान महादेव अपनी आधा एकड़ भूमि पर मूँगफली की खेती पर 10,000 रुपये खर्च किया करता था। इस लागत में बीज, उर्वरक, श्रम, बैलशक्ति और सामान्य हल पर हुए सभी खर्च सम्मिलित होते थे। औसतन महादेव को दो किंवाटल उत्पादन प्राप्त हो जाता था, जिसे बेचकर वह 7,000 रुपये प्राप्त कर लेता था। अतः वह 10,000 का खर्च कर 14,000 की कमाई कर लेता था। अनंतपुर जिले में अक्सर अकाल पड़ते रहते थे। आर्थिक सुधारों के बाद तो सरकार ने वहाँ किसी बड़ी सिंचाई योजना पर काम करने का विचार भी नहीं किया। अभी कुछ समय पहले अनंतपुर में मूँगफली की फसल किसी बीमारी की चपेट में आ गई। सरकारी व्यय में कमी के कारण अब उस दिशा में शोध और प्रसार कार्य भी शिथिल हो चुके हैं। महादेव और उसके मित्रों ने कई बार सरकारी अधिकारियों का इस जवाबदेही की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बीज, उर्वरक आदि पर सहायिका भी घटा दी गई। महादेव की उत्पादन लागतों में इस कारण भी वृद्धि हुई। यहीं नहीं, स्थानीय बाज़ार में आयात किए गए सस्ते खाद्य तेलों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है - यह आयात प्रतिबंध हटाने का परिणाम है। महादेव अब अपना उत्पादन बाज़ार में नहीं बेच पाता - बाज़ार की कीमतें उसकी उत्पादन की लागत को भी पूरा नहीं कर पातीं। महादेव जैसे किसान को घाटे को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में चर्चा करें।

अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आयी। जहाँ 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आयी, वहीं 2021-22 में इस क्षेत्रक की वृद्धि दर कम हो गई। सेवा क्षेत्रक में ऊँची वृद्धि दर बनी रही, जो 2007-22 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक थी। औद्योगिक क्षेत्रक में 2012-13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात् बाद के वर्षों में बढ़ने लगा।

अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिज़र्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश (जिसमें **प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश** दोनों ही सम्मिलित हैं) 1990-91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2022-23 में 23 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है। भारत के विनिमय रिज़र्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 646 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व का सातवाँ सबसे बड़ा धारक माना जाता है।

1991 के बाद से भारत वाहन, कल-पुर्जों, दवा का सामान, इंजीनियरी उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाज़ार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है।

सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्याएँ विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हैं। अभी तक

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण—एक समीक्षा

के परीक्षण किए गए साक्ष्यों ने यह दर्शाया है कि पूर्णतः सत्य नहीं है। आपके क्या विचार हैं?

संवृद्धि और रोजगार : यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित संवृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और संवृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर्संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएँगे।

कृषि में सुधार : सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की संवृद्धि दर कम होती जा रही है।

1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात् सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाज़ार संपर्कों और शोध-प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है (ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी)। साथ ही, उर्वरक सहायिकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्यों और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्रक की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

दूसरी तरफ, उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों

के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है।

उद्योगों में सुधार : औद्योगिक संवृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई माँग के कारण है। माँग में गिरावट के कई कारण हैं जैसे, सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों की वस्तुओं और पूँजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयतित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की माँग को प्रतिस्थापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण, बिजली सहित, आधारीक संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। इसी कारण, प्रायः यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक-टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों

और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है।

यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र-परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं।

विनिवेश : प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। 2022-23 में सरकार लगभग 46,000 करोड़ रुपये जुटाने में सक्षम रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों

बॉक्स 3.3 'सिरीसिला त्रासदी'

विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुये हैं। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है। बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी ही हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आंध्रप्रदेश का हथकरघा उद्योग है। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊँची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की अजीबो-गरीबी ही संकट में पड़ गई। कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरीसीला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा।

क्या बिजली की दरें नहीं बढ़ानी चाहिए?

सुधारों से प्रभावित लघु उद्योगों को पुनःचालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

की परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है और सार्वजनिक संपत्ति की एकमुश्त बिक्री करनी पड़ रही है। साथ ही, विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधारिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्य कुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है?

सुधार और राजकोषीय नीतियाँ : आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमाशुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं, इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएँ क्षीण हो गई हैं। इन सबका विकास और जनकल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

3.7 निष्कर्ष

उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक

देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भाँति देखा जाना चाहिए क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुँच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'महत्वपूर्ण' बनने का अवसर प्रदान कर रहा है।

दूसरी ओर, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार, वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन् उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। इन्होंने केवल उच्च आयवर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी संवृद्धि कुछ इने-गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र हैं- दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएँ, भवन निर्माण और व्यापार आदि। कृषि, विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्रक (जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं) इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं।



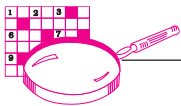
पुनरावर्तन

- भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ-साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप, उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता माँगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा।
- आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रण में कमी और आयात उदारीकरण रहे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और निवेश की नीतियाँ अपनाई गईं।
- वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है।
- बाह्य प्रापण : औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में उभर रही हैं।
- विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है, जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके।
- सुधारकाल में कृषि और उद्योगों की संवृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है।
- सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुँचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है।
- औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है।



अभ्यास

1. भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए?
2. विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है?
3. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से अपने को सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया?
4. रिज़र्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है?
5. रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं?
6. इनमें भेद करें:
(क) युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय
(ख) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार
(ग) प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधक
7. प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं?
8. परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है?
9. 'लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए'? क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्यों?
10. क्या आपके विचार में बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है?
11. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं?
12. क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है? कैसे?
13. सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन-से रहे हैं?
14. सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्रक दुष्प्रभावित हुआ लगता है? क्यों?
15. सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्रक के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं?
16. सामाजिक न्याय और जन-कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें।



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. इस सारणी में 2011-12 के कीमत स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर के आँकड़े दिए गए हैं। आपने अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी विश्लेषण में आँकड़ों की प्रस्तुति की तकनीकों का अध्ययन किया है। इस सारणी के आँकड़ों का प्रयोग कर एक रेखीय आरेख अंकित कर उसका निर्वचन करें।

वर्ष	स.घ.उ. संवृद्धि दर(%)
2012-13	5.5
2013-14	6.4
2014-15	7.5
2015-16	8.0
2016-17	8.3
2017-18	6.8
2018-19	6.5
2019-20	3.9
2020-21	-5.8
2021-22	9.4

2. अपने आस-पास ध्यान दें : आप के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की पूर्ति राज्य विद्युत मंडल और अनेक निजी कंपनियाँ कर रही होंगी। सरकारी बस सेवा के साथ-साथ निजी बसें भी सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती हैं।
 - (क) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सह-अस्तित्वपूर्ण दोहरी व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है?
 - (ख) इस प्रकार के दोहरी पद्धति के गुण-दोषों का विवेचन करें?
3. अपने अभिभावकों और दादा-नाना के समयस्कों की सहायता से उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाएँ, जो स्वतंत्रता के समय भारत में काम कर रही थीं। उनमें से जो अभी भी यहाँ पर हैं उनके सामने (✓) तथा जो अब नहीं है उनके सामने (X) का चिह्न अंकित करें।

क्या ऐसी कंपनियाँ भी हैं, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हों? नए नाम, उद्गम के देश, उत्पाद की प्रकृति और उनके शब्द चिह्नों की जानकारी एकत्र कर चार्ट तैयार करें और कक्षा में प्रदर्शित करें।

4. इनके उपयुक्त उदाहरण दें।

उत्पाद की प्रकृति	किसी विदेशी कंपनी का नाम
बिस्कुट	
जूते	
कंप्यूटर	
कारें	
टेलिविजन और रेफ्रिजरेटर	
लेखन सामग्री	

यह भी पता करें कि क्या ये कंपनियाँ 1991 से पहले भी भारत में काम कर रही थीं या नई आर्थिक नीति के बाद ही इनका आगमन हुआ है। इसके लिए अपने शिक्षकों, अभिभावकों, दादा-दादी और दुकानदारों की सहायता ले सकते हैं।

- विश्व व्यापार संगठन की बैठकों से संबंधित कुछ समाचारों की कतरनें एकत्र करें। इन बैठकों में चर्चित मुद्दों पर विचार-विमर्श करें और पता करें कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) किस प्रकार व्यापार को बढ़ावा देती है।
- क्या भारत के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आग्रह पर आर्थिक सुधार आरंभ करना आवश्यक था? क्या सरकार के पास भुगतान संतुलन की समस्या को सुलझाने के लिए कोई और विकल्प नहीं था? कक्षा में चर्चा करें।



संदर्भ पुस्तकें

- आचार्य शंकर 2003. इंडियाज इकॉनोमी: सम इश्यूज एंड आनसर्ज, एकेडेमिक फाउंडेशन, नयी दिल्ली।
- आल्टरनेटिव सर्वे ग्रुप 2005. आल्टरनेटिव इक्नॉमिक सर्वे, इंडिया 2004-05, डिसइक्विलाइजिंग ग्रोथ, दानिश बुक्स दिल्ली।
- अहलूवालिया, आई.जे.एंड आठ.एम.डी. लिटिल, 1998. इंडियान इकॉनॉमिक रिफॉर्मस एंड डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली।
- बर्धन प्रनव 1998. द पॉलिटिकल इकॉनामी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, एक्सपेंडेड एडीसन विथ एन ऐपीलॉग ओन द पॉलिटिकल इकोनोमी ऑफ रिफार्म इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

भादुरी अमित और दीपक नायर 1996. *द इंटेलिजेंट परसंस गाईड टू लिब्रलाइजेशन*, पेंगुइन, दिल्ली।
भगवती, जगदीश, 1992. *इंडिया इन ट्रांजीशन: फ्रीडम द इकॉनॉमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*, दिल्ली।

बायरस टिरेन्स जे 1997. *द स्टेट, डेवेलपमेंट प्लानिंग एंड लिब्रलाइजेशन इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

चढा जी.के. 1994. *पॉलिसी परसपेक्टिव इन इंडियन इकोनोमिक डेवेलपमेंट*, हर आनंद दिल्ली।

चेलय्याह राजा जे. 1996. *टूवार्ड्स ससटेनेबल ग्रोथ, एसयेज इन फिसकल सेंटर रिफार्मस इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

देवराय विवेक और राहुल मुखर्जी (संपादित) 2004. *द पॉलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ रिफोर्स*, बुकवेल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

ड्रेजी जीन और अमर्त्य सेन 1996. *इंडिया इकोनोमिक डेवेलपमेंट एंड सोशल ऑपरच्युनिटी*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

दत्त रुद्र और के.पी.एस सुन्दरम 2005. *इंडियन इकोनॉमी, एस.चंद एंड कंपनी*, नई दिल्ली।

गुहा अशोक (एडीटेड) 1990. *इकोनोमिक लिब्रलाइजेशन, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

जालान विमल 1993. *इंडियाज इकोनोमिक क्राइसिस: द वे अहेड*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

जालान विमल 1996. *इंडियाज इकोनोमिक पोलिसी: प्रिपेरिंग फोर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी*, बाइकिंग, दिल्ली।

जोशी विजय एंड आई.एम.डी. लिटिल 1996. *इंडियाज इकोनोमिक रिफार्मस 1991-2001*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

कपिला उमा 2020. *इंडियन इकोनॉमी: परफॉरमेंस एंड पालिसीज*, एकेडेमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।

महाजन वी.एस. 1994. *इंडियन इकॉनॉमी टुवार्ड्स 2000*, ए डी दीप एंड दीप, दिल्ली।

पारिख, किरिट एंड राधाकृष्णा, 2002, *इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001-02* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

राव सी.एच. हनुमंथा. एंड हंस लिल्लेमन 1996. *इकॉनॉमिक रिफोर्स एंड पावर्टी एलिविएशन इन इंडिया*, सेज, दिल्ली।

सेचस जैफ्रे डी. *आशुतोष वाष्णीय और निरूपम वाजपेयी (एडीटेड) 1999. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस*, नई दिल्ली।

सरकारी रिपोर्टें और वेबसाइट्स

आर्थिक सर्वेक्षण (विभिन्न वर्षों के), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

एप्रेसल डाक्यूमेंट ऑफ ट्वेल्फथ फाइव इयर प्लान, (2012-17), नीति आयोग, भारत सरकार
<https://dipan.gov.in>

दसवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002, खंड एक (वॉल्यूम I), योजना आयोग, भारत सरकार।

हेडबुक ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑन इंडियन इकॉनॉमी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर वेरियस ईयर्स, मुंबई।

इकाई
तीन

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ

आज भारत की चुनौतियों में निधनता, ग्रामीण भारत का विकास तथा आधारीक संरचना का निर्माण प्रमुख है। हम सौ करोड़ लोगों की शक्ति से संपन्न राष्ट्र हैं तथा मानव पूँजी हमारी एक बड़ी संपत्ति है। इसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य में निवेश आवश्यक है। हमें रोजगार के स्वरूप को समझने की एवं देश में और अधिक रोजगार के अवसर के सृजन की ज़रूरत है। हम विकास के निहितार्थों को भी अपने पर्यावरण तथा धारणीय विकास की मांग के संदर्भ में देखेंगे। इन मुद्दों को सुलझाने के क्रम में सरकार की नीतियों का आलोचनात्मक आकलन किए जाने की ज़रूरत है, जिस पर इस इकाई में अलग से चर्चा की गई है।



भारत में मानव पूँजी का निर्माण

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- मानव संसाधन, मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास की अवधारणाओं को समझ सकेंगे;
- मानव पूँजी में निवेश, आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकता को समझ पाएँगे और
- भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिणामों के माध्यम से नहीं हो। इसमें निवेश-मात्र ही लोगों को उससे अधिक अवसर उपलब्ध कराने में पर्याप्त होगा, जितना कि वे स्वयं ही प्राप्त कर सकते थे। इनके माध्यम से कितने ही ऐसे व्यक्तियों की अंतर्निहित योग्यताएँ उजागर हो पाती हैं, जो अन्यथा बिना पहचान के ही मर जाते।

—अल्फ्रेड मार्शल

4.1 परिचय

मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान-संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएँ ही हैं, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े-बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम-कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। इसी कारण से पहला, दूसरे की अपेक्षा, अधिक आय का सृजन करता है और

आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों



चित्र 4.1 किसानों को समुचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण ही खेतों की उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है

के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है।

4.2 मानव पूँजी क्या है?

जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूँजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूँजी में भी परिवर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूँजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। दूसरे शब्दों में, हमें अन्य मानव पूँजी जैसे — नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूँजी की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूँजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूँजी निवेश करने की भी आवश्यकता है।

आइए, इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूँजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करें:

- (क) मानव पूँजी के स्रोत क्या हैं?
- (ख) क्या किसी देश की आर्थिक संवृद्धि और वहाँ की मानव पूँजी में कोई संबंध होता है?
- (ग) क्या मानव पूँजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है?

(घ) भारत में मानव पूँजी के निर्माण में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है?

4.3 मानव पूँजी के स्रोत

शिक्षा में निवेश को मानव पूँजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य



इन्हें कीजिए

- समाज के अलग-अलग वर्गों से तीन परिवारों का चयन करें और डेटा एकत्र करें
(क) अति निर्धन (ख) मध्यमवर्गीय तथा (ग) संपन्न। इन परिवारों के लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की प्रवृत्ति का आकलन करें।

में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूँजी के निर्माण के अन्य स्रोत हैं।

आपके माता-पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार का खर्च है जैसा कि कंपनियाँ निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालिक निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूँजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है।

शिक्षा की भाँति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है।

किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा। इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः

इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूँजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान (टीकाकरण), चिकित्सीय आयुर्विज्ञान (बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा) तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान (स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार) और इनके साथ-साथ स्वच्छ पेय जल का प्रावधान आदि पर खर्च होने वाली राशि स्वास्थ्य



व्यय के विभिन्न रूप हैं। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय स्वस्थ श्रमबल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है और इसी कारण यह मानव पूँजी निर्माण का एक स्रोत है।

फर्म अपने कर्मचारियों के कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्य स्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशलकर्मी



कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे, कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान/संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है।

दोनों ही विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कुछ व्यय वहन करती है। इसी कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए

लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूँजी का स्रोत बन जाता है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते हैं।

व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन/पलायन करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गाँवों में बेराजगारी के कारण ही होता है।



तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता, डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतनमानों की अपेक्षा में दूसरे देशों

में चले जाते हैं। प्रवासनों की दोनों ही स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। किंतु नये स्थान पर उनकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय भी मानवीय पूँजी निर्माण का स्रोत है।

व्यक्ति श्रम बाजार तथा दूसरे बाजार जैसे, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। वे यह जानना चाहते हैं, कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या हैं या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएँ सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर? यह जानकारी मानव पूँजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूँजी के भंडार

बॉक्स 4.1 भौतिक और मानव पूँजी

दोनों ही प्रकार का पूँजी सुविचारित निवेश निर्णयों का परिणाम होता है। भौतिक पूँजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। इन गणनाओं के बाद ही वह अपना विवेक आधारित निवेश करता है। भौतिक पूँजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है—भौतिक पूँजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है।

मानव पूँजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है, जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी को अधिकतम कर पायेगा या नहीं। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित निर्णय उनके अभिभावक तथा समाज ही करते हैं। उनके समकक्षी शिक्षाविद् और समाज उच्चतर स्तरों (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) पर मानव पूँजी में निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। फिर भी इस स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, विद्यालय स्तर पर मानव पूँजी निर्माण, पर निर्भर करता है। मानव पूँजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है और अंशतः मानव पूँजी को धारण करने वालों के सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है।

आप जानते ही हैं कि बस जैसी भौतिक पूँजी के स्वामी को सदैव वहाँ उपस्थित नहीं रहना होता, जहाँ वह बस यात्रियों/सामान के परिवहन में प्रयुक्त हो। किंतु उस वाहन को चलाने के ज्ञान से संपन्न चालक को वाहन के साथ ही रहना पड़ता है। भौतिक पूँजी किसी भी अन्य वस्तु की भाँति दृश्य होती है। उसे किसी भी वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। मानव पूँजी अदृश्य होती है—यह धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची-बसी होती है। बाजार में मानव पूँजी को बेचा नहीं जा सकता, केवल उसकी सेवाओं की बिक्री की जा सकती है इसलिए मानव पूँजी के स्वामी को उसके उत्पादन के स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। भौतिक पूँजी को उसके स्वामी से पृथक् किया जा सकता है, किंतु मानव पूँजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता।

दोनों प्रकार की पूँजियों में उनके स्थानों की गतिशीलता के आधार पर अंतर होता है। प्रायः कुछ कृत्रिम अपवादों को छोड़ भौतिक पूँजी का विश्व भर में निर्बाध आवागमन चलता रहता है। किंतु मानव पूँजी का प्रवाह इतना निर्बाध नहीं होता, इसके मार्ग में राष्ट्रीयता और संस्कृति की ऊँची बाधाएँ आ जाती हैं। अतः भौतिक पूँजी का निर्माण तो आयात के सहारे भी हो जाता है, किंतु मानवीय पूँजी की रचना तो समाज तथा अर्थव्यवस्था की अंतर्भूत विशेषताओं के अनुरूप सुविचारित नीति निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा सरकार और व्यक्तिगत व्यय के आधार पर होती है। समय के साथ-साथ दोनों ही प्रकार की पूँजियों में मूल्य ह्रास होता है। किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देते हैं। मानव पूँजी में आयु के अनुसार कुछ 'ह्रास' आता है। किंतु शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश से उस 'ह्रास' का काफी सीमा तक निराकरण हो सकता है। यह निवेश मानव पूँजी को प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना करने योग्य भी बना देता है—किंतु भौतिक पूँजी में किसी भी प्रकार से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का सामना करने की क्षमता नहीं आ पाती।

मानव पूँजी द्वारा सृजित हितलाभ के प्रवाह का स्वरूप भी भौतिक पूँजी से अलग होता है। मानव पूँजी से केवल उसका स्वामी ही नहीं वरन् सारा समाज लाभांशित होता है। इसे एक बाह्य हित लाभ कहा जा सकता है। एक सुशिक्षित व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावपूर्ण भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक प्रगति में योगदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्तर पर तथा आस-पास में सफाई आदि के माध्यम से रोगों का संक्रमण रोक उन्हें महामारियों का रूप धारण नहीं करने देता। मानवीय पूँजी से व्यक्तिगत के साथ-साथ सामाजिक हितलाभों का भी सृजन होता है। किंतु भौतिक पूँजी तो प्रायः निजी लाभ को ही जन्म दे पाती है। पूँजीगत पदार्थों के लाभ उन्हीं को मिल पाते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत चुका सकें।

का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है। इसीलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूँजी निर्माण का स्रोत है।

भौतिक पूँजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूँजी के वैचारिक आधार की रचना की गयी है। दोनों प्रकार की पूँजी के बीच कुछ समरूपताएँ तथा कुछ प्रभावशाली असमानताएँ हैं (देखें बॉक्स 4.1)।

मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि

राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या 'सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ' का? हम जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम-कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। आर्थिक संवृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक



इन्हें कीजिए

- चित्र 4.2 को, देखिए और चर्चा कीजिए
 - (क) समुचित 'कक्षा' आयोजित करने के क्या लाभ हैं?
 - (ख) क्या आप कह सकते हैं कि इस स्कूल में जाने वाले बच्चे गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण कर पाएँगे?
 - (ग) इन स्कूलों के भवन क्यों नहीं हैं?

राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है तो फिर स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधानरहित श्रम की पूर्ति कर सकता है।



चित्र 4.2 मानव पूँजी निर्माण: दिल्ली में अस्थाई रूप से चल रहा एक विद्यालय

इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक संवृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है।

मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूँजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात् करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है- जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है।

मानव पूँजी की वृद्धि के कारण आर्थिक संवृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यावहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं हैं। इसका कारण मापन की समस्याएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और प्रतिव्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूँजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखायी पड़ता है, किंतु प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। दूसरे



चित्र 4.3 वैज्ञानिक और तकनीकी जन-शक्ति: मानव पूँजी का एक मुख्य घटक है

शब्दों में, विकासशील देशों में मानव पूँजी की संवृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात् एक ओर जहाँ प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूँजी के सृजन का कारण बन सकती है तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूँजी निर्माण से आय की संवृद्धि में सहायता मिल सकती है।

भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक संवृद्धि में मानव पूँजी के महत्व को समझ लिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है “एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों (मानव पूँजी) के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पा कर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन

सारणी 4.1
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास के चुने हुए सूचक

विवरण		1951	1981	1991	2001	2018-22
वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (रु में)		7,651	12,174	15,748	23,095	94,054
अशोधित मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या में)		25.1	12.5	9.8	8.1	6.0
शिशु मृत्यु दर		146	110	80	63	28
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)	पुरुष	37.2	54.1	59.7	63.9	68.6
	महिला	36.2	54.7	60.9	66.9	71.4
साक्षरता दर (%)		16.67	43.57	52.21	65.20	78

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

जायेगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी।”

मानव पूँजी (शिक्षा और स्वास्थ्य) तथा आर्थिक संवृद्धि के बीच कारण-प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है किंतु सारणी 4.1 में देख सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र में साथ-साथ संवृद्धि हुए हैं। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की संवृद्धि ने दूसरे क्षेत्र का संवृद्धि को सहारा दिया है।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि “ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व

तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और माँग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक



चित्र 4.4 आगे का काम: भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित

बॉक्स 4.2 ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत

भारत में पिछले दो दशकों से सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आपको ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। अर्थतंत्र में परिवर्तित कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ई-मेल (E-Mail) के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इसी प्रकार से ई-प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का सही मूल्यमान तो वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर रहता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना, प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएँ मानव विकास करने में सक्षम होंगी? चर्चा करें।

मुद्दे बहु-विषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की माँग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।” इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूँजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है।

भारत में आगे चलकर मानव पूँजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक संवृद्धि के उच्च पथ पर ले जायेगा।

4.4 मानव पूँजी और मानव विकास

ये दोनों पारिभाषिक शब्द मिलते-जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूँजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने-लिखने

तथा सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव पूँजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है, अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत में वृद्धि न हो। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो किंतु इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन तो होना ही चाहिए। अतः श्रम की उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में, समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर तथा स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होता है।

4.5 भारत में मानव पूँजी निर्माण की स्थिति

इस खंड में हम भारत में मानव पूँजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूँजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य स्थल प्रशिक्षण, प्रवसन और सूचना निवेश का परिणाम है। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है जिसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि) हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ-साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 8 में किया जा चुका है। अतः यहाँ हम केवल शिक्षा क्षेत्रक का विश्लेषण करेंगे।



इन्हें कीजिए

- यदि एक निर्माण श्रमिक, नौकरानी, धोबी या फिर स्कूल का चपरासी बीमारी के कारण लंबे समय तक काम पर नहीं आ पाया हो तो जानने का प्रयास करें कि इन पर क्या प्रभाव पड़ा है:

(क) उसके रोजगार की सुरक्षा

(ख) उसकी मजदूरी/वेतन

इन प्रभावों के संभावित कारण क्या होंगे?

क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देख-रेख कौन करता है? भारत में शिक्षा क्षेत्रक के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। हम जानते ही हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। मान लीजिए, जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ आवश्यक सुविधाएँ नहीं प्रदान की जा रही हों तो इससे पहले कि बच्चे को किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ताओं और लागतों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करा रही संस्थाएँ एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और शोषण करने लगती हैं। यहाँ सरकार की भूमिका का एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएँ देने तथा उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य करे।

भारत में शिक्षा क्षेत्रक के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् आती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्रक के अंतर्गत संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मंत्रालय और विभिन्न संस्थाओं के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् आदि कार्य कर रही हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक विशाल वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहा है, लोग बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं पर पर्याप्त व्यय नहीं कर सकते। यही नहीं भारत की अधिकांश जनता अति विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर पाती। जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को नागरिकों का अधिकार मान लिया जाता है, तो यह अनिवार्य है कि सभी सुपात्र नागरिकों को, विशेषकर सामाजिक दृष्टि से दलित रहे वर्गों को, सरकार ये सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करे। शत-प्रतिशत साक्षरता और भारतीयों की औसत उपलब्धियों में प्राप्त वृद्धि के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें पिछले कई वर्षों से अपने शिक्षा क्षेत्रक पर व्यय में वृद्धि करती आ रही हैं।

4.6 शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि

क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गये

शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे – (क) कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत तथा (ख) सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत।

कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं में शिक्षा के महत्व का सूचक है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि व्यक्तियों की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 से 2020 के बीच कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर



इन्हें कीजिए

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के उद्देश्यों तथा कार्यों के विषय में जानकारी का संकलन करें।

व्यय 7.92 प्रतिशत से बढ़कर 16.54 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़कर 4.47 प्रतिशत हो गया है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है इसमें अनियमित रूप से उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय तथा परोपकारी (धर्मार्थ)



चित्र 4.5 शैक्षिक आधारिक संरचनाओं में निवेश अपरिहार्य

संस्थाओं के शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। उच्चतर/तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं (उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे-महाविद्यालयों, बहुतकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों आदि) पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। इसका, अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर कर दिया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए।

वर्ष 2020-21 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफी अंतर है। जहाँ

सिक्किम में इसका उच्च-स्तर ₹96,968 वहीं बिहार में यह मात्र ₹10,710 है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है।

विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाय तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। शिक्षा आयोग (1964-66) ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की संवृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 में



इन्हें कीजिए

- विभिन्न स्तरों पर विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का अध्ययन कीजिए।
 - (क) प्राथमिक स्तर के विद्यालय छोड़ने वाले छात्र।
 - (ख) आठवीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले छात्र।
 - (ग) दसवीं कक्षा के बाद छोड़ने वाले छात्र। कारण ज्ञात कीजिए तथा कक्षा में चर्चा कीजिए।
- विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से बाल श्रम को बढ़ावा मिल रहा है। बताएँ कि इससे कैसे मानव-पूँजी की हानि हो रही है?

भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कानून बनाया है जिसके अन्तर्गत 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए (1998-99 से 2000-07) के दस वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रु. व्यय करना होगा। सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4 प्रतिशत व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचने की आवश्यकता है, जैसा कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है।

भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2 प्रतिशत “शिक्षा उपकार” लगाना भी प्रारंभ किया है। शिक्षा उपकार से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा

संवर्धन के लिए भी एक विशाल धन राशि स्वीकृत कराने की बात की है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नयी ऋण योजना की भी घोषणा की गयी है।

भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ

सामान्यतया किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 4.2 में भारत की इन दरों के दो दशकों के आँकड़े दिये गये हैं।

4.7 भविष्य की संभावनाएँ

सब के लिए शिक्षा – अभी भी एक सपना है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के दस साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों

सारणी 4.2

भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ

विवरण	1990	2000	2011	2017-18
1. वयस्क साक्षरता दर (15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में साक्षरों का प्रतिशत)				
1.1 पुरुष	62	68	79	82
1.2 महिलाएँ	38	45	59	66
2. प्राथमिक शिक्षा संपूर्तिदर (संबद्ध वर्ग प्रतिशत)				
2.1 पुरुष	78	85	92	93
2.2 महिलाएँ	61	69	94	96
3. युवा साक्षरता दर (15 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत)				
3.1 पुरुष	77	80	90	93
3.2 महिलाएँ	54	65	82	90

के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो अब तक शत-प्रतिशत साक्षरता हो गई होती।

लिंग समता पहले से बेहतर: अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम हो रहा है जो लिंग-समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं। जैसे, शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार और साथ ही स्त्री शिक्षा, प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। अभी हमें शत-प्रतिशत वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करनी है।

उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी: भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा स्तर तक बहुत



चित्र 4.7 उच्च शिक्षा: कम प्राप्तकर्ता

कम लोग पहुँच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक व ऊपर अध्ययन किया हो युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत थी। उनके शहरी समकक्षों में 16 प्रतिशत अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30 प्रतिशत बेरोजगार हैं जो युवा ग्रामीण महिला थीं। इसके



चित्र 4.6 विद्यालय छोड़ने वाले छात्र बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं जिससे मानव पूँजी का क्षय होता है

विपरीत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3-6 प्रतिशत बेरोजगार थे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार इस स्थिति में औसतन सुधार हुआ है। फिर भी सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आबंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए ताकि वहाँ पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें जब कम पढ़े-लिखे लोगों से तुलना की जाती है, तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात बेरोजगार है। क्यों?

4.8 निष्कर्ष

मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के

आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ करायी जानी चाहिए, ताकि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ समता की प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जन-शक्ति है। समय की माँग है कि गुणात्मकता में सुधार करें तथा इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि इन्हें भारत में पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके।



पुनरावर्तन

- शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूँजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूँजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं।
- शिक्षा में निवेश, कार्य स्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूँजी निर्माण के स्रोत हैं।
- भौतिक पूँजी की संकल्पना मानव पूँजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूँजी निर्माण के दोनों प्रकारों में कुछ समानताएँ और कुछ विषमताएँ हैं।
- मानव पूँजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण तथा संवृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है।
- मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न हैं, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने तथा दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं।
- कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है।



अभ्यास

1. किसी देश में मानवीय पूँजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं?
2. किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे?
3. भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएँ क्यों दिखाई दे रही हैं?
4. मानव पूँजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें।
5. मानव पूँजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार से अधिक व्यापक है?
6. मानव पूँजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है?
7. सरकारी संस्थाएँ भारत में किस प्रकार स्कूल एवं अस्पताल की सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं?
8. शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्यों?
9. पूँजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा कीजिए।
(क) स्वास्थ्य आधारिक संरचना (ख) प्रवसन पर व्यय
10. मानव संसाधनों के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता का निरूपण करें।
11. मानव पूँजी में निवेश आर्थिक संवृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है?
12. विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ-साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पायी गयी है। टिप्पणी करें।
13. किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें।
14. समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक संवृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है?
15. किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है?
16. मानव पूँजी और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें।
17. भारत में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा करें।
18. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए।
19. भारत में मानव पूँजी निर्माण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
20. क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्कों की संरचना निर्धारित करनी चाहिए। यदि हाँ, तो क्यों?



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. पता करें कि मानव विकास सूचक की रचना कैसे की जाती है। मानव विकास सूचक के अनुसार भारत की विश्व में क्या स्थिति है?
2. क्या निकट भविष्य में भारत एक ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है? कक्षा में इस पर चर्चा करें।
3. सारणी 5.2 के आँकड़ों की व्याख्या करें।
4. एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में आप शिक्षा प्रसार में क्या योगदान देंगे। (उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति एक शिक्षा)
5. शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम संबंधी सूचना देने वाले स्रोतों की सूची बनाइए।
6. शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों को पढ़कर उनका सार संक्षेप करें। आर्थिक सर्वेक्षण के सामाजिक क्षेत्रक अध्याय को पढ़ें। इन्हें संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है।



संदर्भ

पुस्तकें

फ्रीमेन रिचर्ड, 1976. *द ओवरएजुकेटेड अमेरिकन*, एकेडमिक प्रेस, न्यूयॉर्क।

बेकर, ग्रे एस. 1964. *ह्यूमन कैपिटल 2वाँ एंडिशन*, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

सिद्धार्थन्, एन.एस. एण्ड नारायनन के. (एडिटर). 2013, *ह्यूमन कैपिटल एण्ड डवलपमेंट*, स्ट्रिंगर, नयी दिल्ली।

सरकारी रिपोर्टें

भारत, मानव विकास रिपोर्ट 2011-12, योजना आयोग, भारत सरकार।

शैक्षिक सँख्यिकी, एक दृष्टि में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्ट देखें)।

वार्षिक रिपोर्टें, विभिन्न वर्षों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

रोसारियो, ज्योत्सना, के.आर. शनमुगम, प्रारंभिक शिक्षा के व्यय का स्थानांतरण पर प्रभाव तथा भारतीय राज्य के बराबर स्थानांतरण का माप, आधार पत्र 241/2023, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई

भारत में शिक्षा विषयक जानकारी देने वाली कुछ वेबसाइट्स

<http://epathshala.nic.in>

www.education.nic.in

www.cbse.nic.in

www.ugc.ac.in

www.aicte.ernet.in

www.ncert.nic.in

स्वास्थ्य क्षेत्र विषयक जानकारी के लिए

www.mohfw.nic.in

www.icmv.nic.in

भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित जानकारी के लिए

www.finmin.nic.in

www.mospi.nic.in

<http://nroer.gov.in>



ग्रामीण विकास

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- ग्रामीण विकास और उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझ सकेंगे;
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानेंगे;
- ग्रामीण विकास में साख और विपणन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे;
- आजीविका के स्थायित्व के लिए उत्पादक गतिविधियों में विविधता के महत्व को समझेंगे;
- धारणीय विकास में जैविक कृषि के महत्व को समझेंगे।

मिट्टी की जुताई करने वाले ही अधिकार के साथ जीते हैं, श्रृंखला के शेष लोग उनके आश्रय की रोटी खाते हैं।

-थिरुवल्लुवर

5.1 परिचय

अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार निर्धनता भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने यह भी जाना कि हमारे अधिकतर निर्धन देशवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भी सुलभ नहीं हो पाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है। कभी महात्मा गाँधी ने एक बार कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गाँवों के विकास से है। ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का केंद्र है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा क्यों है? हम अपने चारों ओर बड़े उद्योगों तथा सूचना-प्रौद्योगिकी केंद्रों से लैस शहरों को प्रगति करते हुए देखते हैं, फिर भी ग्रामीण विकास को ही इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है कि आज भी भारत की दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, जिसकी उत्पादकता अभी भी इतनी ही है कि उससे सबका निर्वाह भी नहीं हो पाता। इसी कारण से देश की एक-चौथाई जनता अभी भी घोर निर्धनता में रहती है। यदि हम भारत की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, तो हमें विकसित ग्रामीण भारत का निर्माण करना होगा। ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है?

5.2 ग्रामीण विकास क्या है?

‘ग्रामीण विकास’ एक व्यापक शब्द है। यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। भारत के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में नई और सार्थक पहल करने की आवश्यकता बनी हुई है, वे इस प्रकार हैं; मानव संसाधनों का विकास जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा और कौशल का विकास।
- स्वास्थ्य, जिसमें स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं।
- भूमि-सुधार।
- प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास।
- आधारिक संरचना का विकास जैसे- बिजली, सिंचाई, साख(ऋण), विपणन, परिवहन सुविधाएँ - ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित राजमार्ग की पोषक सड़कें बनाना, कृषि अनुसंधान विस्तार और सूचना प्रसार की सुविधाएँ।
- निर्धनता निवारण और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसका अर्थ होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। गैर-कृषि उत्पादक क्रियाकलापों जैसे, खाद्य-प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाओं की अधिक उपलब्धता, घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके।

हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है, किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण गिरावट



इन्हें कीजिए

➤ अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों का अध्ययन कर मासिक आधार पर उनमें उठाई गई ग्रामीण समस्याओं से जुड़े प्रश्नों तथा सुझाए गए उपायों की जानकारी संग्रह करें। आप निकट के किसी गाँव में जाकर उस क्षेत्र के जन समुदाय की समस्याओं की पहचान करें। कक्षा में इसकी चर्चा करें।

➤ सरकार की वेबसाइट <https://www.rural.nic.in> से हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं तथा उनके उद्देश्यों की सूची तैयार करें। अपने क्षेत्र/ग्रामीण पड़ोस के क्षेत्रों में इन योजनाओं में से किसी एक को कैसे लागू किया जाता है, इसका विवरण एकत्र करें। कक्षा में अपने अवलोकन पर चर्चा करें।

नहीं हुई। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद तो 1991-2012 में कृषि की संवृद्धि दर घट कर 3 प्रतिशत ही रह गई, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है,

2023-24 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल मूल्य की वृद्धि लगभग दो प्रतिशत से भी कम थी। जो पिछले वर्षों से भी कम है। अनेक अर्थशास्त्री 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को इसका कारण मानते हैं। उनका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएँ आ रही हैं। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत के साख और विपणन व्यवस्था, कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे।

5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में साख और विपणन

साख: कृषि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि समय-समय पर कृषि और गैर-कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूँजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है।

स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे/सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊँची दर से ब्याज वसूलने और ऋण-खाते

में हेराफेरी का ऐसा कुचक्र चला रहे थे, कि वे कभी भी ऋणपाश से मुक्त नहीं हो पाते थे। भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु-संस्था व्यवस्था का सहारा लिया गया। आगे चलकर 1982 में

आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु-एजेन्सी संस्थान जैसे, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (आर.आर.बी.) सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूहों

बॉक्स 5.1 निर्धन महिलाओं का बैंक

केरल प्रांत में महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नाम 'कुदुंब श्री' है। 1995 में सरकारी बचत एवं साख सोसायटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई थी। इस बचत एवं साख सोसायटी ने छोटी-छोटी बचतों को मिलाकर एक करोड़ रुपये की विशाल राशि एकत्र कर ली। इसे अब सदस्य संख्या और संगठित बचत के आधार पर एशिया का विशालतम अनौपचारिक बैंक माना जाता है।

स्रोत: www.kudumbashree.org आप भी इस संस्था की वेबसाइट से इसके द्वारा प्रारंभ में उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी पा सकते हैं। क्या आप उन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानें और कक्षा में चर्चा करें।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण साख व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की।

(एस.एच.जी.) का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई है। चूँकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा



इन्हें कीजिए

- आप अपने आस-पास के क्षेत्र में पाएँगे कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ ऋणों का प्रावधान कर रही हैं। इनकी कुछ बैठकों में जाएँ। इस संस्था के कार्यकलापों पर एक विवरण तैयार करें। इस विवरण में आप उल्लेख करें कि संस्था कब आरम्भ हुई थी, इसमें कितने सदस्य हैं, कितनी बचत राशि है, किस तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं और इस ऋण का उपयोग कैसे होता है।
- आप यह भी पाएँगे कि स्वरोजगार के लिए प्रदत्त ऋणों का उपयोग कुछ लोग अन्य कार्यों में कर रहे हैं। ऐसे कुछ कर्जदारों से मिलें और उनके द्वारा स्वरोजगार संबंधी क्रियाकलाप आरंभ न करने के कारणों की पहचान कर कक्षा में चर्चा करें।

सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता की भावना बढ़ाता है।

इस प्रकार एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी-छोटी (आसान) किश्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई, 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। हालिया वर्षों में लगभग 10,000-15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष (CISF) का सृजन किया जाता है। जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार की साख उपलब्धता को **अतिलघु साख कार्यक्रम** भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायता की है। इन ऋण-सुविधाओं का प्रयोग किसी

न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है- कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों नहीं करते हैं?

ग्रामीण बैंकिंग: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन: बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है, विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएँ और सुविधाएँ देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है; हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं। किंतु, अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है।

संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएँ जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पायी हैं। न



इन्हें कीजिए

- यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो संभवतः आपके पास-पड़ोस में भी ऐसी कोई त्रासदी हुई हो - या आप दूरदर्शन या समाचार-पत्रों के माध्यम से किसानों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या किए जाने की घटनाओं से परिचित अवश्य होंगे। इनमें से अधिकांश किसानों ने कृषि और अन्य प्रयोजन के लिए ऋण ले रखे थे। फसल खराब होने, आय अपर्याप्त रहने तथा वैकल्पिक रोजगार का सहारा नहीं होने पर जब वे ऋण चुका पाने में असमर्थ हो गए, तो उन्होंने जीवन को ही समाप्त कर उस ऋण से छुटकारा पाने का प्रयास किया। ऐसे मामलों के बारे में जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा करें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे बैंकों में जाएँ। ये प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला सहकारी बैंक हो सकते हैं। इनसे जानकारी एकत्र करें कि कितने ग्रामीण परिवारों ने इनसे ऋण लिया हुआ है। सामान्यतः कितनी राशि उधार ली जाती है, किस प्रकार के लोग ऋण लेते हैं, ब्याज दर कितनी रहती है और अभी तक कुल कितनी राशि बकाया है।
- जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिए हैं, यदि वे फसल बर्बाद होने या अन्य कारणों से उन्हें लौटा नहीं पा रहे हों तो उनका ऋण माफ कर देना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या जैसा कठोर निर्णय ले सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? चर्चा करें।

ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती हैं और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है।

कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इन्कार कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है?

इसलिए, सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्रक के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में, सभी वयस्कों को जनधन योजना नामक योजना के एक भाग के रूप में बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन बैंक खाता धारकों को 1-2 लाख रुपये में आकस्मिक बीमा कवरेज और 10,000 रुपये में ओवरड्राफ्ट सुविधाएँ मिल सकती हैं एवं यदि वे कोई भी सरकार-संबंधित रोजगार पाते हैं और मनरेगा (MNREGA) [वर्तमान में इसे 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वी.बी.-जी.आर.ए.एम.जी.) के नाम से भी जाना जाता है] के तहत काम करते हैं, तो उन्हें वेतन प्राप्त होगा तथा वे अपने वेतन, वृद्धावस्था पेंशन

और सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंक खाते खुलवाए हैं; अप्रत्यक्ष रूप से इसने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत और वित्तीय संसाधनों के कुशल आवंटन को बढ़ावा दिया है। बैंक इन खातों के माध्यम से 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंड का विचलन भी कर सकते हैं।

5.4 कृषि विपणन व्यवस्था

कभी आपने सोचा है, कि हम जो अनाज, फल सब्जियाँ आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग-अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुँचाये जाते हैं? इन्हें हम तक पहुँचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है।

स्वतंत्रतापूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरा फेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्रायः किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था



चित्र 5.1 नियमित अनाज मंडियाँ किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाती हैं



इन्हें कीजिए

- अपने आस-पास की फल-सब्जी मंडी में जाएँ। उस मंडी की विशेषताओं को ध्यान से देखें और पहचानें। कम से कम दस अलग-अलग फलों व सब्जियों के मूल उत्पादन क्षेत्र तथा वहाँ से मंडी तक की दूरी की जानकारी प्राप्त करें। यह भी जानने का प्रयास करें कि वे चीजें किस प्रकार के परिवहन साधनों द्वारा आप तक पहुँचती हैं और इन परिवहन की लागतों का उनकी कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- प्रायः सभी छोटे कस्बों में नियमित मंडी परिसर होते हैं। किसान वहाँ जाकर अपनी उपज बेच सकते हैं। वे कुछ समय तक उस परिसर में अपनी उपज रख भी सकते हैं। 2016 में, केंद्र सरकार ने मंडियों एवं विनियमित बाजार परिसरों (आर.एम.वाई.) को जोड़कर एक अखिल-भारतीय ऑनलाइन पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) लॉन्च किया। किसी ऐसी एक मंडी या कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) में जाएँ और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करें कि वहाँ किस प्रकार की चीजें बिक्री के लिए आती हैं और उनके कीमतों का निर्धारण किस तरह किया जाता है। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और कक्षा में उस पर चर्चा करें।

और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएँ नहीं होती थीं, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है।

आइए, हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए चार प्रमुख उपायों को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाज़ार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता, दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हालाँकि, लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडारगृहों, गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारिक संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। किंतु, अभी

तक वर्तमान आधारिक सुविधाएँ बढ़ती माँग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है। किंतु, अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं। इनके कारण हैं: सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन हैं— जैसे: (क) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना; (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायिकी युक्त (subsidised) कीमत पर वस्तुएँ

उपलब्ध कराना रहा है। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, (साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों, बड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों) का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्रक का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10 प्रतिशत अंश के आदान-प्रदान में सफल हो पा रही हैं - शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही हैं।

सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यावसायीकरण हो बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है?

वैकल्पिक क्रय-विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव: अब यह बात सभी अनुभव कर रहे



इन्हें कीजिए

- अपने आस-पास स्थित किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही किसी वैकल्पिक विपणन प्रणाली को देखें। यह नियमित मंडी परिसर से किस प्रकार भिन्न है? क्या उन्हें सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन मिलना चाहिए? यह क्यों होना चाहिए तथा कैसे दिया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए।

हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सकें तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हाड़पसार मंडी, आंध्र

प्रदेश और तेलंगाणा की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडियाँ तथा तमिलनाडु की उझावरमंडी के कृषक बाज़ार, इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड) बनाने वाली कंपनियाँ भी अब किसानों के साथ कृषि-उत्पाद की खेती (फल-सब्जियों) के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं; उन्हें पूर्व-निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। यह कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएँ किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करेंगी। साथ ही इनसे कृषि पदार्थों के बाज़ारों का भी विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी? 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए तीन कानून पारित किए थे। किसानों के कुछ वर्ग इन सुधारों का समर्थन करते हैं, वहीं बाकी किसान विरोध करते हैं। इन अधिनियमों को बाद में निरस्त कर दिया गया। इन कानूनों का विवरण इकट्ठा करें और कक्षा में बहस एवं चर्चा करें।

5.5 उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण

विविधीकरण के दो पहलू हैं: एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों (जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि) तथा गैर-कृषि क्षेत्रक में लगाना है। इस विविधीकरण की

बॉक्स 5.2 (TANWA) तमिलनाडु में कृषि कार्यों में लगी महिलाएँ

तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसमें महिलाओं को कृषि उत्पादकता, जैविक खेती और पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। थिरुचिरापल्ली में एंथोनीअम्मल द्वारा संचालित प्रशिक्षित महिला समूह कृमिखाद बनाकर बेच रहा है और इस कार्य से आय कमा रहा है। अनेक कृषक महिला समूह अतिलघु साख व्यवस्था का सहारा लेकर अपने सदस्यों की बचतों को बढ़ावा देने में सक्रिय हैं। इस प्रकार संचित बचत का प्रयोग कर वे पारिवारिक कुटीर उद्योग गतिविधियाँ जैसे मशरूम की खेती, साबुन तथा गुड़िया बनाने आदि अनेक प्रकार के आय बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित कर रही हैं। आपके क्षेत्र या आपके पड़ोस में ग्रामीण क्षेत्रों भी ऐसी ही पहल हो सकती है। किसी संगठन को चलाने वाले व्यक्तियों या महिला उद्यमियों से बात करें और कक्षा में विवरणों पर चर्चा करें।

आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका



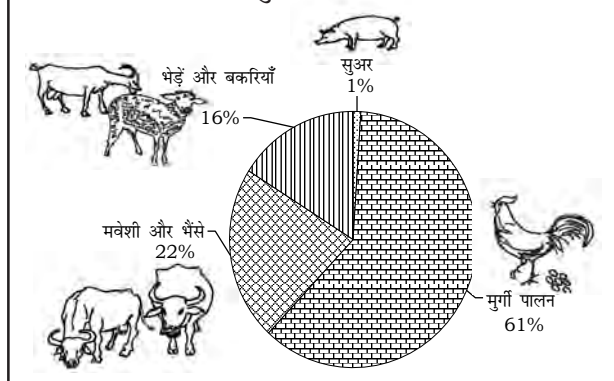
चित्र 5.2 गुड़ निर्माण कृषि क्षेत्रक का एक संबद्ध क्रियाकलाप है

के अवसर भी उपलब्ध हो पाएँगे। देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है,

किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जनसमुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएँगे। अतः जरूरत संबद्ध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नये वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है।

कृषि क्षेत्र पर तो पहले ही से बहुत बोझ है। अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर-कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर-कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर्संबंध होते हैं और उनमें 'स्वस्थ' संवृद्धि की संभावनाएँ रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उपघटकों में **कृषि-प्रसंस्करण उद्योग**, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा

चार्ट 5.1 भारत में मुर्गी पालन का वितरण और पशुधन, 2012



स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबैंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। कुछ ऐसे क्षेत्रक भी हैं जिनमें संभावनाएँ तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएँ तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं जैसे, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएँ, हथकरघा आदि। यद्यपि, अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर-कृषि रोजगार की तलाश में हैं। किंतु, हाल के वर्षों में ग्रामीण महिलाएँ भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी हैं (देखें बॉक्स 5.2)।



चित्र 5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालन आय वृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है

पशुपालन: भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशु धन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय-भैंस, बकरियाँ और मुर्गी-बत्तख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक (कृषक) गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती हैं। आज पशुपालन क्षेत्रक देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका

कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। इस क्षेत्रक में महिलाएँ भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। चार्ट 5.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58 प्रतिशत तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है। 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 110 मिलियन भैंसें थीं। पिछले तीन दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है, 1951-2021 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग बारह गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय 'ऑपरेशन फ्लड' (दूध की बाढ़) को दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर, उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान

विकसित किया है- देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुखतः दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादन क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह-उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं।

मत्स्य पालन: मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को 'माँ' या 'दाता' मानते हैं। सागर-महासागर, सरिताएँ, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषिकी में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 75 प्रतिशत अंतर्वर्ती क्षेत्रों से तथा 25 प्रतिशत महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5 प्रतिशत है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पं. बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और



चित्र 5.5 ग्रामीण परिवार में महिलाएँ मधुमक्खी पालन को एक उद्यम क्रिया के रूप में ले सकती हैं

तमिलनाडु हैं। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रतिव्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋण-प्रस्तता इन मछुआरा समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिलाएँ मछलियाँ पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60 प्रतिशत निर्यात और 40 प्रतिशत आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है।

विपणन के लिए आवश्यक पूँजी जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है।

उद्यान विज्ञान (बागवानी): प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है।



चित्र 5.4 भारत में मुर्गी पालन का पशुधन में सबसे अधिक भाग है

इनमें प्रमुख हैं फल-सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ-साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्रक समस्त कृषि उत्पाद का लगभग एक तिहाई और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल-सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्परोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, ऊतक-संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं।

यद्यपि संख्याबल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना

आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्रचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्घकालिक हों और उनकी आजीविका का साधन बन सकें। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है।

अन्य रोजगार/आजीविका विकल्प: सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से, समाज ऐसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रौद्योगिकी

बॉक्स 5.3 सांसदों द्वारा गाँव के दत्तक ग्रहण

अक्तूबर, 2014 में, भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) नामक एक नई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गाँव की पहचान करने और विकसित करने की जरूरत है। शुरू करने के लिए, सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गाँव के रूप में एक गाँव को विकसित कर सकते हैं और 2019 तक दो और गाँव विकसित करने हैं, भारत में 2,500 से अधिक गाँवों को सम्मिलित करने की योजना है। योजना के मुताबिक, गाँव के मैदानी इलाकों में 3,000-5,000 और पहाड़ी इलाकों में 1,000-3,000 की आबादी हो सकती है और सांसदों का खुद का या अपने पति/पत्नी का गाँव नहीं होना चाहिए। सांसदों द्वारा एक गाँव के विकास योजना की उम्मीद कर रहे हैं कि वो ग्रामीणों को गतिविधियों को लेने के लिए प्रेरित करने और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे।

स्रोत: www.pib.nic.in

का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है (देखें बॉक्स 5.3)।

5.6 धारणीय विकास और जैविक कृषि

कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुँचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणीयता के लिए पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकीय विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी को 'जैविक कृषि' कहा जाता

है। संक्षेप में जैविक कृषि, खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की माँग में वृद्धि हो रही है। (देखें बॉक्स 5.4)।

जैविक कृषि के लाभ: जैविक कृषि महँगे आगतों (संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों) के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई माँग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है, रासायनिक आगतों से उत्पादित

बॉक्स 5.4 जैविक भोजन

विश्व में जैविक भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है। अनेक देश अब तक खाद्य उत्पाद व्यवस्था का 10 प्रतिशत जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न करते हैं। अनेक खुदरा व्यापार शृंखलाएँ और सुपर बाजार अब जैविक खाद्य पदार्थों की बिक्री के आधार पर 'हरित स्थिति' प्रमाण चिन्हों से अंकृत हो चुके हैं। साथ ही, जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत परंपरागत पदार्थों की तुलना में 10-100 प्रतिशत तक अधिक होती है।

बॉक्स 5.5 महाराष्ट्र में जैविक विधि से उत्पादित कपास

जब 1995 में 'प्रकृति' नामक गैर-सरकारी संगठन के किशन मेहता ने यह सुझाव दिया कि रासायनिक कीट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली कपास की खेती भी जैविक विधि से हो सकती है, तो नागपुर के केंद्रीय कपास शोध संस्थान के निर्देशक ने अपनी अति प्रसिद्ध टिप्पणी की थी: "क्या आप सारे भारत को वस्त्र-विहीन कर देना चाहते हैं?" इस समय तक के 130 किसान 1200 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ के मानकों के अनुरूप जैविक विधि से कपास उगाने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। इनके उत्पादन को जर्मनी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एग्रेको ने परीक्षण के बाद उच्च कोटि का पाया है। किशन मेहता का कहना है कि भारत के 78 प्रतिशत किसान 0.8 हेक्टेयर के छोटे खेतों के स्वामी सीमांत किसान ही हैं। इनकी समस्त भूमि देश के कृषि क्षेत्र का 20 प्रतिशत है। अतः दीर्घकाल में ऐसे किसानों के लिए मौद्रिक तथा मृदा संरक्षण की दृष्टि से जैविक कृषि ही अधिक लाभकारी सिद्ध होगी। अपने क्षेत्र के किसी ऐसे खेत में जाएँ, जहाँ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, और खेती से संबंधित तरीकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें तथा अपनी कक्षा में रिपोर्ट पेश करें।

स्रोत: फ्रंटलाइन जुलाई 29, 2005 में प्रकाशित लॉयला बाबदम लेख : 'ए ग्रीन आल्टरनेटिव' से उद्धृत।

खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में षोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूँकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है-अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अंततः ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं (देखें बॉक्स 5.5)।

जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छाशक्ति

और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ-साथ उनके विपणन की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएँ इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है। अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। बे-मौसमी फसलों का जैविक कृषि में



इन्हें कीजिए

- भारत में जैविक विधि से उत्पादित पाँच लोकप्रिय वस्तुओं की सूची बनाइए।
- अपने आस-पास किसी सुपर बाज़ार, सब्जियों की दुकान या विभागीय भंडार में जाएँ। जैविक और रासायनिक विधि से उत्पादित कुछ वस्तुओं की कीमतों की जानकारी के साथ-साथ यह जानकारी भी प्राप्त करें कि वे कितने समय तक खराब हुए बिना रह सकती हैं और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रकार से उनका प्रचार किया जाता है।
- अपने आस-पास कहीं बस्ती में किसी बागवानी फार्म पर जाएँ। वहाँ उत्पादित वस्तुओं की सूची बनाएँ। क्या उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने कृषि स्वरूप का विविधीकरण किया है? उनसे विविधीकरण के लाभ और हानियों पर चर्चा करें।

उत्पादन बहुत सीमित होता है। फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है और भारत तो निश्चय ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है।

क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधि का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा?

5.7 निष्कर्ष

एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्यों की ओर उन्मुख कर वहाँ एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैं: डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन केंद्रों व शहरी बाजारों (विदेशी निर्यात बाजारों सहित) के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार, कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ

अर्जित करना संभव हो जाएगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे, साख एवं विपणन, कृषक-हित-नीतियाँ तथा कृषक समुदायों एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्रक की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है।

आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक-पृथक विषय मान कर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के अविष्कार या प्राप्ति की भी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाएँ। इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुनना ही होगा (तात्पर्य ग्रामीण विकास के प्रयोग की उन सफल कहानियों से है, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी हैं), ताकि इस 'व्यावहारिक प्रशिक्षण' प्रक्रिया को और गति प्रदान की जा सके।



पुनरावर्तन

- ग्रामीण विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत शब्द है। पर मूल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ रहे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कार्यविधि माना जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक संभाव्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, संचार आदि की आधारिक संरचना के परिमाण और गुणवत्ता को सुधारना होगा।
- पशुपालन, मत्स्य-पालन और अनेक गैर-कृषि कार्यों को अपनाया जाना चाहिए। इस विविधीकरण से न केवल कृषि के जोखिम कम होंगे बल्कि साथ ही हमारे विशाल ग्रामीण जनसमुदाय को उत्पादक धारणीय आजीविका के नए विकल्प भी सुलभ हो पाएँगे।
- पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय उत्पादन प्रक्रिया के रूप में आज जैविक कृषि का महत्व निरंतर बढ़ रहा है - इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।



अभ्यास

1. ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट करें।
2. ग्रामीण विकास में साख के महत्व पर चर्चा करें।
3. गरीबों की ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने में अतिलघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें।
4. सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या करें।
5. आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है?
6. भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
7. कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है?
8. कृषि विपणन प्रक्रिया की कुछ बाधाएँ बताइए।
9. कृषि विपणन की कुछ उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों की उदाहरण सहित चर्चा करें।
10. 'स्वर्णिम क्रांति' तथा 'हरित क्रांति' में अंतर स्पष्ट करें।
11. क्या सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय पर्याप्त हैं? व्याख्या कीजिए।
12. ग्रामीण विविधीकरण में गैर-कृषि रोजगार का महत्व समझाइए।
13. विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन, मत्स्यपालन और बागवानी के महत्व पर टिप्पणी करें।
14. 'सूचना प्रौद्योगिकी, धारणीय विकास तथा खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है।' टिप्पणी करें।
15. जैविक कृषि क्या है? यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है?
16. जैविक कृषि के लाभ और सीमाएँ स्पष्ट करें।
17. जैविक कृषि का प्रयोग करने वाले किसानों को प्रारंभिक वर्षों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
18. "जनधन योजना ग्रामीण विकास में मदद करती है।" क्या आप इस कानि से सहमत हैं? समझाइए।



संदर्भ

- आचार्य एस.एस., 2004. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन नई दिल्ली।
- अलघ वाई के 2004. स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी- एन ओवर व्यू, एकेडमिक फाउंडेशन नई दिल्ली।
- चावला एन.के. एम.पी.जी. क्रय एंड विजय पोल शर्मा 2004. एनीमल हसबैंडरी, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
- देहा पी.वी धरै, एंड, वाई.एस.यादव 2004. फिशरीज डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर्स, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन नई दिल्ली।
- जलान विमल (ईडी.) 1992. दि इंडियन इकोनोमी, प्रोबलम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स पिजियन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- नारायण एस. 2005. ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, नाबार्ड ओकेजनल पेपर नंबर: 38, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई।
- सिंह एच.पी. एंड प्रेमनाथ, पी. दत्ता, एम. सुधा 2004. हार्टीकल्चर डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन नई दिल्ली।
- सिंह सुरजीत एंड विद्यासागर 2004. एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया स्टेट ऑफ दी इंडियन फार्मर, ए मिलेनियम स्टडी, एकेडमिक फाउंडेशन, नई दिल्ली।
- सिन्हा वी. के, 1998. चैलेंजेंस इन रूरल डेवलपमेंट, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- टोडासे मिकाइल पी. 1987. इकोनोमिक डेवलपमेंट इन दी थर्ड वर्ल्ड, ओरियेंट लॉन्गमैन लिमिटेड हैदराबाद।
- ईटोपो 2004. आर्गेनिक वैजीटेबिल गार्डनिंग; ग्रो योर ओन वैजीटेबिल्स यूटिन फॉर लेबर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, मुम्बई।

सरकारी रिपोर्टें

- प्लानिंग कमीशन 2002. सक्सेस फुल गवर्नेंस इनीशिएटिव्स एंड बैस्ट प्रैक्टिसेस: एक्सपीरियेंसिस फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कार्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर एंड यूएनडीपी, दिल्ली, 2002 ।
- वार्षिक रिपोर्टें, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- बेसिक एनीमल हसबैंडरी एण्ड फिशरीज स्टेटिक्स, मीनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।



रोजगार संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- रोजगार विषयक मूल अवधारणाओं को समझेंगे, जो आर्थिक गतिविधियों, मजदूर, श्रमशक्ति और बेरोजगारी से संबंधित हैं;
- विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के स्वरूप से परिचित होंगे;
- बेरोजगारी के स्वरूप और विस्तार को जान पाएँगे और
- देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करने योग्य हो पायेंगे।

मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इसी सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएँगे, जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते।

—महात्मा गाँधी

6.1 परिचय

लोग तरह-तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इनमें सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी



चित्र 6.1 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पंजाब के जालंधर शहर के एक घर में निर्मित फुटबाल की विक्री करती हैं

शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों ने गाँव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, 2020-21 में, लाखों श्रमिकों ने घर से काम के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को वितरित किया।

व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से, कार्य किए बिना भी, धन मिल जाता है। किंतु, ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। किसी कार्य से जुड़ा रहना, हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है – इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान

करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते; अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। कार्य के इसी महत्व को समझ कर महात्मा गाँधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था।

कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएँ बनाने में भी सहायता मिलती है। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी

रोजगार संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे

सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत-वर्गों, बाल-श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं।

6.2 श्रमिक और रोजगार

रोजगार क्या है? श्रमिक कौन होता है? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युतकर्मियों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका 'सकल घरेलू उत्पाद' कहलाता है। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है, इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है (यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे) या ऋणात्मक हो सकता है (यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे) या शून्य हो सकता है (यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हों)। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं (+ या -) तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं, श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, ज़ख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योंहार या सामाजिक-धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी

रूप से काम पर नहीं आ पाते, तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, उन्हें श्रमिक कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्व-नियोजित होते हैं, वे भी श्रमिक ही होते हैं।

भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति



इन्हें कीजिए

- आपके घर और पास-पड़ोस में कितनी ही महिलाएँ ऐसी होंगी, जिनके पास तकनीकी डिग्री तथा डिप्लोमा है। उनके पास काम करने के लिए समय भी है, पर वे कुछ नहीं करतीं। उनसे पूछ कर देखें कि वे काम क्यों नहीं कर रहीं। उन सभी कारणों की सूची बनाएँ और कक्षा में चर्चा करें कि क्या उन्हें काम पर जाना चाहिए। क्यों और कैसे उन्हें काम पर भेजा जा सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों का तो आग्रह है कि घर सँभालने वाली गृहणियों का भी राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, वे भी आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रही हैं। भले ही उन्हें इसके लिए वेतन नहीं मिल रहा हो। अतः उन्हें भी श्रमबल का अंग माना जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं?

आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं, उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्याएँ जानने को उत्सुक होंगे। वर्ष 2022-23 में भारत की कुल श्रम-शक्ति का आकार लगभग 545 मिलियन आँका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसीलिए ग्रामीण श्रमबल का अनुपात भी शहरी श्रमबल से कहीं अधिक है। इन 471 मिलियन श्रमिकों में दो-तिहाई श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रमशक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रमबल में लगभग 70 प्रतिशत पुरुष तथा शेष (इसमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है) महिलाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रमबल का एक तिहाई हैं, तो शहरों में केवल 20 प्रतिशत महिलाएँ ही श्रमबल में भागीदार पाई गई हैं। महिलाएँ खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ-साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें

नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती-कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं?

6.3 लोगों की रोजगार में भागीदारी

श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है, तो इसका तात्पर्य है जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो, तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है।

सारणी 6.1

भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, 2023-2024

लिंग	कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात		
	संपूर्ण	ग्रामीण	शहरी
पुरुष	56.4	56.3	56.4
स्त्री	30.7	34.8	20.7
संपूर्ण	43.7	45.6	38.9

स्रोत: भारत सरकार (2019)

आपने 'जनसंख्या' शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें, तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार, हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जायेगा (6.1 सारणी देखें)।

सारणी 6.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 44 (43.7 को पूर्णांकित करके) श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 39 है, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 46 है। ऐसा अंतर क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में ही छोड़कर

श्रमशक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जनसमुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती।

शहरी और ग्रामीण, दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रमशक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है—केवल 21 प्रतिशत शहरी महिलाएँ ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही हैं। किंतु, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 35 प्रतिशत आँकी गई। महिलाएँ सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? यह बात देखने में आई है कि जहाँ कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है।

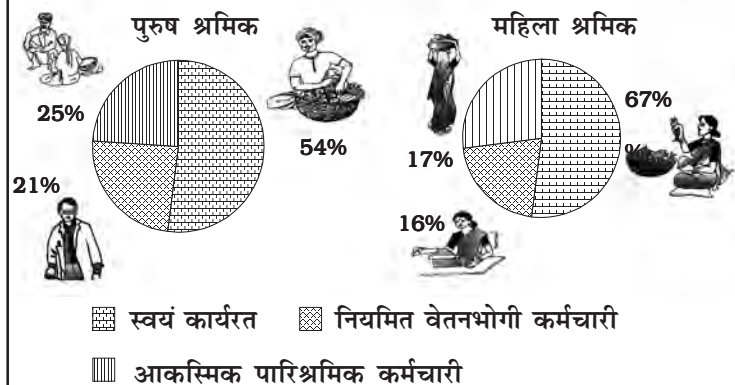
हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता। कार्य या रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला-वर्ग की श्रमबल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आँका जाता है। जरा सोचकर देखिए, कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएँ कितने ऐसे काम करती हैं, जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। चूँकि वे परिवार तथा खेतों के रख-रखाव में निश्चित रूप से योगदान



इन्हें कीजिए

- रोजगार संबंधी कोई भी अध्ययन श्रमिक जनसंख्या अनुपात से ही आरंभ होना चाहिए। क्यों?
- आपने शायद देखा होगा कि कुछ समुदायों में यदि पुरुषों की आय पर्याप्त नहीं हो, तो भी वे अपने घर की महिलाओं को बाहर काम करने के लिए नहीं भेजते। ऐसा क्यों होता है?

आरेख 6.1 रोजगार स्त्री-पुरुष वर्गानुसार वितरण



स्रोत: भारत सरकार (2019)

देती हैं, क्या आपको नहीं लगता की उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों में सम्मिलित की जानी चाहिए?

6.4 स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक

क्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज में श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशाओं के विषय में भी कुछ जानकारी देता है? यदि किसी उद्यम में श्रमिक के स्तर या पद की जानकारी मिल सके, तो निश्चय ही देश में रोजगार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। इससे हम



चित्र 6.2 ईंट निर्माण : अनियत कार्य का एक प्रकार

यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और अपने सहकर्मियों तथा उद्यम के प्रति उसके अधिकार क्या हैं? आइए, निर्माण उद्योग के तीन कर्मियों की तुलना करें: एक सीमेंट की दुकान का स्वामी है, दूसरा निर्माण मजदूर है तो तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। इन तीनों के पद अथवा प्रतिष्ठा में अंतर है, जिन्हें विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। इस प्रकार सीमेंट की दुकान का स्वामी स्वनियोजित है।



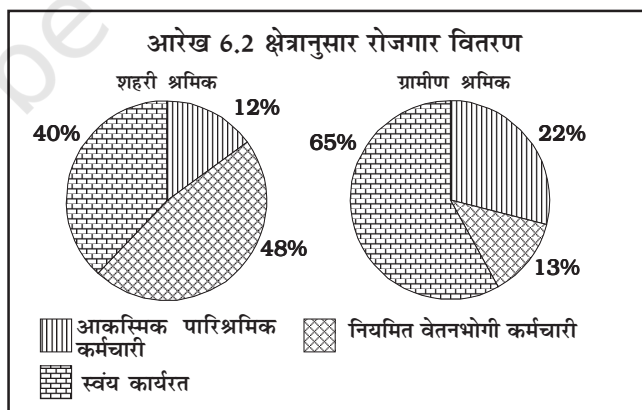
इन्हें कीजिए

- आमतौर पर हम यह मान लेते हैं कि जो लोग नियमित या अस्थायी आधार पर कृषि श्रमिक, कारखाना मजदूर या किसी बैंक अथवा कार्यालय में सहायक लिपिक हैं, वही श्रमिक हैं। इस अध्याय की अब तक की चर्चा से आप समझ चुके होंगे कि स्वनियोजित जैसे, पटरी पर सब्जियाँ बेचने वाले, वकील, डॉक्टर, इंजीनीयर आदि सभी व्यक्ति श्रमिक या कामगार होते हैं। निम्न श्रेणियों के कामगारों का स्वनियोजन, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी तथा आकस्मिक दिहाड़ी मजदूरों में वर्गीकरण को इंगित करने के लिए इनके सामने 'क' ख और 'ग' अंकित करें:

 1. नाई की दुकान का मालिक।
 2. चावल मिल का कर्मचारी, जो नियमित रूप से नियुक्त हो किंतु जिसे नियमित रूप से दैनिक मजदूरी मिलती हो।
 3. भारतीय स्टेट बैंक का एक कोषपाल।
 4. राज्य सरकार के कार्यालय का टाइपिस्ट जिसे दैनिक मजदूरी आधार पर रखा गया है, पर मासिक भुगतान किया जाता है।
 5. हथकरघा बुनकर।
 6. थोक सब्जी की दुकान पर माल ढोने वाला मजदूर।
 7. शीतल पेय की दुकान का स्वामी जो पेप्सी, कोक, मिरिंडा आदि बेचता है।
 8. किसी निजी अस्पताल में 5 वर्षों से नियमित कार्य कर रही नर्स, जिसे मासिक वेतन मिलता है।

 - अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अनियत दिहाड़ी मजदूर की दशा तीनों वर्गों में सबसे अधिक असुरक्षित है। क्या आप जानते हैं कि ये मजदूर कौन हैं, इन्हें कहाँ पाया जाता है और क्यों?
 - क्या हम कह सकते हैं कि स्वनियोजित व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरों और वेतनभोगियों से अधिक कमा लेते हैं? रोजगार की गुणवत्ता के कुछ अन्य सूचकों की भी पहचान करें।

भारत का लगभग 58 प्रतिशत श्रमबल इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर **अनियत मजदूरी** वाले श्रमिक कहलाते हैं। ये भारत की श्रमशक्ति का लगभग 20 प्रतिशत हैं। ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निर्माण कंपनी के अभियंता के रूप में काम कर रहे व्यक्ति श्रमशक्ति का मात्र 22 प्रतिशत ही हैं। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख



उसे मजदूरी (वेतन) देता है, तो वह श्रमिक **नियमित वेतन भोगी कर्मचारी** कहलाता है। (सारणी 6.3 देखें)

चित्र 6.1 को ध्यान से देखिए। इससे पता चल रहा है कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50 प्रतिशत से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख



चित्र 6.3 सिले-सिलाए वस्त्रों के कारीगर: महिलाओं को भविष्य में प्राप्त होने वाले रोजगार के केंद्र

स्रोत है। अनियत मजदूरी कार्य महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष अधिक अनुपात में लगे हुए हैं। देश के 21 प्रतिशत पुरुष नियमित वेतनभोगी हैं और इस वर्ग में 16 प्रतिशत महिलाएँ हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम है।

यदि ग्रामीण और शहरी श्रमबल के वितरण की तुलना करें तो चार्ट 6.2 के अनुसार, हमें ज्ञात होता है कि अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हैं। शहरों में स्वनियोजित रोजगार की संख्या अधिक है। गाँवों में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, अतः स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है।

शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान और

कार्यालयों का संचालक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

6.5 फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार

देश के आर्थिक विकास क्रम में श्रमशक्ति का कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवसन करते हैं। धीरे-धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्रक में बहुत तीव्र दर पर प्रसार होने लगता है। श्रमशक्ति के कार्यानुसार या उद्योगवार वितरण से रोजगार स्वरूप के ये परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। समान्यतया आर्थिक क्रियाओं को आठ विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। ये हैं: (क) कृषि (ख) खनन और उत्खनन (ग) विनिर्माण (घ) विद्युत, गैस एवं



इन्हें कीजिए

➤ सभी समाचार-पत्रों में रोजगार अवसरों से जुड़ा एक भाग होता है। कुछ तो प्रति सप्ताह (दैनिक भी) रोजगार पर एक विशेष परिशिष्ट भी निकालते हैं - चाहे द हिन्दू का 'ऑपेर्चुनिटीज' हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया का 'एसेंट'। अनेक कंपनियाँ अपनी रिक्तियों का विज्ञापन इनमें करती हैं। इन स्तंभों को काट लीजिए और एक सारणी बनाइए, जिसके चार स्तंभ हों: कंपनी, (सार्वजनिक या निजी), पद का नाम, रिक्तियाँ, क्षेत्रक, (प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक) और आवश्यक योग्यताएँ। इस सारणी के आधार पर कक्षा में समाचार-पत्रों में विज्ञापित रोजगार अवसरों पर चर्चा करें।

जलापूर्ति (ङ) निर्माण कार्य (च) वाणिज्य (छ) परिवहन और भंडारण तथा (ज) सेवाएँ। सरलता के लिए सभी कार्ययुक्त व्यक्तियों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं: (1) प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें (क) तथा (ख) सम्मिलित है। (2) द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें (ग) (घ) तथा (ङ) को शामिल किया जाता है। (3) इसे सेवा क्षेत्रक कहते हैं और इसमें शेष तीनों उपवर्ग (ग), (घ) तथा (ङ) को रखा जाता है। सारणी 6.2 में हम भारत में वर्ष 2022-23 में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के विषय में जानकारी दे रहे हैं।

भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्रक ही है। द्वितीयक क्षेत्रक केवल लगभग 24 प्रतिशत श्रमबल को नियोजित कर रहा है। लगभग 30 प्रतिशत श्रमिक सेवा क्षेत्रक में संलग्न हैं। सारणी 6.2 भी यह स्पष्ट कर रही है कि ग्रामीण भारत की लगभग 60 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। लगभग 21 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक ही विनिर्माण उद्योगों, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। केवल 19 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिकों को सेवा क्षेत्र से ही रोजगार मिलता है। किंतु, शहरी क्षेत्रकों में कृषि और खनन रोजगार के

सारणी 6.2

उद्योग में कार्यबल का वितरण, 2023-24 (%)

औद्योगिक वर्ग	निवास स्थान		लिंग		कुल
	ग्रामीण	शहरी	पुरुष	महिला	
प्राथमिक क्षेत्रक 	59.8	6.7	36.3	64.4	46.1
द्वितीयक क्षेत्रक 	21.4	32.4	28.8	15.6	24.1
तृतीयक/सेवा क्षेत्रक 	18.8*	60.9	34.9	20.0*	29.8*
कुल	100	100	100	100	100

(* पूर्णांकित डेटा)

प्रमुख स्रोत नहीं हैं, जहाँ अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। 61 प्रतिशत शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में हैं। लगभग एक-तिहाई शहरी श्रमिक द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित हैं।

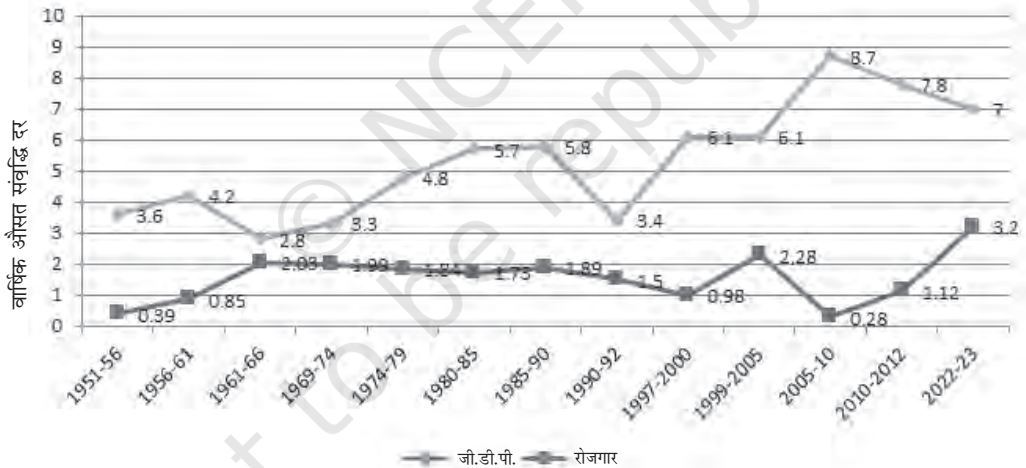
यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों ही प्रकार के श्रमिक संकेंद्रित हैं, पर वहाँ महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। इस प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 64 प्रतिशत महिलाएँ कार्यरत हैं—जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या 36 प्रतिशत है। पुरुषों को द्वितीयक और सेवा क्षेत्र दोनों में ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं।

6.6 संवृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना

आपने अध्याय 2 और 3 में विस्तार से नियोजन-रणीतियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम केवल दो विकास सूचकों पर विचार करेंगे। ये हैं, रोजगार संवृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद। लगभग सत्तर वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार रहा है।

1950-2010 की अवधि में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह संवृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है।

चार्ट 6.3: रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में संवृद्धि, 1951-2023 (%)



सारणी 6.3

रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियाँ (क्षेत्रक और स्थिति), 1972–2024 (प्रतिशत में)

मद	1972–73	1983	1993–94	2011–12	2017–18	2023–24
क्षेत्रक						
प्राथमिक	74.3	68.6	64	48.9	46.1	46.1
द्वितीयक	10.9	11.5	16	24.3	24.9	24.1
सेवा	14.8	16.9	20	26.8	29.0	29.8*
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
स्थिति						
स्वनियोजित	61.4	57.3	54.6	52.0	55.6	58.4
नियमित वेतनभोगी कर्मचारी	15.4	13.8	13.6	18.0	21.1	21.7
अनियत दिहाड़ी मजदूर	23.2	28.9	31.8	30.0	23.3	19.9*
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(* पूर्णांकित डेटा)

किंतु, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कुछ उतार-चढ़ाव भी आते रहे हैं। पर इस अवधि में रोजगार की वृद्धि लगभग 2 प्रतिशत बनी रही।

चार्ट 6.3, 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में एक अन्य चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इंगित कर रहा है: रोजगार वृद्धि दर कम होकर उसी स्तर पर पहुँच गई, जहाँ से योजनाकाल के प्रारंभिक चरणों में थी। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दरों के बीच काफी बड़ा अंतर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में समक्ष रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान 'रोजगारहीन संवृद्धि' का नाम दे रहे हैं।

अभी तक हमने देखा कि रोजगार सकल घरेलू

उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रमबल पर किस प्रकार के प्रभाव डाले। इससे हम समझ पाएँगे कि हमारे देश में किस प्रकार के रोजगार अवसरों का सृजन हो रहा है।

आइए, पिछले खंड में बताए गए दो सूचकों पर एक बार फिर से विचार करें। ये सूचक हैं, विभिन्न उद्योगों में लोगो को मिले रोजगार तथा उनकी स्थितियाँ। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है और यह अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा है।



इन्हें कीजिए

- क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में रोजगार वृद्धि की दर को 2 प्रतिशत स्तर पर बनाए रखना इतना आसान काम नहीं है? क्यों?
- यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार के सृजन बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सफलता मिल जाए, तो क्या होगा? यह रोजगारहीन संवृद्धि कैसे संभव हो पाती है?
- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि श्रम के अनियतीकरण से जनता की आय में वृद्धि हो रही हो, तो इस प्रक्रिया का स्वागत होना चाहिए। कल्पना करें कि एक सीमांत किसान को पूर्णकालिक कृषि मजदूर बना दिया जाए। क्या आप सोचते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी के इस कार्य से यदि उसकी आय में वृद्धि हो जाए, तो क्या वह अधिक प्रसन्न होगा? या, औषधि उद्योग के एक श्रमिक को दिहाड़ी मजदूर बना दिया और उसकी संपूर्ण आय भी बढ़ जाये, तो क्या वह प्रसन्न होगा? कक्षा में इन दोनों उदाहरणों के सभी पक्षों पर चर्चा करें।

औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर श्रमबल का वितरण यह दिखाता है कि श्रमबल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बढ़े पैमाने पर बढ़ रहा है (सारणी 6.3 देखें)। जहाँ 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्रक में 74 प्रतिशत श्रम बल लगा था, वहीं 2023-24 में यह अनुपात घटकर 46 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक और सेवा क्षेत्रक भारत के श्रमबल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इन क्षेत्रकों की हिस्सेदारी क्रमशः 11 से बढ़कर 24 प्रतिशत और 15 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है।

विभिन्न स्थितियों में श्रमबल के वितरण को देखें तो पिछले पाँच दशकों (1972-2023) में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन-रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी स्वरोजगार, रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। सारणी 6.3 के अंतिम कॉलम को देखें। वर्ष 2011-23 के दौरान माध्यमिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वरोजगार में मध्यम वृद्धि से क्या समझते हैं? कक्षा में चर्चा करें। विशेषज्ञ स्वरोजगार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को **श्रम बल के अनियतीकरण** का नाम देते

बॉक्स 6.1 औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार

संघीय श्रम मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में स्थित रोजगार कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधित जानकारियाँ एकत्र करता है। क्या आप जानते हैं कि औपचारिक क्षेत्रक में सबसे बड़ा रोजगारदाता कौन है? वर्ष 2012 में इस क्षेत्रक में कार्य कर रहे 30 मिलियन कर्मचारियों में से 1.8 करोड़ कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रक में कार्यरत थे। यहाँ भी पुरुषों का ही वर्चस्व है – महिलाएँ औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों की केवल 1/16 अंश ही थीं। अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 1991 से आर्थिक सुधार प्रक्रिया ने औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों की संख्या को कम किया है। आपका क्या मत है?

हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। यह कैसे हो रहा है? बॉक्स 6.2 में वर्णित अहमदाबाद का विशेष अध्ययन देखें। आप इसी बीच में (2017–23) नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के हिस्से में मध्यम वृद्धि को भी देखिए। आप इस प्रक्रिया को कैसे समझाएँगे?

6.7 भारतीय श्रमबल का अनौपचारिकरण

पिछले खंड में हमने पाया कि श्रमबल में अनियत श्रमिकों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय जनसामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया है। यह कहा गया था कि औद्योगीकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भाँति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। किंतु, हम यह पिछले अनुभाग में देख ही चुके हैं कि योजनाबद्ध विकास के सत्तर वर्षों बाद भी देश के श्रमबल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी-रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है।

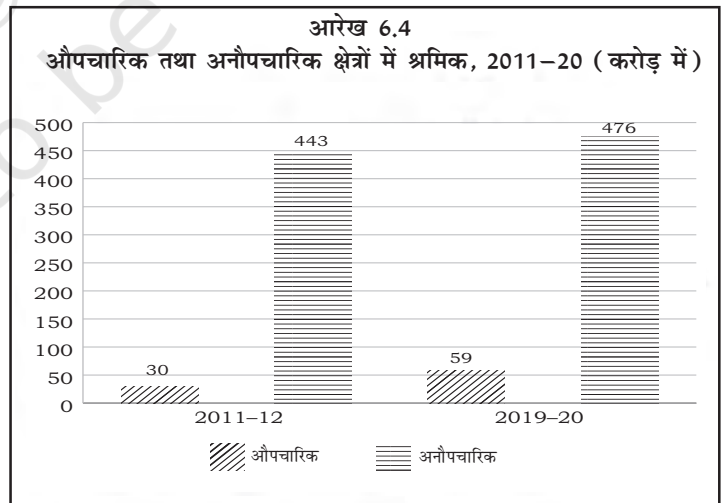
अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि अनेक वर्षों से रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है। आखिर 10–20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी और पेंशन आदि से वंचित क्यों रह जाते हैं? निजी क्षेत्रक में कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक



चित्र 6.4 सड़कों के किनारे दुकानदारी: अनौपचारिक क्षेत्रक में बढ़ती विविधता

क्षेत्रक में उसी काम को करने वाले से कम वेतन क्यों पाता है?

आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रमबल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पा रही है। सरकार **श्रम कानूनों** के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। यही वर्ग अपने **श्रमिक संघों** को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। ये कौन लोग हैं?



बॉक्स 6.2 अहमदाबाद में अनौपचारिकरण

अहमदाबाद एक समृद्ध नगर है। यहाँ की समृद्धि का आधार 60 से अधिक कपड़े के कारखाने का उत्पाद है, जिनमें 1,50,000 श्रमिक काम करते हैं। पिछली एक शताब्दी में इन श्रमिकों ने एक निश्चित सीमा में आय की सुरक्षा हासिल कर ली थी। इनके निश्चित रोजगार थे और इन्हें मिल रहे वेतन निर्वाह के लिए पर्याप्त थे। साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने लगे, जो उनकी स्वास्थ्य और वृद्धावस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे।

उनका एक सशक्त श्रमिक संघ भी था जो न केवल श्रम विवादों में उनका प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक जनहितकारी क्रियाओं का संचालन भी करता था। किंतु, 1980 दशक के प्रारंभ में संपूर्ण देश में कुछ कपड़ा मिले बंद होने लगीं। मुम्बई जैसी कुछ जगहों में मिलें तेजी से बंद हो गईं। अहमदाबाद में मिल बंदी की यह प्रक्रिया कुछ धीमी रही और दस वर्षों तक खिंच गई। इस अवधि में, कम से कम 80,000 स्थायी तथा 50,000 गैर स्थायी कपड़ा मजदूरों का रोजगार छिन गया और वे अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेने को विवश हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में नगर में आर्थिक मंदी और जन आक्रोश के साथ-साथ सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे।

श्रमिकों के एक पूरे वर्ग को मध्यवर्गीय सुरक्षित जीवन शैली से उखाड़ कर अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धनता झेलने के लिए छोड़ दिया गया। कितने ही कपड़ा श्रमिक शराब की लत के सहारे अपने कष्ट भुलाने के प्रयास करने लगे, कुछ ने शराब के माध्यम से आत्महत्या का रास्ता चुना और कितने ही परिवारों को बच्चों की शिक्षा अधूरी रोक कर उन्हें भी काम की तलाश के लिए भेजना पड़ा।

स्रोत: रेनाना झालवालॉ, रत्ना एम. सुदर्शन एंड जी मील उन्नी (एडि.) *इंफोर्मल इकॉनामी एट सेंटर स्टेज; न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ़ एंप्लायमेंट, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली 2003, पृष्ठ 265।*



एक घर में शक्ति संतुलन में परिवर्तन : एक बेरोजगार कारखाना श्रमिक घर में लहसुन छीलता हुआ, जबकि उसकी पत्नी को बीड़ी बनाने का एक काम मिल गया।

को औपचारिक तथा अनौपचारिक वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। इन्हीं को संगठित और असंगठित क्षेत्रक भी कहा जाता है। सभी **सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान** तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले **निजी क्षेत्रक प्रतिष्ठान** संगठित क्षेत्रक माने जाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में

काम करने वालों को संगठित क्षेत्रक के कर्मचारी कहा जाता है। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक मिल कर अनौपचारिक क्षेत्रक की रचना करते हैं। इस प्रकार इस अनौपचारिक क्षेत्रक में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे-छोटे काम-धंधे चलाने वाले और उनके



इन्हें कीजिए

इनमें से असंगठित क्षेत्रकों की क्रियाओं में लगे व्यक्तियों के सामने चिन्ह अंकित करें:

- एक ऐसे होटल का कर्मचारी, जिसमें सात भाड़े के श्रमिक एवं तीन पारिवारिक सदस्य हैं।
- एक ऐसे निजी विद्यालय का शिक्षक, जहाँ 25 शिक्षक कार्यरत हैं।
- एक पुलिस सिपाही
- सरकारी अस्पताल की एक नर्स
- एक रिक्शाचालक
- कपड़े की दुकान का मालिक, जिसके यहाँ नौ श्रमिक कार्यरत हैं।
- एक ऐसी बस कंपनी का चालक, जिसमें 10 से अधिक बसें और 20 चालक, संवाहक तथा अन्य कर्मचारी हैं।
- दस कर्मचारियों वाली निर्माण कंपनी का सिविल अभियंता
- राज्य सरकारी कार्यालय में अस्थायी आधार पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर
- बिजली दफ्तर का एक क्लर्क

श्रमिक, छोटे-छोटे काम-धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति, जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं है, सम्मिलित हैं। इसमें सभी गैर-कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिरपर बोझा ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। आप देखेंगे की यह श्रमिकों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। हालाँकि, वर्गीकरण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, कक्षा में संभावित तरीकों पर चर्चा करें।

सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों को मिलते हैं। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्रक के कर्मचारियों से अधिक होती है। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया था कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्रक में सम्मिलित होते जाएँगे और अनौपचारिक क्षेत्रक के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा।

किंतु, वास्तव में भारत में क्या हुआ? पीछे दिये गये आरेख को देखें जिसमें संगठित तथा असंगठित क्षेत्रकों में श्रमबल का वितरण दर्शाया गया है।

सन् 2019-20 में 535 मिलियन श्रमिक थे। केवल 59 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्रक में कार्य कर रहे थे (आरेख 6.4)। क्या आप इनका प्रतिशत अनुपात आकलित कर पाएँगे? ये मात्र 11 प्रतिशत हैं ($59/535 \times 100$)। दूसरे शब्दों में, देश के 89 प्रतिशत श्रमिक



चित्र 6.5 बेरोजगार मिल श्रमिक, अनियत रोजगार की प्रतीक्षा में



चित्र 6.6 गन्ने की कटाई करने वाले मजदूर; कृषि श्रमिकों में प्रचलित बेरोजगारी आम होती है

अनौपचारिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। 2011-12 में, जिस वर्ष के लिए लिंग-आधारित औपचारिक-अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का डेटा उपलब्ध है, उसके अनुसार औपचारिक क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत और अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ थीं।

1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही। इसीलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्रक पर ध्यान देना आरंभ किया। किंतु, अनौपचारिक क्षेत्रक के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती और उन्हें सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता। श्रमिकों को बिना क्षति पूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है। अनौपचारिक क्षेत्रक उपक्रमों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है तथा ये किसी प्रकार के लेखा-खाते भी

नहीं रखते हैं। इस क्षेत्रक के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों में तथा झुगियों में रहते हैं। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्रक के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है।

6.8 बेरोजगारी

आपने समाचार-पत्रों में रोजगार की तलाश करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा। कुछ लोग अपने मित्रों और

सगे संबंधियों के माध्यम से रोजगार तलाशते हैं। कई शहरों में कुछ चुने हुए स्थानों पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई दे जाते हैं, जिन्हें उस दिन के लिए काम देने वाले की प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दफ्तरों-कारखानों में अपना जीवन-वृत्त सौंप कर वहाँ पता लगा रहे होते हैं कि क्या उनके योग्य कोई स्थान रिक्त है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम के बारे में पूछताछ नहीं करते हैं और घर पर ही बैठे रहते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं होता। कुछ व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में उनके माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (पहले इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के रूप में जाना जाता था) ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। वे कार्यरत व्यक्ति नहीं हैं, परंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के

माध्यम से या संभावित रोजगारदाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अपनी इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं। किसी बेरोजगार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीकों से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं, जो आधे दिन की अवधि में एक घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता।

भारत में बेरोजगारी के आँकड़ों के तीन स्रोत हैं; भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आँकड़े। यद्यपि इन स्रोतों से बेरोजगारी के भिन्न-भिन्न अनुमान किए हैं, ये हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में जानकारीयें उपलब्ध कराते हैं।

क्या हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भिन्न-भिन्न प्रकार की है? इस अनुच्छेद के प्रथम गद्यांश में वर्णित स्थिति को, खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास चार एकड़ का भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में दो श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु यदि वह अपने परिवार के पाँच सदस्यों (पत्नी, बच्चों आदि) को कृषि कार्य में लगा ले तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। 1950 के दशक के अंत में किए गए एक



चित्र 6.7 बांध निर्माण कार्य में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है

अध्ययन के द्वारा भारत में एक तिहाई कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया था।

आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहाँ रहते हैं। पर, वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वे अपने गाँव लौट आते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण यही है कि कृषि का कार्य मौसमी होता है – वर्ष भर गाँव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब खेत में काम नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का ये प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है।

यद्यपि हमने देखा है कि रोजगार संवृद्धि दर बहुत धीमी रही है – पर क्या आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति

बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठे रह पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख सकते हैं जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इनमें बहुत ही असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तथा जोखिम भरे कार्य भी होते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निम्न आय परिवारों के बेहतर रहन-सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं और इसके लिए पहल की है। इस विषय में अगले परिच्छेद में चर्चा की जायेगी।

6.9 सरकार और रोजगार सृजन

हाल ही में, भारत की संसद ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया है। यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए यह सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। इनके प्रयासों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियाँ करती है।

सरकार अनेक उद्योग, होटल, और परिवहन कंपनियाँ भी चला रही है। इन सबमें भी यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं। जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है, तो उन उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे भी अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनी में रोजगार में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। साथ ही, उस इस्पात मिल को उत्पादनों की पूर्ति करने वाली और उससे इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को भी अपने-अपने उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन है।

आपने ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है। उन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम केवल रोजगार ही उपलब्ध नहीं कराते, इनके सहारे प्राथमिक जनस्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय तथा रोजगार सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ खरीदने में सहायता, दिहाड़ी रोजगार के सृजन के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास, गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह-निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के कार्य पूरे किए जाते हैं।

रोजगार संवृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे

6.10 निष्कर्ष

भारत की श्रमबल संरचना में परिवर्तन आ चुका है। सेवा क्षेत्रक में रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो रहा है। सेवा क्षेत्रक का विस्तार तथा इसमें नयी प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव का कारण अब निर्बाध रूप से लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट उपक्रम तथा विशेषज्ञ श्रमिक ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। कार्य की आउटसोर्सिंग एक सामान्य बात हो गयी है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपने विशिष्ट विभागों (जैसे, विधि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ग्राहक सेवा-अनुभाग) को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे-छोटे रोजगार उपलब्ध

कराए, जो कि दूसरे देशों में भी स्थित हो सकता है। आधुनिक कारखाने की परंपरागत अवधारणा इस प्रकार बदल रही है कि घर ही कार्य-स्थलों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह समस्त परिवर्तन व्यक्तिगत श्रमिक के पक्ष में नहीं हो रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता के कारण रोजगार का स्वरूप और अधिक अनौपचारिक हो गया है। इसके बावजूद, पिछले कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है। लेकिन, इसके साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने के कारण सरकार को विशेष, तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।



पुनरावर्तन

- वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं और इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कर रहे हैं, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं।
- देश की जनसंख्या के पाँच में से दो व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं।
- मुख्यतः ग्रामीण पुरुष, देश के श्रमबल का सबसे बड़ा वर्ग हैं।
- भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक हैं। अनियत दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम ही रह जाते हैं।
- भारत के कुल श्रमबल का लगभग पाँच में से तीन श्रमिक कृषि और संबद्ध कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है।
- हाल के कुछ वर्षों से रोजगार वृद्धि में शिथिलता आई है।
- सुधारोपरांत भारत में सेवा क्षेत्रक में नए रोजगार के अवसरों का उदय हुआ है। ये नए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं तथा इनके कार्य की प्रकृति अधिकांशतः अनियत है।
- सरकार देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्रक नियोजक है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का आम प्रकार है।
- भारत की श्रमबल की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है।
- अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती है।



अभ्यास

1. श्रमिक किसे कहते हैं?
2. श्रमिक-जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें।
3. क्या ये भी श्रमिक हैं: एक भिखारी, एक चोर, एक तस्कर, एक जुआरी? क्यों?
4. इस समूह में कौन असंगत प्रतीत होता है: (क) नाई की दुकान का मालिक (ख) एक मोची (ग) मदर डेयरी का कोषपाल या अपने क्षेत्र के दुग्ध सहकारी समिति (घ) ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक, (ङ) परिवहन कंपनी संचालक (च) निर्माण मजदूर।
5. नये उभरते रोजगार मुख्यतः:.....क्षेत्रक में ही मिल रहे हैं। (सेवा / विनिर्माण)
6. चार व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को क्षेत्रक कहा जाता है। (औपचारिक/अनौपचारिक)
7. राज स्कूल जाता है। पर जब वह स्कूल में नहीं होता, तो प्रायः अपने खेत में काम करता दिखाई देता है। क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे? क्यों?
8. शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएँ काम करती दिखाई देती हैं। क्यों?
9. मीना एक गृहिणी है। घर के कामों के साथ-साथ वह अपने पति की कपड़े की दुकान के काम में भी हाथ बैठाती है। क्या उसे एक श्रमिक माना जा सकता है? क्यों?
10. यहाँ किसे असंगत माना जाएगा: (क) किसी अन्य के अधीन रिक्षा चलाने वाला (ख) राजमिस्त्री (ग) किसी मेकेनिक की दुकान पर काम करने वाला श्रमिक (घ) जूते पालिश करने वाला लड़का।
11. निम्न सारणी में 1972-73 में भारत के श्रमबल का वितरण दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़कर श्रमबल के वितरण के स्वरूप के कारण बताइए। ध्यान रहे कि ये आँकड़े लगभग 50 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं।

निवास स्थान	श्रमबल (करोड़ में)		
	पुरुष	महिलाएँ	कुल योग
ग्रामीण	12.5	6.9	419.5
शहरी	3.2	0.7	3.9

12. इस सारणी में 1999-2000 में भारत की जनसंख्या और श्रमिक जनानुपात दिखाया गया है। क्या आप भारत के (शहरी और सकल) श्रमबल का अनुमान लगा सकते हैं?

क्षेत्र	अनुमानित जनसंख्या (करोड़ में)	श्रमिक जनसंख्या अनुपात	श्रमिकों की अनुमानित संख्या (करोड़ में)
ग्रामीण	71.88	41.9	$71.88 \times 41.9/100 = 30.12$
शहरी	28.52	33.7	?
योग	100.40	39.5	?

13. शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं?
14. नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएँ कम क्यों हैं?
15. भारत में श्रमबल के क्षेत्रकवार वितरण की हाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें।
16. 1970 से अब तक विभिन्न उद्योगों में श्रमबल के वितरण में शायद ही कोई परिवर्तन आया है। टिप्पणी करें।
17. क्या आपको लगता है कि 1950-2010 के दौरान भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है? कैसे?
18. क्या औपचारिक क्षेत्रक में ही रोजगार का सृजन आवश्यक है? अनौपचारिक में नहीं? कारण बताइए।
19. विक्टर को दिन में केवल दो घंटे काम मिल पाता है। बाकी सारे समय वह काम की तलाश में रहता है। क्या वह बेराजगार है? क्यों? विक्टर जैसे लोग क्या काम करते होंगे?
20. क्या आप गाँव में रह रहे हैं? यदि आपको ग्राम-पंचायत को सलाह देने को कहा जाय तो आप गाँव की उन्नति के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप का सुझाव देंगे, जिससे रोजगार सृजन भी हो।
21. अनियत दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं?
22. आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्रक में काम कर रहा है?



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. एक क्षेत्रक का चयन करें जैसे, गली या कॉलोनी और उसे तीन-चार उपक्षेत्रकों में बाँटें। एक सर्वेक्षण का आयोजन करें। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सभी क्रियाओं का ब्यौरा एकत्र कर लें। फिर सभी उपक्षेत्रकों के लिए अलग-अलग श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करें। अपने परिणामों के आधार पर विभिन्न उपक्षेत्रकों में श्रमिक-जनसंख्या अनुपात में अंतरों की व्याख्या करें।
2. प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के अध्ययन का दायित्व छात्रों के तीन-चार समूहों को बाँट दें। एक क्षेत्र में मुख्यतः धान की खेती होती है। दूसरे में नारियल के बाग ही मुख्य कार्य हैं। तीसरे क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। चौथे क्षेत्र में नदी बहती है और वहाँ पशुपालन की बहुतायत है। छात्रों के समूहों को उन क्षेत्रों के अनुरूप रोजगार सृजन की आवश्यकता पर अपनी-अपनी रिपोर्टें तैयार करने के लिए कहें।

3. स्थानीय पुस्तकालय में जाकर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक रोजगार समाचार की मांग करें तथा पिछले दो महीनों के अंक देखें। ये सात अंक होंगे। इनमें 25 विज्ञापनों का चयन करें तथा निम्न सारणी को भरें (सारणी की आवश्यकता के अनुसार इसे बनायें)। उसके बाद, कक्षा में उपलब्ध रोजगारों की प्रकृति बारे में चर्चा करें।

मर्दे	विज्ञापन संख्या 1	विज्ञापन संख्या 2
1. कार्यालय का नाम 2. विभाग/कंपनी 3. निजी/सार्वजनिक/संयुक्त उपक्रम 4. पद का नाम 5. क्षेत्रक-प्राथमिक/द्वितीयक/ तृतीयक 6. पदों/रिक्तियों की संख्या 7. आवश्यक योग्यताएँ		

4. आपने अपने घर के आस-पास सरकार द्वारा किए जा रहे कई काम देखे होंगे। ये सड़क निर्माण, तालाबों की सफाई, स्कूल भवनों का निर्माण, अस्पताल व अन्य सरकारी कार्यालय, जलरोधक बाँधों का निर्माण, गरीबों के लिए गृह निर्माण आदि के काम हो सकते हैं। किसी एक कार्य की समालोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करें। इसमें इन विषयों पर चर्चा हो सकती है: (क) काम की पहचान किस प्रकार की गई (ख) कितनी धन राशि स्वीकृत हुई (ग) स्थानीय जनता का योगदान, यदि हो तो (घ) कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या, पुरुष और महिलाएँ (ङ) भुगतान की गई मजदूरी (च) क्या उस कार्य की उस क्षेत्र में वास्तव में आवश्यकता थी, जिस योजना के अंतर्गत यह कार्य हो रहा है, उस पर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की जा सकती है।
5. हाल के वर्षों में आपने पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में रोजगार सृजन की पहल करते हुए कई स्वयंसेवी संस्थाओं को देखा होगा। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई संस्था काम कर रही है, तो उसके प्रकल्प को देखने जाइए और उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कीजिए।



संदर्भ

चट्टा जी. के. एंड पी. पी. साहू 2002. 'पोस्ट रिफॉर्म सेटबैक्स इन रूरल अनइम्प्लाइमेंट: इश्यू दैट नीड फर्दर सिक्यूरिटी' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मई 25, पी.पी. 1998 2006।
देसाई सोनाली एंड मैत्रिय बोर्डिया दास 2004. "इज इंप्लाइमेंट ड्राइविंग इण्डियाज सर्ज", इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जुलाई 3, पी.पी. 3045 3051।

घोष, अनिल रे 1999. करेंट इश्यूज ऑफ इंप्लॉयमेंट पालिसी इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, सितंबर 4, पी.पी. 2592-2608।

हिरवे इंदिरा 2002. 'इंप्लाइमेंट एंड अनइंप्लाइमेंट सिचुएशन इन 1990: हाउ गुड आर.एन.एस.एस. डाटा' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मई 25, पी.पी. - 2027-2036।

जैकव पॉल 1986. 'कांस्पेट ऑफ वर्क एंड एस्टीमेट्स ऑफ वर्कफोर्स - एन एप्राइजल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू नन मार्केटेड आउटपुट' सर्वेक्षण, वोल्यूम 9, नं. 4, अप्रैल। कुलश्रेष्ठ ए. सी. गुलाब सिंह, आलोक कर एंड आर. एल. मिश्रा (200), 'वर्कफोर्स इन द इंडियन नेशनल एकाउंट्स स्टेटिक्स,' द जर्नल ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वोल्यूम 22, न. 2, जुलाई, पी.पी. 3-39।

प्रधान के.के. एंड एम.आर. सलूजा. 1996. 'लेबर स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया: अ रिव्यू' मार्जिन, जुलाई-सितंबर, वोल्यूम 28, नंबर 4, पी.पी. 319-347

रथ, नीलाकांत. 2001 'डेट ऑन इंप्लाइमेंट, अनइंप्लाइमेंट एंड एजुकेशन: "व्हेयर टू गो फ्रॉम हेयर?" इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जून, पी.पी. 2081-2087।

सुंदरम्, के. 2001 'इंप्लॉयमेंट अनइंप्लॉयमेंट सिचुएशन इन दि नाइनटीज: सम रिजल्ट्स फ्रॉम एन एस एस 55वें राउंड सर्वे, इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, मार्च 17, पी.पी. 931-940।

सुंदरम् के. 2001. इंप्लाइमेंट एंड पॉवर्टी इन 1990; फर्दर रिजल्ट्स फार्म एन.एस.एस. 55वें राउंड इंप्लाइमेंट-अनइंप्लाइमेंट सर्वे, 1999-2000, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अगस्त 11, पी.पी. - 3039-3049।

विसारिया प्रवीण 1996. 'स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, 1961-1994' द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, वोल्यूम-39, न. 4, पी.पी. - 425-740।

सरकारी रिपोर्ट

एनुअल रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली।

सेंसस ऑफ इंडिया 2001, प्राइमरी सेंसस अब्सट्रैक्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली।

इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फायनांस, गर्वमेंट ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन इंप्लाइमेंट एंड अनइंप्लाइमेंट सिचुएशन इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, गर्वमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार (2019), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, वार्षिक रिपोर्ट, विभिन्न वर्ष, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, कार्यान्वयन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

वेबसाइट

www.censusofindia.nic.in

www.mspi.nic.in



पर्यावरण और धारणीय विकास

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप

- पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे;
- 'पर्यावरण अधोगति और संसाधन अपक्षय' के कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- भारत के समक्ष पर्यावरण चुनौतियों की प्रकृति को समझेंगे;
- पर्यावरण मुद्दों को धारणीय विकास के व्यापक संदर्भ से जोड़ सकेंगे।

पर्यावरण को यदि यथावत् छोड़ दिया जाये, तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने-अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है।

अनजान

7.1 परिचय

पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे-जैसे हम वैश्वीकरण में जिसका संकल्प उच्च आर्थिक संवृद्धि है, प्रवेश करते हैं वैसे-वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाये गये विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को तीन भागों में बाँटा गया है। पहला भाग पर्यावरण के कार्यों व भूमिका से संबंधित है। दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाये गये कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया है।

7.2 पर्यावरण परिभाषा और कार्य:

पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और

अजैविक तत्व आते हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व-जैसे, पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं जबकि हवा, पानी, भूमि, अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है।

पर्यावरण के कार्य: पर्यावरण चार आवश्यक कार्य करता है—(क) यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीनीकरण-योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात् संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में, वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ हैं। दूसरी ओर, गैर-नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो कि निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जीवाश्म ईंधन। (ख) यह अवशेष को समाहित कर लेता है। (ग) यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। यह सौंदर्य विषयक सेवाएँ भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य।



चित्र 7.1 ताजा पानी के कुछ स्रोत जो प्रदूषण रहित हैं

पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है, जब तक कि ये कार्य उसकी **धारण क्षमता की सीमा** में हैं। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। जब

ऐसा नहीं होता, तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट पैदा होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाल डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गये हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के **अवशोषी क्षमता** के बाहर हैं।

अवशोषी क्षमता का अर्थ पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े हैं। विकास के क्रम में नदियाँ और अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए हैं और सूख गये हैं, इसने जल को एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। इसके साथ



इन्हें कीजिए

जल एक आर्थिक उपभोक्ता वस्तु क्यों बन गया है? चर्चा कीजिए।

नीचे की सारणी में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाले कुछ आम रोगों और बीमारियों के नाम भरें।

वायु प्रदूषण	जल प्रदूषण	ध्वनि प्रदूषण
दमा	हैजा	

बॉक्स 7.1: वैश्विक उष्णता

वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं। वैश्विक उष्णता **औद्योगिकी क्रांति** से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोत्तरी है। वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव-उत्प्रेरित है। यह मानव द्वारा **वनविनाश** तथा **जीवाश्म ईंधन** के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य **ग्रीन हाउस** गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन गैस तथा दूसरी गैसों (जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है) वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जायेगी। 1750 की पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड और CH_4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण में क्रमशः 31 प्रतिशत और 149 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में $1.1\text{f}(0.6^\circ\text{C})$ की वृद्धि हुई है और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम हैं- ध्रुवीय हिम का पिघलना जिसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति; उष्ण कटिबंधीय तूफानों की बारंबारता और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रभाव में बढ़ोत्तरी। वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व हैं: कोयला व पेट्रोल उत्पाद का प्रज्वलन (ये कार्बन-डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन के स्रोत हैं), वनविनाश जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है, जानवरों की अपशिष्ट से निकलने वाली मिथेन गैस और पशु की संख्या में वृद्धि जो कि वनविनाश, मिथेन उत्पादन और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। 1997 में क्योटो, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिकीकृत राष्ट्रों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की माँग की गई।

स्रोत: www.wikipedia.org

ही नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गये हैं और हम नये संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी व अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ जुड़ी है पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट (भारत में 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है) से साँस और जल-संक्रामक रोगों की घटनाएँ बढ़ी हैं। परिणामस्वरूप, व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे, **वैश्विक उष्णता** और ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। अतः यह स्पष्ट है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की **अवसर लागत** बहुत अधिक है।

यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएँ इस शताब्दी के लिए नई हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की

बॉक्स 7.2: ओजोन अपक्षय

ओजोन अपक्षय का अर्थ समतापमंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समतापमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊँचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स (CFC) जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयरकंडीशन को ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेलेन्ट्स में तथा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणामस्वरूप पराबैंगनी विकिरण(UV) पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुँचाते हैं। ऐसा लगता है कि विकारण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है, यह पादपप्लवक (फीटोप्लैंकटन) के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करता है। यह स्थलीय पौधों की संवृद्धि को भी प्रभावित करता है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई। चूँकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है। इसके कारण मांट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। इसके तहत CFC यौगिकों तथा अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा जैसे: कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन (जिन्हें मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं) तथा ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें हैलोन कहा जाता है।

स्रोत: www.ceu.hu

आवश्यकता है। प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू ही हुई थी या जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि के पूर्व और देशों द्वारा औद्योगीकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की माँग

और सेवाएँ उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सर्जन

की दर से कम थी। इसलिए, पर्यावरण समस्याएँ उत्पन्न नहीं हुई थी। लेकिन, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणामस्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की माँग संसाधनों की पुनः सर्जन की दर से बहुत अधिक हो गई; पर्यावरण की अवशोषी क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया।

यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से, पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में



चित्र 7.2 दमोदर घाटी भारत के सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों में एक है। भारी उद्योगों से प्रदूषणकारी तत्व दामोदर नदी के किनारे जमा होकर पर्यावरण-संकट उत्पन्न कर रहे हैं

माँग-पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गये हैं—अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की माँग अधिक है, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है। जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग हैं। इसीलिए, अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गये हैं।



चित्र 7.3 वन-कटाव द्वारा भूमि अपक्षय, जैव विविधता की क्षति तथा वायु प्रदूषण

7.3 भारत की पर्यावरण स्थिति

भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियाँ व उप नदियाँ, हरे-भरे वन, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज-पदार्थ, हिन्द महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे उसकी अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य-जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह-अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। भारत में ही

विश्व के समस्त लौह-अयस्क भंडार का 8 प्रतिशत उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैंगनीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन, भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ-साथ मानव स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है—एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन-संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा-क्षरण, वन्य-कटाव और वन्य-जीवन की विलुप्ति है। इनमें से प्रमुख ये हैं—(क) भूमि अपक्षय, (ख) जैविक विविधता की हानि, (ग) शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, (घ) ताजे पानी का प्रबंधन और (ङ) ठोस अपशिष्ट

बॉक्स 7.3: चिपको या अप्पिको-नाम में क्या रखा है?

आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन ने एक दूसरा नाम लिया-अप्पिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। 8 सितंबर, 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री-पुरुष, और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा, जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे।

जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुँची, तो वृक्षों को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों में यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रूक गई, लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन पास के कई जिलों में भी फैल गया।

ईंधन की लकड़ी और औद्योगिकी प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक-टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागज मिल बनने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बाँस विलुप्त हो गये। एक किसान ने यह बतलाया कि बड़ी-बड़ी पत्तियों वाले पेड़, जो कि भूमि को वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिये गये। इससे मिट्टी वर्षा जल के साथ बह गई और अब सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई। अब घास के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं पैदा होता। किसान यह भी शिकायत करते हैं कि नदियाँ और उप नदियाँ जल्दी सूख रही हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियाँ और कीटाणु जो पहले नहीं थे, फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

अप्पिको स्वयंसेवक, ठेकेदारों और वन अधिकारियों से यह चाहते हैं कि वे कुछ नियमों तथा प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण के लिए, वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिह्नित करने के पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए और किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री और उसके ऊपर की ढलान के वृक्षों को न काटा जाए।

क्या आप जानते हैं कि उद्योगों को सरकार वन भूमि प्रदान करती है, ताकि वे औद्योगिक उत्पादों के लिए वनों को कच्चे माल उपलब्ध करा सकें। भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों को और एक प्लाईवुड फैक्टरी 800 लोगों को नौकरी देती हो, परंतु यदि यह दस लाख लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देती है, तो क्या यह स्वीकार्य है? आप क्या सोचते हैं?

स्रोत: स्टेट ऑफ इंडियास एनवायरमेंट 2: द सेकेंड सिटीजंस रिपोर्ट, 1984-85, सेंटर साइंस एंड एनवायरमेंट, 1996, नई दिल्ली।



प्रबंधन। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त (प्रबंधन) कार्य-प्रणाली का परिणाम है।

भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं: (क) वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि (ख) अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण (ग) खेती-बारी (घ) वन-भूमि का अतिक्रमण (ङ) वनों में आग और अत्यधिक चराई (च) भू-संरक्षण हेतु

भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17 प्रतिशत और विश्व पशुधन के 20 प्रतिशत को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5 प्रतिशत क्षेत्र में आश्रय देता है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्तियाँ और उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू-संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

देश में प्रतिव्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं



इन्हें कीजिए

- आर्थिक विकास में पर्यावरण के योगदान को छात्रों को समझाने के लिए निम्न खेल खेला जा सकता है। एक छात्र किसी उद्यम द्वारा प्रयुक्त किसी उत्पाद का नाम ले और दूसरा छात्र उसकी जड़ों को प्रकृति और पृथ्वी में खोज सकता है।

ट्रक	←	स्टील और रबर				
स्टील	←	लोहा	←	खनिज	←	पृथ्वी
रबर	←	वृक्ष	←	वन	←	पृथ्वी
पुस्तकें	←	कागज	←	वृक्ष	←	वन ← पृथ्वी
वस्त्र	←	कपास	←	पौधा	←	प्रकृति
पेट्रोल	←	पृथ्वी				
मशीनें	←	लोहा	←	खनिज	←	पृथ्वी

- एक ट्रक ड्राइवर को काले धुएँ का उत्सर्जन करने के कारण 10,000 रुपये चालान के रूप में भुगतान करना पड़ा। क्या आपने समझा कि, उसे क्यों दंड दिया गया? क्या यह सही था? चर्चा कीजिए।

समुचित उपायों को न अपनाया जाना (छ) अनुचित फसल चक्र (ज) कृषि-रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे, रासायनिक खाद और कीटनाशक (झ) सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन (ट) भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण (ठ) संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता और (ड.) कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता।

की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है।

मृदा-क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन,

बॉक्स 7.4: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत में वायु तथा जल प्रदूषण की दो प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना की। इसके बाद, राज्य स्तर पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्यों ने अपने-अपने बोर्ड बनाये। ये बोर्ड (CPCB) जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। वे कचड़े/व्यापार निकास और उत्सर्जन के मानक निर्धारित करते हैं। ये बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए जल-धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता के संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इनका कार्य वायु की गुणवत्ता में सुधार भी है। ये देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा भी सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

ये बोर्ड जल व वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जाँच व अनुसंधान भी करते हैं और ऐसी जाँच व अनुसंधान को प्रायोजित करते हैं। इसके लिए वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम संगठित करते हैं। PCB कचरे व वाणिज्य अपशिष्टों के निपटान और उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शक सूचिका तैयार करते हैं।

उद्योगों के विनियमन द्वारा वे वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग का समय-समय पर निरीक्षण निकास और गैसीय उत्सर्जन के हेतु उपलब्ध उपायों की पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए करता है। वे उद्योग-स्थान निर्धारण व नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा वायु गुणवत्ता आँकड़े भी प्रदान करता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकी आँकड़ों का संकलन, संपादन और वितरण करते हैं। ये 125 नदियों (इसमें उपनदियाँ भी शामिल हैं), कुएँ, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नाले और नहरों में जल की गुणवत्ता की देखरेख करते हैं।

- निकट के कारखाने/सिंचाई विभाग में जाइए और जल तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाये गये उपायों का विवरण इकट्ठा कीजिए।
- वायु तथा जल प्रदूषण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को आप समाचार-पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन या अपने स्थानीय इलाकों में विज्ञापन-पत्रों में देखते होंगे। कुछ समाचार कतरनें, पैंफलेट और अन्य सूचनाएँ एकत्र करें और कक्षा में उन पर चर्चा करें।

1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है।

भारत में शहरी इलाकों में वायु-प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है।

वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2022 में 35 करोड़ हो गई। इस वर्ष के दौरान वाहन (केवल दो पहिये वाहन और कार) संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85 प्रतिशत थी। कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

भारत विश्व का दसवाँ सर्वाधिक औद्योगिक देश है। लेकिन, इसके कारण से अनचाहे और अप्रत्याशित परिणाम जैसे, अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़े हुए हैं।



इन्हें कीजिए

➤ आप किसी भी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वायु प्रदूषण के माप का स्तंभ देख सकते हैं। इस पर दिवाली से एक सप्ताह पूर्व, दिवाली के दिन और दिवाली के दो दिन बाद के समाचार काटिये। क्या आप इनके माप में कोई महत्वपूर्ण अंतर देखते हैं? अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। (बॉक्स 7.4 देखें)

उपर्युक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे, जब तक कि हम सोच-समझ कर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी होगा। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए, अपने वर्तमान जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिए किए विकास-कार्य संसाधनों तथा पर्यावरण का अपक्षय इस गति से करेंगे, जिससे पर्यावरण संबंधी तथा आर्थिक संकट दोनों पैदा हो सकते हैं।

7.4 धारणीय विकास

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा, जो जीवन को धारण करता है। अतः आवश्यकता है, ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) ने बल दिया, जिसने इसे इस प्रकार परिभाषित किया- ‘ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किये बिना पूरा करें’।

इस परिभाषा को दुबारा पढ़ें। आप देखेंगे कि ‘आवश्यकता’ और ‘भावी पीढ़ियाँ’ ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध संसाधनों के वितरण से है। सम्मेलन की रिपोर्ट-*आवर कॉमन फ्यूचर* (our common future) जिसने उपर्युक्त परिभाषा दी है, धारणीय विकास की व्याख्या “सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है।” सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसीलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारबियर ने धारणीय विकास

की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊँचा उठाने के संदर्भ में दी है जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की, बुनियादी आवश्यकताओं जैसे-रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे।

ब्रुटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में, वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों का भंडार छोड़ना चाहिए, जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है।

वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्द्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण

का सामंजस्य स्थापित करें जो (क) प्राकृतिक संपदा का संरक्षण (ख) विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा और (ग) भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्च या जोखिम को हटाने के अनुकूल हो।

हरमन डेली, एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री के अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ हैं:

- (क) मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण-क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाते हैं।
- (ख) प्रौद्योगिक प्रगति आगत-निपुण हो न कि आगत उपभोगी।
- (ग) नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।
- (घ) गैर-नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए और
- (ङ) प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए।

2015 में, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किए थे। उन लक्ष्यों का विवरण एकत्र करें और भारत के संदर्भ में उन पर चर्चा करें।

7.5 धारणीय विकास की रणनीतियाँ

ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग :

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पॉवर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। थर्मल पॉवर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन-डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पॉवर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएँ के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संघटकों के प्रदूषण का कारण हो सकता है। जल-विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्रों तथा नदी की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। हाल के वर्षों में, इन ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अपने क्षेत्र में स्थापित किसी भी इकाई का विवरण एकत्र करें (यदि कोई हो) और कक्षा में चर्चा करें।



चित्र 7.4 गोबर गैस संयंत्र में ईंधन उत्पादन के लिए गोबर का प्रयोग



इन्हें कीजिए

दिल्ली में बसें और अन्य सार्वजनिक जन परिवहन पेट्रोल या डीजल के बजाय उच्चदाब गैस CNG का उपयोग करते हैं तथा कुछ वाहन परिवर्तनीय इंजनों का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए किया जाता है। दिल्ली में भी सम/विषम व्यवस्था के अन्तर्गत तथाकथित विशिष्ट दिनों के लिए पंजीकृत वाहन संख्या के अनुरूप सड़कों पर वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। इन परिवर्तनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में धारणीय विकास की आवश्यकता पर अपनी कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. गोबर गैस:

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्रायः लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित-क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायिकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस (LPG) प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायिकी देकर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जहाँ तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और

उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है, वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक है।

शहरी क्षेत्रों में उच्चदाब प्राकृतिक गैस (CNG): दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्चदाब प्राकृतिक गैस (CNG) के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

वायु शक्ति: जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है, वहाँ पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता। हवा के साथ-साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं कि इसमें प्रारंभिक व्यय बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात् कर लेते हैं।

फोटोवोल्टीय सेल द्वारा सौर शक्ति: प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए, हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पाद और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गरमाहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश-संश्लेषण के लिए करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया

जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूरदराज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है, जहाँ ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है। यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है।

लघु जलीय प्लांट: पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनिहाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है, जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पॉवर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं, क्योंकि जहाँ वे लगाये जाते हैं वहाँ भू-उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोग से बड़े-बड़े संचरण टावर (transmission towers) और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है।

पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार: पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं। वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, न कि उसके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य-सुविधा व्यवस्था,

आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें, तो पता चलेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर रहे हैं। लेकिन, आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गये हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुँची है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है। यहाँ औषधिगुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियाँ हैं। इनमें से लगभग 8,000 जड़ी-बूटियों का प्रयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में लोक-परंपरा सहित नियमित रूप से होता है। उपचार की पश्चिमी पद्धति के अचानक आ जाने से हमने पारंपरिक प्रणालियों जैसे, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती व लोक प्रणालियों की अवहेलना शुरू की। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की माँग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे, बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल हैं। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता।

जैविक कंपोस्ट खाद: पिछले पाँच दशकों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। इससे मात्रा में उर्वर भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली, दूषित हुई। यह

भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की माँग में बढ़ोत्तरी हो रही है।

पूरे देश में अब भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अवशिष्टों जैसे, करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं, जिससे वे गोबर दे सकें। जो महत्वपूर्ण खाद है और मिट्टी को उर्वर बनाता है। केंचुए सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है।

जैविक-कीट नियंत्रण: हरित क्रांति के आगमन के बाद, अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे। भोज्य पदार्थ दूषित हो गये। मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गये। दूध, माँस और मछलियाँ भी दूषित पाई गईं।

इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रक तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें से एक उपाय पौधों के उत्पाद पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग है। नीम के पेड़ इसमें काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक रसायन बनाये गये हैं और उनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग-अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ पहुँचा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

इसके अतिरिक्त, विभिन्न जानवर और पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है जो कीट नियंत्रण में सहायक है। उदाहरण के लिए, साँप, चूहों और अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। इसी प्रकार उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें तो वे काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी है। हमें उनकी कीमत समझनी चाहिए और उनका संरक्षण होना चाहिए।

आजकल धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया है। विकास की विचारधारा में निश्चय ही यह एक दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या भी की गई है। लेकिन, इस मार्ग को अपनाने से चिरस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित होगा।

7.6 निष्कर्ष

आर्थिक विकास से, जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की माँग पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती माँग है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित है। धारणीय विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्द्धन है, जोकि पर्यावरण समस्याओं को कम करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे।



पुनरावर्तन

- पर्यावरण के चार कार्य हैं: संसाधन पूर्ति, अपशिष्ट-विसर्जन, जननिक और जैविक विविधता प्रदान करते हुए जीवन का पोषण तथा सौंदर्य सेवाएँ प्रदान करना।
- जनसंख्या विस्फोट, प्रचुर मात्रा में उपभोग और उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है।
- भारत में विकास कार्यों ने प्राकृतिक संसाधनों की निश्चित परिभाषा पर दबाव डाला है। इससे मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- भारत के पर्यावरण पर दो प्रकार के संकट मँडरा रहे हैं—पहला संकट तो निर्धनताजनित पर्यावरण क्षय का है और दूसरा संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों से हो रहे प्रदूषण का है।
- यद्यपि सरकार अनेक प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है, फिर भी धारणीय विकास का मार्ग अपनाना आवश्यक है।
- धारणीय विकास का अर्थ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने में किसी बाधा का सामना न करना पड़े।
- प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संकटों के निवारण से ही धारणीय विकास संभव हो पाएगा।



1. पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
2. जब संसाधन निस्सरण की दर उनके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है, तो क्या होता है?
3. निम्न को नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत करें।
(क) वृक्ष (ख) मछली (ग) पेट्रोलियम (घ) कोयला (ङ) लौह अयस्क (च) जल
4. आजकल विश्व के सामने '.....' और '.....' की दो प्रमुख पर्यावरण समस्याएँ हैं।
5. निम्न कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट में योगदान करते हैं? सरकार के समक्ष वे कौन-सी समस्याएँ पैदा करते हैं:
 - बढ़ती जनसंख्या
 - वायु-प्रदूषण
 - जल-प्रदूषण
 - संपन्न उपभोग मानक
 - निरक्षरता
 - औद्योगीकरण
 - शहरीकरण
 - वन-क्षेत्र में कमी
 - अवैध वन कटाई और
 - वैश्विक उष्णता
6. पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं?
7. भारत में भू-क्षय के लिए उत्तरदायी छह कारकों की पहचान करें।
8. समझाएँ कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत उच्च क्यों होती है?
9. भारत में धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करें।
10. भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है-इस कथन के समर्थन में तर्क दें।
11. क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है? यदि हाँ, तो क्यों?
12. इनके दो उदाहरण दें-
 - (क) पर्यावरणीय संसाधनों का अति प्रयोग
 - (ख) पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग
13. पर्यावरण की चार प्रमुख क्रियाओं का वर्णन कीजिए।

14. महत्त्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरणीय हानि की भरपाई की अवसर लागतें भी होती हैं? व्याख्या कीजिए।
15. पर्यावरणीय संसाधनों की पूर्ति-मांग के उत्क्रमण कैसे वर्तमान पर्यावरण संकट के उत्तरदायी हैं? समझाएँ।
16. भारत में विकास के दो गंभीर नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों को उजागर करें। भारत की पर्यावरण समस्याओं में एक विरोधाभास है एक तो यह निर्धनताजनित है और दूसरे जीवन-स्तर में संपन्नता का कारण भी है। क्या यह सत्य है?
17. धारणीय विकास क्या है?
18. अपने आस-पास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए धारणीय विकास की चार रणनीतियाँ सुझाइए।
19. धारणीय विकास की परिभाषा में वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच समता के विचार की व्याख्या करें।



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. मान लीजिए कि महानगरों की सड़कों पर 70 लाख कारें और आ रही हैं। आपके विचार में किस प्रकार के संसाधन घटते जा रहे होंगे। व्याख्या करें।
2. उन मदों की सूची बनाइए, जिन्हें पुनः प्रयोग के योग्य बनाया जा सकता है।
3. भारत में मृदा अपरदन के कारणों और उसके बचाव की युक्तियों पर एक चार्ट बनाइए।
4. जनसंख्या विस्फोट पर्यावरणीय संकट में किस प्रकार योगदान देता है। कक्षा में परिचर्चा का आयोजन करें।
5. 'पर्यावरणीय हानि की भरपाई करने के लिए राष्ट्र को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।' चर्चा करें।
6. आपके गाँव में एक कागज का कारखाना लगाया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति और ग्रामीणों के समूह के साथ इस विषय में एक लघु नाटिका का आयोजन करें।



संदर्भ

पुस्तकें

- अग्रवाल अनिल एंड सुनीता नारायन 1996. ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट, रिप्रिंट एडिशन, नई दिल्ली।
- भरूचा इरेच 2005. टेक्स्ट बुक ऑफ इनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडरग्रेजुएट कोर्स, यूनिवर्सिटी प्रेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।
- सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट 1996. स्टेट ऑफ इंडियाज इनवायरमेंट
- 1: द फर्स्ट सिटीजन्स रिपोर्ट, 1982. रिप्रिंट एडिशन, नई दिल्ली।
- सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट 1996 स्टेट ऑफ इंडियाज इनवायरमेंट
- 2: द सेकेंड सिटीजन्स रिपोर्ट 1985. रिप्रिंट एडिशन, नई दिल्ली।
- एम. करपगम 2001. इनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स : ए टेक्स्ट बुक स्ट्रलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- राजगोपालन आर. 2005. इनवायरमेंटल स्टडीज: फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- शुमेकर ई. एफ, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, एबसस पब्लिशर्स

रिपोर्ट

- सेंटर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेंट-2016, स्टेट ऑफ इंडिया इनवायरमेंट (फॉर वेरियस इयर्स)
- सेंटर फॉर साइंस एण्ड इनवायरमेंट, नई दिल्ली

पत्रिकाएँ

- साइंटिफिक अमेरिकन इंडो-स्पेशल इश्यू सितंबर 2005. 'प्लानेट अर्थ ऑन ऐज', डाउन टू अर्थ, सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट, नई दिल्ली

वेबसाइट

- <http://envfor.nic.in>
<http://cpcb.nic.in>
<http://www.cseindia.org>

इकाई चार

भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव

आज वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ भौगोलिक परिसीमाएँ धीरे-धीरे अर्थहीन होती जा रही हैं, विकासशील विश्व के देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पड़ोसी देशों द्वारा अपनाई जा रही विकास की रणनीतियों को समझें। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि वे विश्व बाज़ार में सीमित आर्थिक हिस्सेदारी करते हैं। इस इकाई में हम भारत के विकास अनुभवों की तुलना इसके दो महत्वपूर्ण और निर्णायक पड़ोसियों-पाकिस्तान और चीन से करेंगे।



भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप

- भारत और इसके पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान के आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे;
- विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुँचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे, जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए अपनाया है।

भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इन्सान कैसे अलग कर पाए!
-जॉन एफ़ कैंनेडी

8.1 परिचय

पिछली इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभवों का विस्तार से अध्ययन किया है। हमने यह भी अध्ययन किया था कि भारत ने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई और उनके विभिन्न क्षेत्रों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पिछले लगभग दो दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्रायः सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक, तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है।

विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते रहे हैं जैसे कि **सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, जी-8, जी-20** ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्र इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे, बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी।

इसके अतिरिक्त, अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी, क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियाँ एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थीं।

इस अध्याय में हम भारत और उसके दो बड़े पड़ोसी राष्ट्रों-पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करेंगे। परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपन्नता संबंधी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षों से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है। चीन ने तो हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है।

8.2 विकास पथ: एक चित्रांकन

क्या आप यह जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएँ हैं। तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया है।

भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए जबकि चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने

भाषण में कहा था “यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं।”

तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियाँ तैयार करना शुरू किया था। भारत ने 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता था। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। वर्ष 2018 में पाकिस्तान ने 12वीं पंचवर्षीय विकास योजना (2018-23) पर कार्य शुरू किया है जबकि चीन अपनी चौदहवीं पंचवर्षीय योजना (2021-25) पर काम कर रहा है। भारत की वर्तमान योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 पर आधारित है। मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। भारत और पाकिस्तान ने समान नीतियाँ अपनाई जैसे, वृहत् सार्वजनिक क्षेत्रक का सृजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय। 1980 के दशक तक तीनों देशों की संवृद्धि दर और प्रतिव्यक्ति आय समान थी। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए, हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के ऐतिहासिक पथ की जानकारी लें। पिछली तीन इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम अब यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन-सी नीतियाँ अपनाता रहा है।

चीन: एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, उद्यमों तथा भूमि, जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, को सरकारी नियंत्रण में लाया गया। 1958 में ‘**ग्रेट लीप फॉरवर्ड**’ अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगीकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किये गये। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 ‘**कम्यून**’ थे जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे।

जी.एल.एफ. अभियान में अनेक समस्याएँ आयीं। भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गये। जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, जिन्हें औद्योगीकीकरण प्रक्रिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। 1965 में माओ ने **महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति** का आरंभ किया (1966-76)। छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया।

संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक संवृद्धि हो रही है, उसकी जड़ें 1978 में लागू किये गये सुधारों में खोजी जा सकती हैं। चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रों में सुधार किये गये। उदाहरण के लिए, कृषि, क्षेत्रक में कम्यून भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बाँट दिया गया जिन्हें अलग-अलग परिवारों को आवंटित किया गया (प्रयोग के लिये न

कि स्वामित्व के लिए)। वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किये गये। सामान्य, नगरीय तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्रक की उन फर्मों को वस्तुएँ उत्पादित करने की अनुमति थी, जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था, (जिन्हें राज्य के उद्यम एस.ओ.ई. के



चित्र 8.1 बाघा बॉर्डर केवल पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि भारत तथा पाकिस्तान के

नाम से जाना जाता है) और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निरगतों की निर्धारित मात्राएँ खरीदेंगे और बेचेंगे और शेष वस्तुएँ बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थीं। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **विशेष आर्थिक क्षेत्र** स्थापित किये गये।

पाकिस्तान: द्वारा अपनायी गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप यह देखेंगे

कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएँ हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के सह-अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। 1950 और 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया (उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन)। उक्त नीति में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण करना तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण करना शामिल था। हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का युग शुरू हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में भी अंततोगत्वा वृद्धि हुई। इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संरचना में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ। 1970 के दशक में

पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों का **राष्ट्रीयकरण** हुआ। उसके बाद, पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के दशकों के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी, जब अ-राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य-पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। इससे देश की आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्रक को और भी प्रोत्साहन प्रदान किये। इन सब के कारण नये निवेशों के लिए अनुकूल वातावरण बना। 1988 में देश में सुधार शुरू किए गए।

चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद, आइए अब हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ विकास संकेतकों की तुलना करें।

8.3 जनांकिकीय संकेतक

यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पायेंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक छः

व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी। हम भारत में कुछ जनांकिकीय संकेतकों की तुलना करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग दसवाँ भाग है।

यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। सारणी 8.1 में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी। उनका यह भी कहना है कि इसके कारण लिंगानुपात (प्रत्येक एक हजार पुरुषों में महिलाओं का अनुपात) में गिरावट आई। परंतु सारणी से आपको पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था। आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। एक-संतान नीति और उसे

सारणी 8.1

कुछ चुने हुए जनांकिकीय संकेतक, 2021–23

देश	अनुमानित जनसंख्या (मिलियन में)	जनसंख्या की वार्षिक संवृद्धि	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	लिंग अनुपात	प्रजनन दर	नगरीकरण
भारत	1428	0.81	473	930	2.0	36
चीन	1411	-0.10	150	898	1.2	65
पाकिस्तान	240	1.96	300	948	3.4	38

स्रोत: विश्व विकास सूचक 2024, <http://datatopics.worldbank.org>

लागू किये जाने के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए, कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण, चीन को प्रत्येक दंपति को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पड़ी।

चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक। चीन में नगरीकरण अधिक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 36 प्रतिशत लोग रहते हैं।



चित्र 8.2 भारत, चीन तथा पाकिस्तान में भूमि-प्रयोग तथा कृषि (स्केल के अनुसार नहीं)

सारणी 8.2

सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत संवृद्धि (%) — 1980–2024

देश	1980–90	2015–2017	2024
भारत	5.7	7.3	6.5
चीन	10.3	6.8	5.0
पाकिस्तान	6.3	5.3	3.1

स्रोत: एशियाई विकास बैंक, एशिया तथा पैसिफिक में मुख्य सूचक, 2025 (विश्व विकास सूचक-2024)

8.4 सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक

चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 35 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का स.घ. उत्पाद 15 ट्रिलियन तथा पाकिस्तान का जी.डी.पी. 1.5



इन्हें कीजिए

- क्या भारत जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी उपाय कर रहा है? यदि हाँ, तो ब्यौरा एकत्र कीजिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। आप नीवनतम आर्थिक सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों या वेबसाइटों (<http://mohfw.nic.in>) का संदर्भ दे सकते हैं।
- विद्वानों का मानना है कि भारत, चीन एवं पाकिस्तान सहित अनेक विकासशील देशों में पुत्र को वरीयता देना एक सामान्य बात है। क्या आप इस बात को अपने परिवार या पड़ोस में देखते हैं? लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों करते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए।



चित्र 8.3 भारत, चीन एवं पाकिस्तान में उद्योग। (स्केल के अनुसार नहीं)

ट्रिलियन डॉलर भारत के जी.डी.पी. के लगभग 10 प्रतिशत है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत है।

जब अनेक विकसित देश 5 प्रतिशत तक की संवृद्धि दर बनाये रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दौरान से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी संवृद्धि बनाये रखने में समर्थ था। जैसा कि सारणी 8.2 में देखा जा सकता है।

यह भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था। चीन की संवृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था।

2015 से 2022 के दौरान भारत का विकास दर बढ़ा और फिर घट गया। जबकि पाकिस्तान तथा चीन के विकास दर में लगातार गिरावट हुई है। हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे, कि किस क्षेत्रक ने इन प्रवृत्तियों में योगदान दिया है।

सबसे पहले यह देखें कि विभिन्न क्षेत्रकों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद (जिसे अब सकल वर्धित मूल्य कहा जाता है) में योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम

अर्थात् कुल भूमि क्षेत्र का लगभग दस प्रतिशत है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40 प्रतिशत है। 1980 के दशक तक चीन में 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2021 में 23 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल वर्धित मूल्य में 8 प्रतिशत में योगदान दिया (देखिए सारणी 8.3)।

भारत और पाकिस्तान में जी.वी.ए के लिए कृषि का योगदान 18 तथा 24 प्रतिशत था। परंतु इस क्षेत्रक में श्रमिकों का अनुपात भारत में

सारणी 8.3

रोजगार एवं सकल घरेलु उत्पाद (%) के क्षेत्र शेयर (2022)

क्षेत्र	सकल वर्धित मूल्य में योगदान 2018			कार्यबल का वितरण 2019		
	भारत	चीन	पाकिस्तान	भारत	चीन	पाकिस्तान
कृषि	18	8	24	43	23	36
उद्योग	28	38	21	26	32	26
सेवा	54	54	55	31	45	38
योग	100	100	100	100	100	100

स्रोत: विश्व विकास संकेतक डेटाबेस, 2024; एशिया और प्रशांत का प्रमुख संकेतक, 2025

अधिक है। पाकिस्तान में लगभग 36 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं; जबकि भारत में 43 प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रकवार हिस्सेदारी भी यह दर्शाती है कि पाकिस्तान की चौबीस प्रतिशत श्रमशक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है जो कि सकल घरेलु उत्पाद का केवल 21 प्रतिशत उत्पादन के बराबर है। भारत में उद्योग श्रमशक्ति 25 प्रतिशत है तथा सकल घरेलु उत्पाद (GDP) 28 प्रतिशत के बराबर माल का उत्पादन करते हैं। चीन में उद्योगों का सकल वर्धित मूल्य 38 प्रतिशत योगदान है। जबकि 32 प्रतिशत श्रमशक्ति ही उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है। इन तीनों ही देशों में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलु उत्पाद में योगदान सबसे अधिक है।

विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। ऐसा ही चीन में हो रहा है जैसा की सारणी 8.3 में देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रमबल का अनुपात बहुत कम अर्थात् क्रमशः 26 प्रतिशत था। जी.डी.पी. में उद्योगों का योगदान

भारत में 28 प्रतिशत और पाकिस्तान में 21 प्रतिशत है, जिससे यहाँ सीधे सेवा क्षेत्रक पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्रक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। यह जी.डी.पी. में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही यह संभावित नियोक्ता बन रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि पाकिस्तान, भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्रक में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। 1980 के दशक में भारत, चीन तथा पाकिस्तान में



इन्हें कीजिए

- क्या समझते हैं कि चीन की भाँति भारत और पाकिस्तान को भी विनिर्माण क्षेत्रक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्यों?
- अनेक विद्वानों का तर्क है कि सेवा क्षेत्रक को संवृद्धि का इंजन नहीं माना जाना चाहिए, जबकि भारत और पाकिस्तान में उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः इसी क्षेत्रक में हुई है। आपका क्या विचार है?

सारणी 8.4
विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन संवृद्धि वार्षिक औसत की प्रवृत्तियाँ 1980-2018

देश	1980-90			2011-2015		
	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
भारत	3.1	7.4	6.9	3.1	6.9	7.6
चीन	5.9	10.8	13.5	3.1	5.3	7.1
पाकिस्तान	4	7.7	6.8	1	4.8	5.0

सेवा क्षेत्रक में क्रमशः 17, 12, और 27 प्रतिशत श्रमबल कार्यरत था। वर्ष 2022 में यह बढ़कर 31, 32 और 38 प्रतिशत हो गया है।

पिछले पाँच दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्रक, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रमबल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, की संवृद्धि में कमी आई है। चीन में तो (1980 के दशक में) द्विअंकीय संवृद्धि दर बनी रही, लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं। किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। चीन 14

प्रतिशत पर बनाए रखने में सक्षम था लेकिन 2014-18 में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। 1980-1990 के दौरान इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि थी। इस प्रकार, चीन की आर्थिक संवृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों और भारत की संवृद्धि सेवा क्षेत्रक से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रकों में गिरावट आई है। (सारणी 8.4)

सारणी 8.5
मानव विकास, 2021-23 के कुछ चुनिंदा संकेतक

मद	भारत	चीन	पाकिस्तान
मानव विकास सूचकांक (मूल्य)	0.685	0.797	0.544
रैंक (एच.डी.आई. के आधार पर)	130	78	168
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	72.0	78.0	67.6
विद्यालय में औसत वर्ष (% आयु-वर्ग के 15 और ऊपर)	6.9	8.0	4.3
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय (पी.पी.पी. अमेरिकी डॉलर)	9,047	22,029	5,501
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का (%) (राष्ट्रीय)	21.9*	0.0**	21.9**
शिशु मृत्यु दर (1000 जीवित जन्मों के अनुसार) (2011)	25.5	4.8	51
मातृत्व मृत्यु दर (एक लाख जन्मों के अनुसार)	103	23	154
आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या	78	96	71
आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या (%)	93	98	91
कुपोषण के शिकार बच्चों (स्टेटिंग) का प्रतिशत	17	3	19

स्रोत: मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 एवं 2024 और विश्व विकास सूचक (www.worldbank.org)।

नोट - वर्ष के लिए (*); 2019-21 (**) 2023

भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव

147

8.5 मानव विकास के संकेतक

आपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतकों के महत्व और अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा होगा। आइए, हम देखें कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों में कैसा निष्पादन हुआ है (सारणी 8.5 देखें)।

सारणी 8.5 दर्शाती है कि चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है। यह बात अनेक संकेतकों के विषय में सही है जैसे, आय संकेतक अर्थात् प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अथवा निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात अथवा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुँच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण। चीन और पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे हैं। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है और ये दोनों देश महिलाओं को मातृमृत्यु से बचा पाने में सफल रहे हैं। चीन में प्रति एक लाख जन्म पर केवल 23 महिलाओं की मृत्यु होती है, जबकि भारत और पाकिस्तान में यह संख्या 103 एवं 154 ऊपर है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उत्तम पेय जल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं। चीन में दोनों देशों से कम गरीब व्यक्ति हैं। स्वयं ज्ञात कीजिये कि यह अंतर क्यों है?

परंतु, ऐसे प्रश्नों पर विचार करने अथवा निर्णय लेते समय हमें मानवीय विकास संकेतकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से संबंधित एक समस्या पर ध्यान देना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सभी संकेतक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु पर्याप्त नहीं हैं।

इनके साथ ही स्वतंत्रता संकेतकों की भी आवश्यकता है। 'सामाजिक व राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी' की सीमा के संकेतक को इसके माप के रूप में जोड़ दिया गया है, परंतु इसे किसी अतिरिक्त मानवीय विकास सूचक की रचना में महत्व नहीं दिया गया है। ऐसे कुछ स्पष्ट स्वतंत्रता संकेतक इनमें अभी तक नहीं जोड़े गये हैं जैसे, नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि-सम्मत शासन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किये बिना तथा इन्हें महत्व दिये बिना, मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा तथा इसकी उपादेयता भी सीमित होगी।

8.6 विकास नीतियाँ: एक मूल्यांकन

सामान्यतया यह देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात, ऐसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल कारणों को समझें। यह भी आवश्यक है कि हम उनकी रणनीतियों के विभिन्न चरणों के बीच अंतर और विभेद करें। विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग-अलग तरीकों से पूरा

करते हैं। आइए, सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में हुआ। आइए, सुधार पूर्व और सुधार पश्चात् अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें।

चीन ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया? चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की कोई बाध्यता नहीं थी जैसी कि भारत और पाकिस्तान को थी। चीन के तत्कालीन नये नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक संवृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, विदेश प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दृष्टिकोण से विफल रहा है। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रतिव्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था, जितना 1950 के दशक के मध्य में था। यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किये जाने के फलस्वरूप भूमि सुधारों, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजनाओं और लघु उद्योगों से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था। कम्यून व्यवस्था के कारण खाद्यान्नों का अधिक समतापूर्ण

वितरण था। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक सुधार के पहले छोटे स्तर पर लागू किया गया और बाद में उसे व्यापक पैमाने पर लागू किया गया। विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सका। उदाहरण के लिए, जब छोटे-छोटे भूखंड कृषि के लिए व्यक्तियों को दिए गए तो बहुत बड़ी संख्या में लोग समृद्ध बन गये। इसके फलस्वरूप, ग्रामीण उद्योगों के अपूर्व विकास की स्थिति बनी और आगे और सुधारों के लिये मजबूत आधार बनाया गया। विद्वान ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं कि चीन में सुधारों के कारण किस प्रकार तीव्र संवृद्धि हुई।

विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आयी है। हमने पिछले खंड में देखा है कि वहाँ 1980 के दशक की तुलना में जी.डी.पी. और क्षेत्रक घटकों की संवृद्धि दर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आँकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आँकड़ों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि वहाँ निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40 प्रतिशत था, जो 1980 के दशक में गिर कर 25 प्रतिशत हो गया और हाल के दशकों में पुनः बढ़ने लगा। विद्वानों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में संवृद्धि दर की कमी और निर्धनता के पुनः आविर्भाव के ये कारण बताये: (क) कृषि संवृद्धि और खाद्य पूर्ति, तकनीकी परिवर्तन संस्थागत प्रक्रिया पर आधारित न होकर

अच्छी फसल पर आधारित था। जब फसल अच्छी होती थी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृत्तियाँ दर्शाते थे। (ख) आपको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है और यह जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है। यदि

कोई देश अपने विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है, तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्यपूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के निर्यातों से प्राप्त होती है। एक ओर विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी।



इन्हें कीजिए

➤ कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि भारत में सस्ते चीनी सामान का अचानक अंबार लग गया है, जिसके विनिर्माण क्षेत्रक पर कई प्रभाव हैं हम स्वयं भी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से व्यापार नहीं करते हैं। निम्न सारणी को देखें। इसमें भारत से पाकिस्तान और चीन को किये गये निर्यातों और आयातों को दिखाया गया है। समाचार पत्रों, वेबसाइटों तथा समाचार सुनकर, अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ व्यापार में शामिल वस्तुओं और सेवाओं का विवरण एकत्र कीजिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वेबसाइट पर लॉग कर सकते हैं: <http://dgft.gov.in>.

जबकि भारत ने अन्य विकासशील देशों की तरह आर्थिक वृद्धि की है लेकिन भारत मानव विकास सूचकों में विश्व के बुरे देशों में से एक है। भारत से कहाँ गलती हुई? क्यों हम अपने मानव संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाये? कक्षा में चर्चा कीजिए।

देश	भारत के निर्यात (करोड़ रुपये में)			भारत के आयात (करोड़ रुपये में)		
	2004-05	2024-25	वार्षिक संवृद्धि दर (%)	2004-05	2024-25	वार्षिक संवृद्धि दर (%)
पाकिस्तान	2,341	4,720	3.6	427	4	20.8
चीन	2,5232	1,20,617	8.1	31892	9,59,666	18.5

➤ दोनों वर्षों के लिए आयात के प्रतिशत के रूप में निर्यात की गणना करें और कक्षा को प्रवृत्त करने के संभावित कारण पर चर्चा करें।

स्रोत: <http://dgft.gov.in>

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस प्राप्त करने और बनाए रखने में सफल हुआ है। वार्षिक योजना 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो की पिछले दशकों की तुलना सबसे अधिक है। जबकि, कृषि क्षेत्र में विकास दर संतोषजनक रहा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विकास दर 4.9 और 6.2 प्रतिशत रहा। कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक स्थिर एवं सकारात्मक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं।

8.7 निष्कर्ष

अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है? भारत, पाकिस्तान और चीन की सात दशकों से लंबी विकास यात्रा रही है और उनको अलग-अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था। पिछले तीन दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग-अलग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत ने आधारित संरचना के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए कई पहल की हैं। विद्वानों का मत है

कि राजनैतिक अस्थिरता, प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्रक का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण हैं। पिछले पाँच वर्षों में, कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक और मध्यम विकास दर दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों पर उसके निहतार्थ चिंता के मूल विषय हैं। फिर भी, अंतिम चार दशकों में से इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोये बिना, बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया तथा निर्धनता निवारण के साथ-साथ संवृद्धि के स्तर को बढ़ाने में सफल रहा है। आप यह भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहाँ सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहाँ चीन ने बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक सुअवसरों के सर्जन के लिए किया है। सामुदायिक भू-स्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम हुए हैं।



पुनरावर्तन

- 1 वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद से विकासशील देश अपने आस-पास के देशों की विकास प्रक्रियाओं और नीतियों को समझने के लिए उत्सुक हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें अब केवल विकसित देशों से ही नहीं वरन् अपने जैसे अनेक विकासशील देशों से भी, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
- 2 भारत, पाकिस्तान और चीन की भौतिक खाद्यान्न संपन्नताओं में तो काफी समानता है परंतु उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएँ बिल्कुल भिन्न हैं।
- 3 तीनों ही देशों ने इसी तरह की योजनाओं को विकास के स्वरूप का आधार बनाया है किंतु उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने जो संरचनाएँ बनाई हैं, वे भिन्न-भिन्न हैं।
- 4 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक तीनों देशों के सभी विकास संकेतक (अर्थात् संवृद्धि दर, राष्ट्रीय आय में उद्योगवार योगदान आदि) समान थे।
- 5 चीन ने आर्थिक सुधार 1978 में प्रारंभ किये, पाकिस्तान ने 1988 में और भारत ने 1991 में।
- 6 चीन ने संरचनात्मक सुधारों का निर्णय स्वयं लिया था जबकि भारत और पाकिस्तान को अंतराष्ट्रीय संस्थाओं ने ऐसे सुधार करने के लिए बाध्य किया था।
- 7 इन तीन देशों में अपनाए गए नीति उपायों के परिणाम भी भिन्न-भिन्न रहे हैं। उदाहरणार्थ, चीन में केवल एक संतान नीति के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि रुक गई। किंतु, भारत और पाकिस्तान में इस दिशा में अभी ऐसा परिवर्तन होना बाकी है।
- 8 सत्तर वर्षों के योजनाबद्ध विकास के बाद भी इन देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक कृषि पर निर्भर है। भारत में कृषि निर्भरता सबसे अधिक है।
- 9 चीन ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया जिसमें क्रमशः कृषि से विनिर्माण तथा उसके बाद सेवा की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति थी। भारत तथा पाकिस्तान सीधे कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर चले गए।
- 10 चीन में औद्योगिक क्षेत्रक में उच्च संवृद्धि दर कायम रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप भारत व पाकिस्तान के विपरीत चीन को औद्योगिक संवृद्धि के कारणवश उसकी प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।
- 11 चीन अनेक मानव विकास संकेतकों में भारत और पाकिस्तान से आगे है, इसके बावजूद इस प्रगति में सुधार प्रक्रिया का कोई योगदान नहीं था बल्कि उस रणनीति का था, जिसे चीन ने सुधार के पूर्व अवधि में अपनाया था।
- 12 विकास संकेतकों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्रता-संबंधी सूचकों को भी ध्यान में रखना होगा।



अभ्यास

1. क्षेत्रीय और आर्थिक समूहों के बनने के कारण दीजिए।
2. वे विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं?
3. वे समान विकासात्मक नीतियाँ कौन-सी हैं जिनका कि भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने विकासात्मक पथ के लिए पालन किया है?
4. 1958 में प्रारंभ की गई चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए।
5. चीन की तीव्र औद्योगिक संवृद्धि 1978 में उसके सुधारों के आधार पर हुई थी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए।
6. पाकिस्तान द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख कीजिए।
7. चीन में 'एक संतान' नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है?
8. चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जनांकिकीय संकेतकों का उल्लेख कीजिए।
9. भारत और चीन के सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य के लिए क्षेत्रीय योगदान के विपरीत तुलना करें। यह क्या दर्शाता है?
10. मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए।
11. स्वतंत्रता संकेतक की परिभाषा दीजिए। स्वतंत्रता संकेतकों के कुछ उदाहरण दीजिए।
12. उन विभिन्न कारकों का मूल्यांकन कीजिए जिनके आधार पर चीन में आर्थिक विकास में तीव्र वृद्धि (तीव्र आर्थिक विकास हुआ) हुई।
13. भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित विशेषताओं को तीन शीर्षकों के अंतर्गत समूहित कीजिए।
 - एक संतान का नियम
 - निम्न प्रजनन दर
 - नगरीकरण का उच्च स्तर
 - मिश्रित अर्थव्यवस्था
 - अति उच्च प्रजनन दर
 - भारी जनसंख्या
 - जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व

विनिर्माण क्षेत्रक के कारण संवृद्धि

सेवा क्षेत्रक के कारण संवृद्धि

14. पाकिस्तान में धीमी संवृद्धि तथा पुनः निर्धनता के कारण बताइए।
15. कुछ विशेष मानव विकास संकेतकों के संदर्भ में भारत, चीन और पाकिस्तान के विकास की तुलना कीजिए और उसका वैषम्य बताइए।
16. पिछले दो दशकों में चीन और भारत में देखी गई संवृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी दीजिए।
17. निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए:
 - (क) 1956 में _____ की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी।
(पाकिस्तान/चीन)
 - (ख) मातृमृत्यु दर _____ में अधिक है। (चीन/पाकिस्तान)
 - (ग) निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात _____ में अधिक है।
(भारत/पाकिस्तान)
 - (घ) _____ में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए गए थे (चीन/पाकिस्तान)



अतिरिक्त गतिविधियाँ

1. भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्र व्यापार के मुद्दे पर कक्षा में एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए।
2. आपको पता है कि बाजार में चीन में बनी सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, खिलौने, बिजली का सामान, कपड़े, बैटरी आदि। क्या आपके विचार में गुणवत्ता और कीमत की दृष्टि से इन उत्पादों की तुलना भारत में निर्मित वस्तुओं से की जा सकती है? क्या इन वस्तुओं से हमारे घरेलू उत्पादकों को खतरा पैदा हो सकता है? चर्चा कीजिए।
3. क्या आपके विचार से जनसंख्या संवृद्धि को कम करने के लिए चीन की तरह भारत भी एक संतान की नीति को लागू कर सकता है? उन नीतियों पर एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए, जिन्हें जनसंख्या वृद्धि के कम करने के लिए भारत अपना सकता है।
4. चीन की संवृद्धि का कारण मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्रक है और भारत की संवृद्धि का कारण सेवा क्षेत्रक है। एक चार्ट तैयार कीजिए। उसमें संबंधित देशों में पिछले दशक में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में इस कथन की संगतता दिखाएँ।
5. सभी मानव विकास संकेतकों में चीन कैसे आगे है? कक्षा में चर्चा कीजिए। नवीनतम वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट का अवलोकन करें।



पुस्तकें

जीन ड्रेज एंड अमर्त्य सेन (1996), *इंडिया इकोनॉमिक डवलपमेंट सोशल अपरचुनिटी*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

लेख

आलोक राय, द चाइनीज इकोनॉमिक मिरेकिल: लेसन्स टू बी लर्न, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, सितम्बर 14, 2002।

एस. अकबर जायदी (1999), “इज पावर्टी नाउ ए परमानेंट फिनोमेनन इन पाकिस्तान?” इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अक्टूबर 9, पी.पी. 2943-2951।

सरकारी रिपोर्टें

एनूवल प्लान 2016-17, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डवलपमेंट एण्ड रीफॉर्म लिंक: <http://pc.gov.pk>, दिनांक 02 जनवरी, 2016।

ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट 2005, यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड।

पाकिस्तान: नेशनल ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, 2003, यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम, सेकेंड इंप्रेशन 2004।

वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट, 2005, द वर्ल्ड बैंक, पब्लिशड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

लेबर मार्केट इंडीकेटर्स, थर्ड ऐडिशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा।

आर्थिक सर्वेक्षण: भारत सरकार विभिन्न वर्षों के लिए।

आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

वर्ल्ड डवलपमेंट इंडीकेटर्स (विभिन्न वर्षों में), वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन।

ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट, (विभिन्न वर्षों में), यूनाइटेड नेशंस डवलपमेंट प्रोग्राम, जिनेवा।

की इंडीकेटर्स ऑफ एशिया एण्ड पैसिफिक, 2016, एशियन डवलपमेंट बैंक, फिलीपिंस।

वेबसाइट्स

www.stats.gov.in

www.statpak.gov.pk

www.un.org

www.iloo.org

www.planningcommission.nic.in

www.dgft.delhi.nic.in

पारिभाषिक शब्दावली

अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के उद्यम (Informal Sector Enterprises): निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः दस से अधिक नहीं होती।

अदृश्य मर्दे (Invisibles): भुगतान संतुलन के चालू खाते की मर्दे, जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएँ नहीं होती। अदृश्य मर्दे मुख्यतः वे सेवाएँ होती हैं, जैसे पर्यटन, जहाजरानी और वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएँ। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान-प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं।

अनारक्षण (Dereservation): किसी व्यक्ति या उद्योग ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना, जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है, जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे।

अवमूल्यन (Devaluation): विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है।

अवसर लागत (Opportunity Cost): यह किसी कार्य या मूल्यमान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है।

आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर (Casual Wage Labourer): अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाला व्यक्ति।

आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण (Integration of Domestic Economy): सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके।

आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution): सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएँ ले लेती हैं। इस नीति में आयात नियंत्रण, आयात शुल्क तथा अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आयात शुल्क (Tariff): आयात पर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्यानुसार निर्धारित हो

आयात शुल्क बाधाएँ (Tariff Barriers): सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर।

आयात लाइसेंस (Import Licensing): किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति।

आसियान (Association of South East Asian Nations): दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन। इसके सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलिपीन्स, ब्रूनी, दारुस्सलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम।

उत्पादकता (Productivity): श्रम या पूँजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यह शब्द प्रायः श्रम के आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।

उपनिवेशवाद (Colonialism): युद्ध में विषय या अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। इस प्रकार, अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाता था। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है।

उपभोग समुच्चय (Consumption Basket): किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं-सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। वे हैं: (अ) अनाज (ब) दालें और दूध से बनी चीजें (स) खाद्य तेल (द) सब्जियाँ (ध) वस्त्र आदि।

उद्यम (Enterprise): किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम, जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण आदि करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency): यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है, जिनमें स्व-नियमन तथा बाजार-सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है।

एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act): इस अधिनियम को व्यापारियों की एकाधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यावहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया गया था।

औपचारिक/संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान (Formal Sector Establishments): सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिनमें दस या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हों।

अंश/हिस्से/इक्विटी (Equities): किसी कंपनी की चुकता पूँजी के समान मूल्यधारी अंश।

इनके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है और ये लाभांश पाने के अधिकारी होते हैं।

कर प्रति कर (Cascading Effect): करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि। ये प्रायः अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है। उदाहरणार्थ: उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़ कर उस पर विक्रय कर लगाना। इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लग जाता है।

कृषि का व्यावसायीकरण (Commercialisation of Agriculture) : स्व-उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यावसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको उँचे कीमतें देनी प्रारंभ कर दी। उन्हें नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थीं।

गैर-नवीकरणीय संसाधन (Non Renewable Resources): वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं। उनका स्टॉक वृहद होता हुआ भी सीमित है। उदाहरण, जीवाश्म उर्जा संसाधन (तेल, कोयला) और लोहा, सीसा, एल्युमीनियम, यूरेनियम खनिज आदि।

गैर शुल्क बाधाएँ (Non-Tariff Barriers): सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध। इनमें आयात के परिमाण और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं।

घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit Financing): सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना।

जनांकिकीय संक्रमण (Demographic Transition): जनांकिकीविद् फ्रैंक नोटेस्टीन द्वारा 1945 में विकसित अवधारणा। यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणामस्वरूप जन्म और मृत्युदरों में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। नोटेस्टीन ने जनांकिकीय संक्रमण की तीन अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था: पूर्व औद्योगिक, विकासशील तथा आधुनिक समाज। बाद में औद्योगीकरण के उपरांत की अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई।

जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा (Life expectancy at birth): जन्म के समय विद्यमान आयु-विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने पर, उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा (वर्षों में)।

जी-8 (G-8): आठ देशों का गुट: इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, सं.रा.अमेरिका, और रूसी महासंघ सम्मिलित हैं। यहाँ राज्याध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों का वार्षिक आर्थिक-राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि एक वर्ष है जो बारी-बारी से सदस्यों को प्रदान की जाती है।

जी-20 (G-20): विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें 19 देशों के वित्त मंत्री तथा केन्द्रीय बैंक गवर्नर सम्मिलित हैं: अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय संघ भी जी-20 का सदस्य है जो कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है।

नई आर्थिक नीति (New Economic Policy): भारत में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीतियों के नाम।

निर्यात-आयात नीति/व्यापार नीति (Export-Import Policy): सरकार की वे आर्थिक नीतियाँ जो आयात और निर्यात व्यापार को प्रभावित करती हैं।

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान (Private Sector Establishment): निजी व्यक्तियों / समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान।

नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources): वे संसाधन जो विवेकपूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य आदि ऐसे संसाधन हैं कि यदि इनका अत्यधिक विदोहन नहीं हो, तो ये निरंतर बने रह सकते हैं।

निर्यात शुल्क (Export Duties): किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर।

निर्यात संवर्धन (Export Promotion): राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियाँ जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। इन नीतियों से निर्यात बाधाओं को दूर किया जाता है।

नियोजक रोजगारदाता (Employers): वे स्वनियोजक जो अपना काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्रायः श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं।

नियमित वेतन/मजदूरी पानेवाले श्रमिक (Regular Salaried/Wage Employees): अन्य लोगों के खेतों / फर्मों में काम करने वाले व श्रमिक कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी (दिहाड़ी या समय-समय पर नवीनीकृत अनुबंधानुसार नियत भुगतान के रूप में) मिलती है। इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।

परिमाणात्मक प्रतिबंध (Quantitative Restrictions): आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटे को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना।

परिवार (Household): सामान्यतः एक साथ रहने और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह। सामान्यतः का अर्थ है कि इनके मेहमान परिवार का अंग नहीं होंगे। इसी प्रकार इनमें से यदि कोई अस्थायी रूप से बाहर गया हो, तो उस की परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

पारिवारिक श्रम/श्रमिक परिवार के खेत (Family Labour/Worker): उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति।

पेंशन (Pension): सेवा निवृत्त श्रमिक को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि।

प्रतिष्ठान (Establishment): ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में परिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment): किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूँजी शामिल नहीं की जाती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। प्रायः यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है – जो अल्पकालिक सट्टे बाजी के लिए आया है – और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में देश में काम आता ही रहेगा।

प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income): किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात।

प्रवेश अवरोध (Barriers to Entry): वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों का आगमन कठिन बना देते हैं। ये अवरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं।

प्रसव/ मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate): यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

बजट घाटा (Budgetary Deficit): सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना।

बहुपक्षीय व्यापार संधियाँ (Multilateral Trade Agreements): किसी देश द्वारा दो या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान संबंधी व्यापार समझौते।

बेहतर अनुपालन (Better Compliance): सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन।

ब्रूटलैंड कमीशन (Brundtland Commission): संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 'धारणीय विकास' की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उद्धरण दिए गए।

बेरोजगारी (Unemployment): वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं, पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन दे कर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हों। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए।

भुगतान संतुलन (Balance of Payments): किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष विश्व से चालू और पूँजीगत खातों पर हुए समस्त लेन-देन का सांख्यिकीय सार। इस खाते में अवधि भर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है। इसलिए यह सदैव संतुलन में रहता है।

भूमि/राजस्व बंदोबस्त (Land Revenue settlement): देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद, प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में या महल अथवा 'राजस्व ग्राम' या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो। यह अधिकार चाहे स्वामित्वाधिकार रहा हो या फिर कर्षण अधिकार ही हो। इसी अधिकार के आधार पर राजस्वनिर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त कहा गया है। भारत में तीन प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की गई थीं (क) स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था (ख) किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व निर्धारण रैयतवाड़ी व्यवस्था और (ग) पूरे राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था (महलवाड़ी व्यवस्था)।

भविष्य निधि (Provident Fund): कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष- इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है।

मृत्यु दर (Mortality Rate): यह शब्द 'मृत्यु' पर ही आधारित है। इसे वर्ष भर में प्रति हजार जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्याओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि के कारण, दोनों ही प्रकारों को गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रुग्णता दर से भिन्न है। रुग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है।

मुद्रास्फीति (Inflation): सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि।

योजना आयोग (Planning Commission): भारत सरकार द्वारा गठित एक संगठन। यह देश के सभी संसाधनों के अधिकतम संतुलित और युक्तियुक्त प्रयोग की योजनाएँ बनाने का कार्य करता है। इसे देश के विकास पथ की वरीयताएँ भी निर्धारित करनी होती है।

यूरोपीय संघ (European Union): यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने के ध्येय से वहाँ के 25 स्वतंत्र देशों द्वारा गठित 'महासंघ'। इसके सदस्य देश हैं- आस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चैक-गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातीविया, लिथुआनिया, लक्सेमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, युनाइटेड-किंगडम, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया।

राज्य विद्युत बोर्ड (State Electricity Boards): ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग हैं जो विद्युत उत्पादन, संवहन और वितरण के कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय उत्पाद/ आय (National Product/Income): किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल।

रुग्णता (Morbidity): बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। यह अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करती है। निरंतर रुग्णता अंततः मृत्यु का रूप भी धारण कर सकती हैं। हमारे देश में रुग्णता के दो प्रमुख कारण हैं, भीषण श्वास संक्रमण और डायरिया।

वहन क्षमता/धारण क्षमता (Carrying Capacity): एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या को धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता। इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है: घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार, जहाँ पहुँचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है। अतः उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद्य आदि के कारण निर्वाह से जुड़ी कठिनाईयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेशानुसार भिन्न हो सकती हैं। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण हैं, खाद्य सुलभता, पर्यावरण स्थान आदि।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax): यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर है। यह जुलाई 2017 को भारत में कई प्रकार के करों जैसे बिक्री कर तथा एकल को समाप्त कर के लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। कर के कई दर हैं जैसे 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत, जो लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। पूरे देश में दर समान रहती है।

सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product): एक वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य। जी.डी.पी. एक देश की आर्थिक शक्ति का माप है, जबकि जी.डी.पी. प्रति व्यक्ति को सामान्यतः देश के जीवन-स्तर का सूचक माना जाता है।

सकल वर्धित मूल्य (Gross Values Added): सकल वर्धित मूल्य की गणना सकल घरेलू उत्पाद और सहायिकी में से अप्रत्यक्ष कर की राशि को घटाकर की जाती है।

(सकल वर्धित मूल्य (GVA) = सकल घरेलू उत्पाद (GDP) + सहायिकी (Subsidies)
- अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)।

व्यापारी बैंक (Merchant Bankers): कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश और ये ऋण निर्गमन का प्रबंध करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक।

व्यतिक्रम/चूक (Default): नियत तिथि पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना। ऋण ये किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सरकार द्वारा लिए गए ऋण भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणी की विश्वसनीयता या 'साख' पर आँच आती है।

वित्तीय संस्थान (Financial Institution): बचतों के संग्रह और प्रयोजन या आबंटन से जुड़े संस्थान। इनमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान सम्मिलित हैं।

वित्तीय नीति (Fiscal Policy): आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए करें तथा सरकारी व्यय का प्रयोग।

विदेशी विनिमय /विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange): अन्य देशों की मुद्रा या बाँड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से आया विदेशी निवेश। इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक फर्मों/व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता।

विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार (Foreign Exchange Market): ऐसा बाजार जहाँ आज की नियत दरों पर मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है – पर उस खरीदी-बेची गई मात्रा का वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तिथि को ही किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones): ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के ध्येय से देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता। विशेष रूप से बनाए गए आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। ये देश हैं- जनवादी चीन, भारत, जार्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपीन्स रूस आदि।

विनिवेश (Disinvestment): किसी कंपनी की पूँजी के एक अंश को जान-बूझ कर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ-साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी, रचना या प्रबंधन या दोनों, में बदलाव भी किये जा सकते हैं।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio): रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंकों द्वारा कुल जमाओं और सुरक्षित निधियों का तरल रूप में रखा जाने वाला अंश। नकद जमा अनुपात के साथ-साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है।

सहभागिता (Communes): जन सहभागिता या चीनी भाषा में रोन्मिन गोंगशे। यह चीन में 1958 से 1985 की अवधि में ग्रामीण प्रशासन के तीन स्तरों में से सबसे उच्चतम स्तर था। इस अवधि (1982-85) में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। विशालतम सामुदायिक इकाइयों (कम्यूनों) का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियों तथा उत्पाद दलों में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य होते थे।

संस्थागत विदेशी निवेशक (Foreign Institutional Investors): अन्य देशों में आधार वाले बैंक और गैर-बैंक संस्थान। इनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष जैसी निवेशक संस्थाएँ सम्मिलित होती हैं। (स्पष्टतः ये संस्थाएँ देश की अपनी इस प्रकार की संस्थाओं से अलग होती हैं)। शेयर, बांड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनके निवेश का देश की आर्थिक व्यापारिक परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है।

सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC): दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इस क्षेत्र के आठ देशों का संघ है। ये देश हैं: भारत, भूटान बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सार्क दक्षिण एशियाई जनसमुदायों को मैत्री, विश्वास और सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय सदस्य देशों में आर्थिक सामाजिक विकास का संवर्धन है।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security): वृद्ध, अपंगों, असहायों, विधवाओं और बच्चों के हितार्थ स्थापित/संचालित निजी और सार्वजनिक पेंशन संस्थाएँ। इनमें पेंशन, सेवानुदान, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवा आदि सम्मिलित होते हैं।

स्वनियोजित (Self-Employed): अपने खेत/ व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति। इनके कुछ सहायक हो सकते हैं। कब, कहाँ उत्पादन या विक्रय करें अथवा कैसे कार्य का संपादन करें, इन बातों के विषय में निर्णय की इन्हें स्वतंत्रता रहती है। इनकी आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय या लाभ पर निर्भर रहती है।

स्थिरीकरण उपाय (Stabilisation Measures): भुगतान शेष के उतार-चढ़ाव और उच्च स्फीति दर के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतिगत उपाय।

सेवानुदान (Gratuity): कर्मचारी के सेवामुक्त होने पर उसे उसकी सेवाओं के लिए नियोक्ता से मिलने वाली एकमुश्त मानार्थ राशि।

स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange): ऐसा शेयर बाजार जहाँ सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय होता है। यहाँ दलालों को कंपनियों के अंशपत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधाएँ उपलब्ध रहती है।

शहरीकरण (Urbanisation): किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि। इसके प्रतिनिधि-स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन अवधि वार्षिक, दशकीय या फिर कोई अतंवर्ती अवधि हो सकती है।

स्टाक बाजार (Stock Market): शेयर और स्टाक के व्यापार के लिए संस्थान।

शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate): एक वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत शिशुओं की संख्या तथा उस वर्ष में जन्में शिशुओं की संख्या का अनुपात गुणा 1000।

श्रमिक संघ (Trade Union): मजदूरी की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मजदूरों द्वारा बनाई गई संस्था।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio): श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या में अनुपात। इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है।

श्रम कानून (Labour Laws): सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम।

© NCERT
not to be republished



टिप्पणी

© NCERT
not to be republished



भारतीय अर्थव्यवस्था 1950–1990

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप

- भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को जानेंगे;
- वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रकों, जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे;
- एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे।

भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नये अवसर उपलब्ध करायेगी।

-प्रथम पंचवर्षीय योजना

2.1 परिचय

15 अगस्त, 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब राष्ट्र के नव-निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन-सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती हैं (देखें बॉक्स 2.1), पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे, जिसमें उत्पादन के सभी साधन (खेत और कारखाने) सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह, अपने नागरिकों के भू-स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था।

नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव-स्वतंत्र भारत के लिए पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद

से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा।



इन्हें कीजिए

- विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का एक चार्ट बनाइए। पूँजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची बनाइए।
- किसी कृषि फॉर्म पर अपनी कक्षा के साथ भ्रमण की योजना बनाइए। कक्षा के सात समूह बनाएँ और प्रत्येक समूह को एक विशेष विषय में जानकारी एकत्र करने का काम सौंप दें। उदाहरण के लिए, इस भ्रमण का उद्देश्य, इसमें खर्च होने वाली धन राशि, लगने वाला समय तथा संसाधन, साथ जाने वाले ऐसे व्यक्ति जिनसे संपर्क स्थापित करना है, भ्रमण के स्थानों के नाम, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न आदि। अपने शिक्षक की सहायता से इन विशिष्ट उद्देश्यों का संग्रह कीजिए तथा ऐसे कृषि फार्म के भ्रमण की सफलता के दीर्घकालिक उद्देश्यों से उनकी तुलना कीजिए।

बॉक्स 2.1 आर्थिक प्रणालियों के प्रकार

प्रत्येक समाज को तीन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं:

- देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए?
- वस्तुएँ और सेवाएँ किस प्रकार उत्पादित की जाएँ? उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूँजी (मशीनों) का?
- उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए?

इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो माँग और पूर्ति का **बाज़ार की शक्तियों** पर निर्भर करता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाज़ार में माँग है। इसमें, वही वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाज़ारों में सलाह बेचा जा सके। यदि कारों की माँग है तो कारों का उत्पादन होगा और साइकिलों की माँग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम, पूँजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूँजी सस्ती है, तो उत्पादन की अधिक पूँजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। **पूँजीवादी** अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय-क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपये होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है किंतु इसकी गणना बाज़ार माँग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए क्योंकि माँग के अनुसार गरीबों की क्रयशक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाज़ार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर ही नहीं मिल पाता।

समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार ही यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसीलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। सरकार ही यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांततः यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं।

अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ हैं, अर्थात् सरकार तथा बाज़ार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में बाज़ार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाज़ार सुलभ कराने में विफल रहता है।

बॉक्स 2.2 योजना क्या है?

योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएँ पाँच वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजनाएँ कहा जाता था (यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ही ली गई थी)। हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल पाँच वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी बीस वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्ष्यात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है।

यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्त्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद्व भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है— यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग-अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक (पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह विफल रहा)। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएँ उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत् उत्पादन और सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर रहता है।

सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनायेगी (देखें बॉक्स 2.2)। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में **योजना आयोग** की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ।

2.2 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य

किसी योजना के स्पष्टतः निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे: संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।

इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्त्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है, जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो, चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध न हो। आइए, योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें।

संवृद्धि: इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका अभिप्राय उत्पादक पूँजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूँजी तथा सेवाओं की

बॉक्स 2.3 महालनोबिस: भारतीय योजनाओं के निर्माता

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यिकीविद् प्रशांतचन्द्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारिक विचार दिये गये हैं। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में, उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है।

महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता (कोलकाता) में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता (कोलकाता) तथा सेंट्रल युनिवर्सिटी, इंग्लैंड में हुई। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतराष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो (सदस्य) बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है; जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है।

महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई.एस.आई) स्थापना की तथा 'सांख्य' नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिकीविदों के लिये परस्पर विचार-विमर्श के लिये एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी आई.एस.आई. तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अतिसम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।



द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किये जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किये गये अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में, वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है।

आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिये उन्हें सदैव स्मरण किया जायेगा। सांख्यिकीविद् सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे।

स्रोत: सुखमय चक्रवर्ती महालनोबिस, प्रशांतचन्द्र इन जोन ईटवैल इट.एल. दी न्यू पाल्ग्रेव डिक्शनरी, इकॉनामिक डेवलपमेंट, डब्ल्यू.डब्ल्यू, नार्टन न्यूयार्क एंड लंदन।

बॉक्स 2.4 सेवा क्षेत्रक

देश के विकास के साथ-साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुँच कर जी.डी.पी. में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रकों से अधिक हो जाता है। भारत में, जैसा कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जी.डी.पी. में कृषि का अंश 50 प्रतिशत से अधिक था। किंतु, 1990 में सेवा क्षेत्रक का अंश बढ़कर 40.59 प्रतिशत हो गया- यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। ऐसी स्थिति तो प्रायः विकसित देशों में ही पायी जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्रक के अंश की संवृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अध्याय 3 में विस्तार से की जायेगी।

दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक संवृद्धि का प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में निरंतर वृद्धि है। जी.डी.पी. एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाज़ार मूल्य होता है। आपने यह अवधारणा कक्षा X में भी पढ़ी है। यदि जी.डी.पी. को एक 'केक' मान लिया जाए तो संवृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएँगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है, (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार), तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है।

देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं- कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढाँचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है तो कुछ में सेवा

क्षेत्रक की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है (देखें बॉक्स 2.4)।

आधुनिकीकरण: वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार, एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है।

आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्यक्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर- बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और



इन्हें कीजिए

- निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।
 - (क) खाद्यान्न उत्पादन
 - (ख) उत्पादन की पैकेजिंग
 - (ग) जन संचार
 - उन वस्तुओं को ज्ञात कीजिए तथा उन मुख्य वस्तुओं की सूची बनाइए, जिनका भारत ने 1990-91 तथा 2018-19 (इसके लिए पृष्ठ संख्या 192 भी देखें) के दौरान आयात एवं निर्यात किया था।
 - (क) अंतर बताइए।
 - (ख) क्या आपको आत्मनिर्भरता का प्रभाव दिखाई देता है? चर्चा करें।
- उपर्युक्त विषयों में विस्तृत जानकारी के लिए आप नवीनतम 'आर्थिक सर्वेक्षण' को देख सकते हैं।

ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है।

आत्मनिर्भरता: कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक संवृद्धि, अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातित संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्त्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए, जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को, विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्त्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह आशंका भी थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूँजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी।

समानता: केवल संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च संवृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहें। अतः संवृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समानता भी महत्वपूर्ण है: प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएँ भी कम होनी चाहिए।

आइए, अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन चार लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1991 के बाद

बॉक्स 2.5 स्वामित्व तथा प्रेरणाएँ

‘किसान को भूमि’ यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि (उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी) लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू-स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिये पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े-गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े-गले फल ताजे फलों को भी खराब कर देते हैं, यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाये। इससे किसान को ही हानि होगी, क्योंकि फल बिक नहीं पायेंगे।

अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुँचाये? इसका अर्थ किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे। अतः न उन्हें लाभ होता था और न हानि। स्वामित्व न होने के कारण, कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ, विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्रक का उत्पादन कम क्यों था?

स्रोत: थामस सोवेल, बेसिक इकॉनामिक्स: द सिटीजन्स गाइड टू दी इकॉनामी, न्यूयार्क: बेसिक बुक्स, 2004, दूसरा संस्करण।

अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।

2.3 कृषि

आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्रक में न तो संवृद्धि हुई और न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति-निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू-सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया।

भू-सुधार: स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू-धारण पद्धति में जमींदार-जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किये बिना, मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय

कृषि क्षेत्रक की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिये भू-सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के एक वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाये गये। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा (बॉक्स 2.5), बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिये भूमि की अधिकतम **सीमा निर्धारण** एक दूसरी नीति थी। इसका अर्थ



है- किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू-स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था।

बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काशतकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किये जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू-स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े-बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काशतकारों को बेदखल कर दिया गया और भू-स्वामियों ने अपने किसान भू-स्वामी (वास्तविक

कृषक) होने का दावा किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों (जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक) को भूमि-सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ।

अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएँ आईं। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देर हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम करारक कानून से बच गये। कानून में भी अनेक कमियाँ थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थीं, इसी कारण इन प्रांतों में भू-सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश, अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता

नहीं थी, अतएव आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई है।

हरित क्रांति: स्वतंत्रता के समय देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्रक में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध न थीं। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों (HYV) के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूँ तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त, HYV बीजों का लाभ केवल

गेहूँ पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक) में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुँचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे।

यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करें, तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सकें, तो अधिक उत्पादन का निश्चय ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही 'विपणित अधिशेष' कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूँ और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में, उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, कमी आई। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था।

यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ है पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएँ बढ़ने की संभावनाएँ थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त, इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावनाएँ अधिक होती हैं। ऐसी दशा में, इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश, सरकार द्वारा किए गये कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएँ सत्य साबित नहीं हुईं। सरकार ने निम्न व्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिये और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सकें। छोटे किसानों को, इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार, हरित क्रांति से छोटे-बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण, छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी का कारण थे। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किये होते, तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता।

सहायिकी पर बहस: आजकल कृषि क्षेत्रक को दी जा रही आर्थिक सहायिकी का आर्थिक

औचित्य एक गरमा-गरम बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा और सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायिकी दी जानी आवश्यक थी। किसान प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिम पूर्ण समझते हैं। अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिये सहायिकी आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायिकी धीरे-धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं, यद्यपि सहायिकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुँचाना है, किंतु उर्वरक-सहायिकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुँचता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायिकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है (देखें बॉक्स 2.6)। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि-सहायिकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और सहायिकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। सहायिकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायिकी

बॉक्स 2.6 कीमतें-संकेतकों के रूप में

आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है? यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक हैं। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर, उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्तों को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे; उदाहरण के लिए, पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं। परंतु, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेतक है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है- यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है।

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायिकी, कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी को सहायिकीयुक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना, उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएँगे, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो और इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएँगे। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए, तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएँगे। उर्वरक कीटनाशकों पर सहायिकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायिकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायिकी पर विचार करें और स्वयं से यह पूछें कि क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है?

से बड़े किसानों तथा उर्वरक उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है, तो सही नीति सहायिकी समाप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले।

1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद, नकारात्मक पहलू यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जैसे-जैसे देश

संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950-90 की अवधि में यद्यपि जी.डी.पी. में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात में नहीं (जो 1950 में 67.50 प्रतिशत थी और 1990 तक घटकर 64.90 प्रतिशत ही हो पाई)। इस क्षेत्रक में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा भी संभव थी, फिर इस क्षेत्रक में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि



इन्हें कीजिए

- एक छात्र समूह को किसी कृषि फार्म पर ले जाएँ और प्रयुक्त कृषि विधियों का अध्ययन करें, अर्थात् बीजों की किस्में, उर्वरक, मशीनें, सिंचाई के साधन, संबद्ध लागतें, विपणीय अधिशेष तथा अर्जित आय तैयार करें। यदि विधियों में परिवर्तन की जानकारी कृषक परिवार के किसी बुजुर्ग वृद्ध सदस्य से प्राप्त की जाएगी, तो अधिक अच्छा रहेगा। उसके बाद:-
 - (क) निष्कर्षों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें।
 - (ख) विभिन्न उप-समूहों का एक चार्ट बनाएँ जिनमें उत्पादन लागत में परिवर्तन, उत्पादकता, बीजों के प्रयोग, उर्वरकों, सिंचाई के साधनों, समय के प्रयोग, विपणीय अधिशेष और परिवार की आय में परिवर्तनों को दर्शाया गया हो।
- विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, (G-7, G-8 और G-10 देशों) की बैठकों के बारे में समाचार पत्रों की कतरनें एकत्र करें। कृषि सहायिकी पर विकसित और विकासशील देशों द्वारा व्यक्त विचारों पर चर्चा करें।
- इस तालिका में उपलब्ध जानकारी का प्रयोग कर भारत की अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढाँचे का एक पाई-चार्ट बनाएँ। दो पाई-चार्ट के आकार में परिवर्तन के संभावित कारणों पर चर्चा करें।

क्षेत्रक	1950-51	1990-91
कृषि	70.1	66.8
उद्योग	10.7	12.7
सेवाएँ	17.2	20.5

- कृषि सहायिकी के पक्ष-विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करें। आपका इस विषय में क्या मत है?
- कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अन्य देशों विशेषकर विकसित देशों के किसानों को अधिक सहायिकी देकर अपना उत्पादन अन्य देशों को निर्यात करने को प्रोत्साहित किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे किसान उन देशों के किसानों से मुकाबला कर पाएँगे? चर्चा करें।

उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950-90 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं।

2.4 उद्योग और व्यापार

अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया है कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं

और यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात

की सुप्रबन्धित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था, तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हों।

भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक: हमारे नीति-निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्रक की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूँजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था, जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूँजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्रक की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्रक की नीतियों की अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्रक अग्रणी भूमिका निभायेगा।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956: भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में

ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार, उद्योगों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जिनके लिए निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ मिल कर प्रयास कर सकते थे, परंतु जिनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे, जो निजी क्षेत्रक के अंतर्गत आते थे।

यद्यपि निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्रक को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नये उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी, जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए, तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त, उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे, कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था।

वर्तमान उद्योग को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन (वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन) करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न

हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था, जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है।

लघु उद्योग: 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कर्वे समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिये जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ-साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था, जो पाँच लाख रु. का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय, एक करोड़ रु का अधिकतम निवेश किया जा सकता है।

ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम-प्रधान होते हैं, अर्थात् उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है। अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं। लेकिन, ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थीं जैसे, कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक-ऋण।

2.5 व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन

भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति **व्यापार नीति** से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थी। प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को **आयात-प्रतिस्थापन** कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए, विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाय। इस नीति के अनुसार, सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के दो प्रकार थे: प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क, आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएँ अधिक महँगी हो जाती हैं, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की होती है, जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है।

संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित था कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था, तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को भी यह आशंका थी



इन्हें कीजिए

- सकल घरेलू उत्पाद के लिए क्षेत्रवार योगदान से संबंधित निम्नलिखित सारणी के लिए एक पाई चार्ट बनाइए और 1990-91 के दौरान विकास के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों के योगदान में हुए अंतर पर चर्चा कीजिए।

क्षेत्रक	1950-51	1990-91
कृषि 	59.0	34.9
उद्योग 	13.0	24.6
सेवाएँ 	28.0	40.5

- कक्षा के छात्रों को दो समूहों में विभाजित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की उपयोगिता के बारे में अपनी कक्षा में एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए। एक समूह सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के पक्ष में बोलेगा और दूसरा समूह इसके विपक्ष में बोलेगा (यथासंभव इसमें अधिक-से-अधिक छात्रों को शामिल कीजिए और उन्हें उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए)।

कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी-मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात-संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था।

औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव: प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धियाँ वस्तुतः उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त जी.डी.पी. का अनुपात 1950-51 में 13 प्रतिशत

से बढ़कर 1990-91 में 24.6 प्रतिशत हो गया। जी.डी.पी. से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों की 6 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्रों प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रों के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के

लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूँजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिकी व ऑटोमोबाइल क्षेत्रकों में देशी उद्योगों का विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्रक द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्रक के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की है। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्रक की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन (प्रायः उन पर एकाधिकार रखते हुए) जारी रखा, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्रक में आरक्षण प्रदान किया गया जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्रक के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है जैसे कि निजी क्षेत्रक ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्रक को बेच दी गई। मुख्य बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के चार दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि (क) केवल सार्वजनिक

क्षेत्रक क्या कर सकता है और (ख) निजी क्षेत्रक भी क्या कर सकता है? उदाहरण के लिए, आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्रक ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्रक होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्रक कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है, जिन्हें निजी क्षेत्रक उपलब्ध नहीं करा सकते।

अनेक सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है। भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो (वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्में मूलतः निजी फर्में थीं, जो हानि के कारण बंद होने को थीं।) उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल, नुकसान उठाने वाली निजी फर्में, अपने को बनाए रखने के लिए, संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देंगी।

किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। **परमिट लाइसेंस राज** के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं

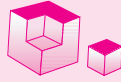
बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने में समय व्यतीत करते थे।

विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा, जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था, जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊँची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते! आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्रक की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाये गये लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए, जब तक धनी राष्ट्र ऐसा

करते रहें। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की।

2.6 निष्कर्ष

प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गये। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधारों का परिणाम यह हुआ कि घृणित जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यमवृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियाँ अंतर्मुखी थीं, उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्रक विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जायेगी।



पुनरावर्तन

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की, जिसमें समाजवाद और पूँजीवाद की विशेषताएँ सम्मिलित थीं। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई।
- सभी आर्थिक योजनाएँ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई हैं।
- पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं-संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता।
- कृषि क्षेत्रक में मुख्य नीतिगत पहल थे- भूमि सुधार तथा हरित क्रांति।
- इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली।
- कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ, जैसी कि आशा थी।
- औद्योगिक क्षेत्रों में नीतिगत, आयात स्थानापन्न पहलों ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए इसके योगदान में वृद्धि की।
- औद्योगिक क्षेत्रक में एक बड़ी कमी यह थी की सार्वजनिक क्षेत्रक की कार्य पद्धति कुशल नहीं थी क्योंकि यह घाटे की ओर उन्मुख थी, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ।



अभ्यास

1. योजना की परिभाषा दीजिए।
2. भारत ने योजना को क्यों चुना?
3. योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए?
4. उच्च पैदावारवाली किस्म (HYV)बीज क्या होते हैं?
5. विक्रय अधिशेष क्या है?
6. कृषि क्षेत्रक में लागू किये गये भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
7. हरित क्रांति क्या है? इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुँचा? संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
8. योजना उद्देश्य के रूप में 'समानता के साथ संवृद्धि' की व्याख्या कीजिए।

9. 'क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है?' व्याख्या कीजिए।
10. भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था?
11. किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें।
12. योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी?
13. इस कथन की व्याख्या करें: 'हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया, ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सके'।
14. सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने को प्रोत्साहित तो करती है पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सहायिकी की उपयोगिता पर चर्चा करें।
15. हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रक में ही क्यों लगी रही?
16. यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बहुत आवश्यक रहा है, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्रक के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा करें।
17. आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है?
18. औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 में निजी क्षेत्रक का नियमन क्यों और कैसे किया गया था?
19. निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए।

1. प्रधानमंत्री	(क) अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज
2. सकल घरेलू उत्पाद	(ख) आयात की जा सकने वाली मात्रा
3. कोटा	(ग) योजना आयोग के अध्यक्ष
4. भूमि-सुधार	(घ) किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।
5. उच्च उत्पादकता वाले बीज	(ङ.) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार।
6. सहायिकी	(च) उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता।



संदर्भ

भगवती, जगदीश 1993. *इंडिया इन ट्रांजीशन: फ्रईंग द इकॉनोमी*, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

डांडेकर वी.एम. 2004.: *फोर्टी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस*, बिमल जालान (सं) इंडियन इकॉनोमी: प्रोब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, पेंगुइन, नई दिल्ली।

जोशी, विजय, एंड आई, एम.डी.टिप्ल 1996. *इंडियाज इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991-2001*. ए ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

मोहन, राकेश 2004. *इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एंड कंट्रोल्स*, देखें बिमल जालान (सं) इंडियन इकॉनोमी: प्रोब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, पेंगुइन, नई दिल्ली।

राव, सी.एच.हनुमंथा 2004. *एग्रीकल्चर: पॉलिसी एंड पफॉर्मेंस*, इन बिमल जालान (सं), द इंडियन इकॉनोमी: प्रोब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट. पेंगुइन, दिल्ली।